मंगलवार,
१५ दिसंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

मंगलवार ५ दिसम्बर १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री साधन चन्द्र गुप्त (कलकत्ता दक्षिण पर्व)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कार्यक्रम मूल्यांकन संघटन

*९४० **श्री एस० एन० दास :** क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कार्यक्रम मूल्यांकन संघटन ने सामुदायिक परियोजनाओं की प्रगति और फल को आंकने के पश्चात् कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जिन क्षेत्रों में कार्यक्रम मूल्यांकन संघटन के पदाधिकारी हैं उन में उन के द्वारा प्रेक्षित सामुदायिक परियोजनाओं के संचालन और प्रगति का संचित नासिक

पर्यालोकन केन्द्र तथा राज्य के सम्बद्ध अधिकारियों को भेजा जाता है । यह पर्यालोकन चालू और संचालनात्मक प्रकार का होता है और उन व्यक्तियों के प्रयोग के लिये है जिन का परियोजना सम्बन्धी कार्यों के संचालन से सीधा सम्बन्ध होता है ।

परियोजनाओं के सचालन सम्बन्धी विशेष विशेष पहलुओं का पर्यालोकन अलग अलग पूरा हो रहा है । अभी तक कोई प्रतिवेदन नहीं प्रस्तुत किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या इस संघटन को समय समय पर कोई अल्पकालीन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पड़ते हैं ?

श्री हाथी : जैसा कि मैं ने अपने उत्तर की कण्डिका (क) में बताया, यह संघटन मासिक पर्यालोकन भेजता है, किन्तु इस संघटन के बनने के लगभग छै मास पश्चात् इसे अपना विस्तृत प्रतिवेदन भेजना पड़ेगा । इस का प्रारूपण किया जा रहा है, यह पूरा होने वाला है ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या इस संघटन के अधीन सभी सामु-

दायिक परियोजना क्षेत्रों में कर्मचारी रखे गये हैं ?

श्री हाथी : नहीं, श्रीमान् । मूल्यांकन पदाधिकारी सभी परियोजना क्षेत्रों में नहीं रखे गये हैं, ये केवल १८ केन्द्रों में रखे गये हैं ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि फोर्ड फाउंडेशन समुदायिक परियोजनाओं में धन लगाने के अतिरिक्त इस संघटन में और क्या करता है ?

श्री हाथी : प्रशिक्षण के लिये उन का प्रयोग किया जा रहा है ।

श्री बी० के० दास : मैं जान सकता हूं कि कितने खण्डों को सूक्ष्म मूल्यांकन के लिये चुना गया है ?

श्री हाथी : १८ केन्द्रों में ये मूल्यांकन पदाधिकारी हैं ।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

*९४१. **श्री ए० एन० दास :** क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जिन राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों का २ अक्तूबर, १९५३ को उद्घाटन किया गया था उन के काम के लिये विभिन्न राज्य कितने प्रशिक्षित ग्राम स्तर के कार्यकर्त्ताओं को संगठित कर सकी है;

(ख) इस सम्बन्ध में योजना की अवधि के लिये प्रत्येक राज्य का क्या लक्ष्य निश्चित किया गया है; तथा

(ग) कौन सा राज्य सभी राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड संघटनों में सभी स्तरों म उपयुक्त कार्यकर्त्ता भर्ती कर सका है और इन्हें अच्छी प्रकार संगठित कर सका है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५६**]

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि राज्यों में कितने प्रशिक्षण केन्द्र खोले गय हैं और उन का प्रशिक्षण-सामर्थ्य कितना है ?

श्री हाथी : ३४ प्रशिक्षण केन्द्र हैं । इन में से प्रति वर्ष लग भग ४,५०० ग्राम स्तर के प्रशिक्षित कार्यकर्त्ता निकलेंगे ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि इन प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये प्रशिक्षक कहां से भर्ती किये जाते हैं और क्या वे अर्हता प्राप्त और मानदण्ड के अनुरूप होते हैं ?

श्री हाथी : इन की भर्ती सामान्यतया सम्बद्ध राज्य सरकारें करती हैं । वे सामान्यतया सहकारी संघटनों और राजस्व विभाग से लोगों को ले लेती हैं । वे कुछ ऐसे नये रंगरूट भी रख लेती हैं जिन्हें खेती का अनुभव हो ।

श्री एस० एन० दास : विभिन्न राज्यों को जो कुल ग्राम स्तर के कार्यकर्त्ता दिये गये हैं, उन में से, मैं यह जान सकता हूं कि कितने ग्राम स्तर के कार्यकर्त्ताओं को मानदण्ड के अनुरूप प्रशिक्षण दिया गया है ? अथवा क्या उन्हें किसी सरकारी विभाग से ही चुन लिया गया है ?

श्री हाथी : उन में से कुछ को विभाग से चुन लिया जाता है । कुछ ऐसे रंगरूट हैं जिन्हें प्रशिक्षण के लिये भेज दिया जाता है ।

श्रीमती सुषुमा सेन : मैं जान सकती हूं कि क्या दक्षिणी भागलपुर राष्ट्रीय विस्तार

सेवा के अन्तर्गत है और क्या वहां के ग्रामीणों को प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा ?

श्री हाथी : इस के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री बी० के० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या जिन केन्द्रों में ग्रामीण स्तर का कोई कार्यकर्त्ता नहीं नियुक्त किया गया है वहां कोई काम आरम्भ नहीं किया गया ? उदाहरण के लिये पश्चिमी बंगाल में यद्यपि ७०० कार्यकर्त्ताओं के लक्ष्य का उल्लेख किया गया है, किन्तु वहां ग्राम स्तर का कोई भी कार्यकर्त्ता नियुक्त नहीं किया गया । क्या मैं यह समझं कि वहां कोई काम नहीं आरम्भ किया गया ?

श्री हाथी : नहीं । यह स्थिति नहीं है । वहां प्रशिक्षित कार्यकर्त्ता नहीं हैं, इतनी ही बात है ।

श्री मुनिस्वामी : मैं जान सकता हूं कि इन राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों ने अब तक वस्तुतः कुल कितनी राशि व्यय की है ?

श्री हाथी : इस वर्ष लगभग १९० खण्ड चुने गये हैं और प्रत्येक खण्ड पर तीन वर्ष में ७ १/२ लाख रुपये व्यय किये जायेंगे ।

महात्मा गांधी समाधि

*९४२. **श्री एस० एन० दास :** (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने गांधी स्मारक रूपांकन समिति द्वारा तैयार किये गये रूपांकन को स्वीकार कर लिया है ?

(ख) इस विषय में आगे और क्या प्रगति हुई है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) अभी तक नहीं, श्रीमान् ।

(ख) इस विषय पर आगे और विचार करने से पूर्व कुछ विशेषज्ञों की सलाह लेने का निश्चय किया गया है ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि अब तक इस सम्बन्ध में कितने विदेशी शिल्पकारों की सलाह ली गई है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : बहुतों की नहीं । मेरे विचार में केवल एक बार एक शिल्पकार की सलाह ली गई थी, किन्तु उस के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया ।

फिलिपीन में भारतीयों का आप्रवास

*९४४. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि फिलिपीन की सरकार ने भारतीयों के आप्रवास पर से प्रतिबन्ध उठा लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या फिलिपीन में भारतीयों के स्वतन्त्र रूप से प्रवेश के लिये कोई वार्षिक अभ्यंश नियत किया गया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खांन) : (क) जी हां ।

(ख) वार्षिक अभ्यंश ५० व्यक्ति नियत किया गया है ।

डा० राम सुभग सिंह : कब से भारतीयों को फिलिपीन में प्रवेश की आज्ञा दी गई है ? यह आदेश कब जारी किया गया था ?

श्री सादत अली खांन : इस वर्ष अक्तूबर में ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या किसी भारतीय ने इस अवसर से लाभ उठाया है ?

श्री सादतअली खांन : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री जी० पी० सिन्हा : एशिया के कितने देशों ने अपने देशों में भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ?

श्री सादत अली खांन : यह प्रश्न तो तो केवल फिलिपीन के सम्बन्ध में है ।

नदी घाटी परियोजनायें

*९४५. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) हीराकुंड दामोदर घाटी और भाखड़ा नांगल परियोजनाओं में कितना क्षेत्र (पानी में) डूब गया है; और

(ख) वर्तमान डूबे हुए क्षेत्रों में पानी भरने से पहिले क्या इन में उगे हुए वृक्षादि हटा दिये गये थे ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क)

हीराकुंड बांध परियोजना

६३० कंटूर स्तर पर १,८२,५९८.१७ एकड़ ।

दामोदर घाटी परियोजना

तिलैय्या, कोनार, मैथन तथा पंचेट पहाड़ी के तालाबों और बोखारों के बांध से ७२३१४ एकड़ भूमि डूब जायेगी ।

भाखड़ा नांगल परियोजना

३८,००० एकड़

(ख) हीराकुंड बांध परियोजना । भाखड़ा नांगल परियोजना

क्योंकि तालाब के क्षेत्र में अभी पानी नहीं भरा गया है अतः इस समय उगे हुए वृक्षादिको निकालने का प्रश्न ही नहीं उठता । इस क्षेत्र के डूबने से पहले इसबात की ओर ध्यान दिया जायेगा ।

दामोदर घाटी परियोजना

डूबने से पहिले जहां तक संभव हो सका तिलैय्या के तालाब में से वृक्ष हटा दिये गये थे । बोखारो बांध के क्षेत्र में से भी इस के डूबने से पहिले सब वृक्ष हटा दिये गये थे । कोनार के तालाब में से वृक्षों को हटाया जा रहा है । मैथन और पंचेट की पहाड़ी के तालाब अभी बन रहे हैं, अतः इस समय इन के वृक्षों को हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सत्य नहीं है कि बांधों की योजनाओं को अन्तिम रूप देने से पूर्व अन्तर्देशीय मत्स्यपालन विशेषज्ञों की सम्मत्ति नहीं जानी गई थी ?

श्री हाथी : मैं नहीं जानता कि यह प्रश्न कैसे उठता है । हमारे सामने जो प्रश्न है वह तो डूबे हुए क्षेत्रों और उन में उगने वाले वृक्षों के सम्बन्ध में है ।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, क्या मैं दूसरा प्रश्न पूछूं ? क्या सरकार को यह विदित है कि यदि डूबे हुए क्षेत्रों में से उगे हुए वृक्षादि नहीं निकाले जायेंगे तो इस प्रकार के क्षेत्रों में मछलियां नहीं पालीं जा सकतीं ?

श्री हाथी : श्रीमान्, मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, मैं एक और प्रश्न पूछता हूं । क्या सरकार को यह विदित है कि यदि डूबे हुए क्षेत्रों में से वृक्षादि न निकाले जायें तो उन में जालों से मछलियां नहीं पकड़ी जा सकतीं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अगला प्रश्न ।

छापने की मशीनें

*९४६ **श्री वी० पी० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९४७ से अब तक भारत में कुल कितने मूल्य की छपने की मशीनें आयात की गई हैं; तथा

(ख) क्या भारत में छापने की मशीनों के निर्माण के लिये सरकार के पास कोई योजना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) १९४७ से भारत में आयातित छापने की मशीनों के कुल मूल्य के सम्बन्ध में ठीक ठीक जानकारी प्राप्य नहीं है । हमारे व्यापार लेखा से पता चलता है कि १९४७--५३ के काल में कुल ७६४ लाख रुपयों के मूल्य के छापे खाने तथा लिथो छापे खाने आयात किये गये हैं ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि छापने की मशीन किन देशों से आयात की गई थीं ?

श्री करमरकर : मैं अपने माननीय मित्र को उस प्रकाशित सांख्यकी को देखने के लिये कहूंगा, जो कि पुस्तकालय में सुगमता से प्राप्य है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आगामी पांच वर्षों के लिये भारत की छापने की मशीनों की आवश्यकताओं का सरकार ने कोई प्राक्कलन तैयार किया है ?

श्री करमरकर : मुझे ऐसे किसी प्राक्कलन का ज्ञान नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत में छापने की मशीनों के निर्माण के लिये किसी संयंत्र को स्थापित करने की संभावनाओं की सरकार ने जांच की है ?

श्री करमरकर : आजकल छापने की मशीनों के दो संगठित निर्माता हैं ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि इन सात करोड़ रुपयों में से किस अनुपात में रोटरी मशीनें खरीदी गई हैं ?

श्री करमरकर : मुझे पता नहीं ।

कच्ची रबर, रबर चादरों तथा पीली रबर का स्टाक

*१४७. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विक्रेताओं के पास कच्ची रबर, रबर की चादरों तथा पीली रबर के स्टाकों की नवीनतम मात्रा कितनी है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिय परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५७]**

श्री वी० पी० नायर : क्या यह तथ्य है कि गत वर्ष रबर उत्पादक संघ ने संसद् के एक सदस्य के नेतृत्व में सरकार के सामने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिस में यह अनुरोध किया गया था कि रबर की बिक्री को बढ़ाने के लिये तुरन्त कुछ कार्यवाही की जानी चाहिये ?

श्री करमरकर : इस समय मुझे याद नहीं आता ।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह तथ्य है कि जब सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ गैर सरकारी अभिकरणों ने रबर का सारा स्टाक दबा लिया ?

श्री करमरमकर : सारा स्टाक नहीं । हम देखते हैं कि स्टाक हर महीने में भिन्न भिन्न होते हैं ।

जलन्धर प्रसारण केन्द्र

*९४९. **श्री डी० सी० शर्मा** : (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जालंधर में नया प्रसारण यंत्र कब लगाया जायेगा ?

(ख) उस से कितनी दूर तक सुनाई देगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) जालंधर में एक ५० किलोवाट के मीडियम वेव (मध्यम तरंग) प्रसारण यंत्र के लिये इमारतों के निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। जैसे ही इमारतें तैयार हो जायेंगी, वैसे ही प्रसारण यंत्र को लगाने का कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

(ख) इस प्रसारण यंत्र के द्वारा आरंभ में तो लगभग १४० से १५० मील तक सुनाई देगा परन्तु बाद में इस से ४०० मील तक सुनाई देगा।

श्री डी० सी० शर्मा: क्या मैं जान सकता हूं कि यह इमारत लगभग कितने समय में तैयार हो जायेगी ?

डा० केसकर: मैं कोई निश्चित तिथि नहीं बता सकता। मैं आशा करता हूं कि इमारत के निर्माण का कार्य इस वित्तीय वष में समाप्त हो जायेगा। मशीन को लगाने में दो से तीन महीने तक लग सकते हैं।

श्री डी० सी० शर्मा : नये प्रसारण यंत्र के लगाये जाने को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उस रेडियो केन्द्र के स्टूडियो की संख्या में कोई वृद्धि होगी ?

डा० केसकर: उस क्षेत्र में कार्यक्रमों की वृद्धि तथा कार्यक्रम की सुविधाओं के विस्तार के लिये जो कुछ भी आवश्यक होगा किया जायेगा। स्टूडियो बढ़ाये जायेंगे या नहीं और यदि बढ़ाये जायेंगे तो कितने इस सम्बन्ध में मैं अभी कुछ नहीं बता सकता।

श्री डी० सी० शर्मा : जालंधर में एक नया प्रसारण यंत्र लगाया जा रहा है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार चंडी गढ़ में एक नया रेडियो केन्द्र खोलने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

डा० केसकर : ऐसा कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है।

सरदार हुक्म सिंह : चूंकि भारतीय कम्पनियां इस शर्त पर सस्ते रेडियो उत्पादित करने के लिये तैयार हैं कि सारे देश में मीडियम वेव (मध्यम तरंग) प्रसारण व्यवस्था हो, अतः क्या सरकार की यह नीति है कि वह देखे कि भारत में और अधिक मीडियम वेव के केन्द्र आरम्भ हों ताकि नागरिकों को सस्ते मूल्य पर रेडियो मिल सकें ?

डा० केसकर: मैं अपने माननीय मित्र से पूर्ण रूपेण सहमत हूं। यदि उन्हों ने वह पुस्तिका पढ़ी होती जो सब संसद् सदस्यों को वितरित की गई थी और जिस में हमारा कार्यक्रम दिया हुआ है, तो उन को मालूम हो जाता कि जो बात उन्हों ने अभी कही है, वही बात उस में भी है।

प्रलेखीय चल चित्र

*९५०. **श्री डी० सी० शर्मा**: (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के फिल्म विभाग द्वारा अब तक "भारत के प्रलेखीय चल चित्र" क्रम में पंजाब, पैप्सू तथा हिमाचल प्रदेश से संबंधित कितने प्रलेखीय चल चित्र बनाये गये हैं ?

इन प्रलेखीय चल चित्रों के विषय क्या हैं ?

(ग) क्या आज कल उक्त राज्यों से संबंधित कोई प्रलेखीय चल चित्र बनाये जा रहे हैं ?

(घ) यदि हां, तो विषय क्या हैं ?.

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) पंजाब से सम्बन्धित दो फिल्में और हिमाचल प्रदेश पर एक फिल्म प्रदर्शनार्थ जारी की गई हैं । अभी तक पैप्सू से संबधित कोई प्रलेखीय चलचित्र नहीं बनाया गया है ।

(ख) ये फिल्में यात्रा-विवरण के रूप में हैं और संबंधित क्षेत्रों के प्राकृतिक दृश्य प्रथायें तथा रीति-रिवाज़ दिखाती हैं ।

(ग) तथा (घ). हां, श्रीमान् । तीन प्रलेखीय चल चित्र बनाये जा रहे हैं ।

(१) उत्तरी भारत के विशेष पहाड़ी स्थान

(२) भाखड़ा–नांगल परियोजना, तथा

(३) सामुदायिक परियोजनाओं में जनता का सहयोग ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पंजाब, पैप्सू तथा हिमाचल प्रदेश के पवित्र स्थानों से संबंधित कोई प्रलेखीय चल चित्र बनाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ?

डा० केसकर : अभी नहीं ।

श्री डी० सी० शर्मा: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन प्रदेशों में राष्ट्रीय विस्तार योजना से संबंधित कोई फिल्म बनाई गई है ?

डा० केसकर : राष्ट्रीय विस्तार सेवा के सम्बन्ध में हम एक चित्र बना रहे हैं, लेकिन उस का सम्बन्ध इस विशेष क्षेत्र से नहीं होगा । मेरे कथन में त्रुटि हो सकती है ।

श्रीमती जयश्री : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार प्रलेखीय चल चित्रों के लिये गैर सरकारी व्यक्तियों से स्क्रिप्ट्स आमंत्रित करती है ?

डा० केसकर : अपने प्रलेखीय चलचित्रों के एक निश्चित प्रतिशत भाग को बनाने के लिये हम गैर सरकारी निर्माताओं से टेण्डर आमंत्रित करते हैं । हम ने औपचारिक रूप से गैर सरकारी व्यक्तियों को स्क्रिप्ट्स भेजने के लिये आमंत्रित नहीं किया है । पर भेजी गई स्क्रिप्टों का हम सदैव स्वागत करते हैं ।

श्री राधेलाल व्यास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन प्रलेखीय चलचित्रों का सारा व्यय केन्द्रीय सरकार ने किया था अथवा उस का कुछ भाग राज्य सरकारों ने दिया था ?

डा० केसकर : इन विशेष प्रलेखीय चल चित्रों के सम्बन्ध में मैं नहीं बता सकता, किन्तु साधारणतः...

श्री राधेलाल व्यास : मेरा प्रश्न पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश से संबन्धित इन प्रलेखीय चल चित्रों के विषय में है ।

डा० केसकर : मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

लन्दन में महात्मा गांधी का स्मारक

*९५१. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि लन्दन की कौंटी कौंसिल की नगर योजना समिति ने उस मकान को, जहां पर महात्मा गांधी १९३१ में, जब वह गोलमेज़ सम्मेलन में भाग लेने के लिये गये थे, ठहरे थे, स्मारक का रूप देने का निश्चय किया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खान) : लन्दन कौंटी कौंसिल की नगर योजना, समिति किंग्सले हाल पर, १९३१ में वहां पर महात्मा गांधी के ठहरने की स्मृति में एक शिला खण्ड लगाने का विचार करती है। उस शिला खण्ड पर यह पंक्तियां लिखी होंगी :

एल० सी० सी०
महात्मा गांधी
१८६९-१९४८
यहां पर
१९३१ में ठहरे थे ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कुछ और भी किया गया है अथवा क्या भारत सरकार से इस विषय में परामर्श किया गया था कि स्मारक किस प्रकार का होना चाहिये ?

श्री सादत अली खान : हमें सूचित किया गया था। लन्दन कौंटी कौंसिल की नगर योजना समिति ने इस प्रस्ताव पर वहां चर्चा की थी और हमें सूचित किया था ।

श्रीमती ए० काले : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या वह स्मारक महात्मा जी की प्रतिष्ठा एवं सम्मान के अनुरूप होगा और उस की लागत कितनी होगी ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री सादत अली खान : लागत के विषय में मुझे कुछ नहीं मालूम है ।

चाय की पेटियां

*९५२. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) कुल कितने मूल्य की विदेशी चाय की पेटियों का भारत में वर्ष १९५२-५३ में आयात किया गया; तथा

(ख) हमारे यहां प्रयोग में आने वाली चाय की कुल औसतन परिमात्रा क्या है, तथा देश में वार्षिक उत्पादित चाय की पेटियों की परिमात्रा कितनी है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) ५८.६१ लाख रुपया

(ख) आवश्यकता––लगभग ५० लाख सेर

उत्पादन ––लगभग ४३.५ लाख सेर

श्री के० पी० सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि इस उद्योग में अधिक उत्पादन की आशंका है, और यदि हां, तो फिर आयात की आज्ञा क्यों दी गई है ?

श्री करमरकर : नहीं, श्रीमान् ।

बाईसिकल

*९५३. **श्री के० पी० सिन्हा** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में कितनी साइकिलें बनाई गई हैं तथा वर्ष १९५२-५३ में कितनी बाइसिकलों का आयात किया गया है ?

(ख) क्या बाइसिकलों के सभी भाग भारत में बनाये जाते हैं ?

(ग) यदि नहीं, तो वर्ष १९५२-५३ में कुल कितने मूल्य के भागों का आयात किया गया है ?

(घ) बाइसिकलों के विभिन्न भागों को बनाने के लिये जिस इस्पात की आवश्यकता पड़ती है क्या वह भारत में मिलता है ?

(ङ) यदि नहीं, तो किस देश से इन का आयात किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) वर्ष १९५२-५३ में लगभग २.११

लाख बाइसिकलें भारत में बनाई गई हैं और लगभग १·९८ लाख बाइसिकलों का आयात किया गया है ।

(ख) भिन्न भिन्न प्रकार की स्थिति है, क्योंकि प्रत्येक कारखाना अपने निर्माण कार्यक्रम के अनुसार प्रगति करता है, एक कारखाना तो वांछित भागों में से अधिकांश से भी अधिक अपने यहां बनाता है, और दूसरे इन भागों में से केवल कुछ ही प्रतिशत ।

(ग) वर्ष १९५२-५३ में लगभग १३५ लाख रुपये के बाइसिकल के भाग तथा अन्य सहायक सामानों का आयात किया गया था । इस में कारखानों की आवश्यकतायें तथा आयात की गई बाइसिकलों के अतिरिक्त भाग, एवं पुर्जे बदलने के लिये मंगाया गया सामान भी सम्मिलित है ।

(घ) सभी प्रकार का इस्पात तो देश में नहीं मिलता, कुछ विशेष प्रकार के इस्पात का आयात करना पड़ता है ।

(ङ) साधारणतया तो इंगलैंड से मंगाया जाता है, किन्तु अन्य दूसरे सुलभ मुद्रा वाले क्षेत्रों से जैसे जर्मनी, बेलजियम, तथा इटली से भी मंगाया जाता है ।

श्री के० पी० सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि आयात के कारण यहां निर्माण कार्य को कम करना पड़ा ।

श्री करमरकर : नहीं ! आयात के कारण नहीं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जान सकती हूं कि **क्या** भारत सरकार ने बाइसिकल उद्योग के सम्बन्ध में कोई प्रशुल्क सम्बन्धी जांच की है अथवा करने का विचार रखती है, यदि हां तो इस आयुक्त के समक्ष कितनी विदेशी सार्थों को अपने मामले के विषय में अभ्यावेदन करने के लिये कहा गया है ?

श्री करमरकर : यह प्रश्न आजकल प्रशुल्क आयोग के सम्मुख है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या यह तथ्य है कि बिहार की 'हिन्दुस्तान बाईसिकल कम्पनी' बन्द हो ने जा रही है, यदि हां तो क्या कारण है ?

श्री करमरकर : इस के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह बात सही है कि जितनी आवश्यकता है, उस के अनुसार इस्पात और लोहा न मिलने के कारण यहां पर बाईसिकलों का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है ?

श्री करमरकर : यह बात सही नहीं है ।

पश्चिमी पाकिस्तान के व्यक्ति

***९५४. सरदार हुक्म सिंह :** (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ३ अगस्त १९५३ को पूछे गये अतरांकित प्रश्न संख्या ३२ के भाग (क) तथा (ख) में पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में उल्लिखित जानकारी अब तक इकट्ठी हो गई है ?

(ख) कितने व्यक्ति अस्थायी अनुज्ञा के आधार पर यहां आये और जिन्हें बाद में स्थायी तौर पर यहां बसने दिया गया ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री ज० के० भोंसले): (क) जी हां । १५ जुलाई १९५२ से १५ जुलाई १९५३ के बीच पश्चिमी पाकिस्तान से ५७,८५० व्यक्ति अस्थायी अनुज्ञा अथवा दृष्टांक के आधार पर यहां आये । इन में से ६३१ व्यक्तियों ने यहां स्थायी तौर पर बसने के लिए प्रार्थना की । पिछले आंकड़ों में अजमेर से आने वाले प्रार्थी सम्मिलित नहीं हैं जब कि अस्थायी अनुज्ञा अथवा दृष्टांक के आधार पर यहां आने वाले उन व्यक्तियों की संख्या ४९६ थी ।

(ख) अब तक प्राप्त जानकारी के आधार पर ७२ व्यक्तियों को स्थायी तौर पर भारत में बसने की आज्ञा दी गई थी। पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मैसूर तथा अजमेर से इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन आना अभी शेष है।

सरदार हुक्म सिंह : किन बातों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने स्थायी तौर पर बसने की स्वीकृति दी ?

श्री जे० के० भोंसले : प्रत्येक वैयक्तिक मामले का विचार उस की गुणिता के आधार पर किया गया था तथा कुछ मामलों में कृपा के आधार पर भी विचार किया गया था।

सरदार हुक्म सिंह : क्या कुछ ऐसे मामले भी थे जब कि कुछ व्यक्तियों को स्थायी तौर पर यहां बसने की आज्ञा दी गई किन्तु बाद को वे अपने परिवार सहित पाकिस्तान को चले गये और व्यापार भी वहीं करने लगे।

श्री ज० के० भोंसले : इस के लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

सरदार हुक्म सिंह : क्या उन व्यक्तियों की सम्पत्ति जो वे यहां छोड़ गये थे, यहां आने वाले किन्हीं विस्थापित व्यक्तियों को दी गई थी तथा क्या कोई ऐसा मामला भी है जब कि उन के वापिस आने पर उन्हें उन की सम्पत्ति लौटाई गई हो ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : निष्क्राम्य सम्पत्ति को लौटाने का प्रश्न, स्थायी तौर पर बसने के लिए अनुज्ञा देने के प्रश्न से बिल्कुल ही अलग है। एक बात के हो जाने पर दूसरी बात का हो जाना आवश्यक नहीं है। इन दोनों का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वह यह मालूम करना चाहते हैं कि क्या वास्तव में इस प्रकार की कोई बात हुई है ?

श्री ए० पी० जैन : केवल पुनर्वास अनुज्ञा के स्वीकार करने से ही सम्पत्ति उन को नहीं लौटाई गई, और मेरे लिए यह कहना बड़ा कठिन है कि क्या इस प्रकार की कोई बात हुई थी अथवा नहीं क्यों कि ये दोनों एक दूसरे से सम्बन्धित नहीं हैं।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं जान सकता हूं कि क्या उन व्यक्तियों को, जिन्हें यहां पुनर्वास की आज्ञा मिली है, भारत के सभी नागरिक अधिकार प्राप्त होंगे ?

श्री ए० पी० जैन : यह तो विधान की बात है, और एक साधारण व्यक्ति के नाते मैं तो नहीं समझता कि वे भारत के नागरिक होंगे जब तक कि वे प्रचलित ब्रिटिश नागरिकता विधि अथवा भारतीय नागरिकता विधि, जो कि भविष्य में पारित हो, के अनुसार नागरिक नहीं हो जाते।

भारतीय पत्नियों का अफ़रीका में प्रवेश

***९५५. श्री राधा रमण** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि दक्षिण अफरीका सरकार ने भारतीय पत्नियों के अफ़रीका में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए एक विधेयक पारित कर दिया है ?

(ख) क्या सरकार को इस विधेयक का पूरा प्रतिवेदन मिला है ?

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खान): (क) तथा (ख). दक्षिण अफरीका में भारतीय पत्नियों एवं बच्चों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाने वाला देशान्तरगामी विनियम संशोधन विधेयक अब विधान बन गया है। भारतीय कुल के दक्षिण अफरीका निवासी जिन का विवाह १० फरवरी १९५३ के बाद हुआ है उन की पत्नियों पर, तथा उन पत्नियों पर जिन का विवाह इस तिथि से तो पहले हुआ था किन्तु जो १० फरवरी १९५६ से पहले संघ

में प्रवेश नहीं करतीं, उन के प्रवेश पर यह विधान प्रतिबन्ध लगाता है ।

(ग) इस कार्यवाही के विरोध में भारत सरकार ने दक्षिण अफरीका संघ की सरकार के समक्ष विरोध प्रदर्शित किया । पिछले सत्र में श्री के० पी० सिन्हा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २०२ के उत्तर में दिये गये विवरण में जो कि सदन पटल पर रखा गया था हमारे प्रदर्शित विरोध की विस्तृत बातें निहित हैं ।

दक्षिण अफरीका सरकार ने अपने उत्तर में विचार प्रकट किया है कि साम्राज्य सम्मेलन १९१८ में पारित पारस्परिकता संकल्प तथा दक्षिण अफरीका और भारत के बीच १९२७ में हुए गोलमेज़ परिषद में किया गया समझौता 'केप टाउन समझौता १९२७', तो केवल नीति द्योतक विवरण हैं, यह समझौता किसी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि के समान वैध नहीं था जिस के मानने के लिए हम बाध्य होते । भारत सरकार ने इस प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण बैठक के चालू सत्र में दक्षिण अफ़रीका संघ में भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के साथ किये जाने वाले बर्ताव के सम्बन्ध में होने वाले वाद विवाद के रूप में रखा है, और साधारण बैठक ने भारी बहुमत से एक संकल्प पारित करते हुए दक्षिण अफरीका सरकार की इस कार्यवाही के प्रति खेद प्रकट किया है और कहा है कि उक्त सरकार की यह कार्य-वाही चार्टर उत्तरदायित्वों के अनुरूप नहीं है । संयुक्त राष्ट्रीय सद्भावना आयोग जिस की नियुक्ति मूल रूप से, दक्षिण अफरीका संघ सरकार तथा भारत एवं पाकिस्तान सरकारों के बीच भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की समस्या के सम्बन्ध में बातचीत करने के प्रबन्ध एवं सहायता करने के लिए हुई थी, वह आयोग अपना कार्य अगले सत्र तक करता रहेगा, और इस सम्बन्ध में संयुक्त रूप से की गई अब तक की प्रगति के सम्बन्ध में अपनी राय सहित प्रति वेदन बैठक के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा प्रतिवेदन में वे प्रस्ताव भी जो इस आयोग की दृष्टि में, दक्षिण अफरीका में पत्नियों तथा बच्चों के प्रवेश के प्रश्न को सम्मिलित करते हुए इस सम्पूर्ण समस्या को शांतिपूर्वक निपटाने में सहायक हों, सम्मिलित होंगे ।

श्री राधा रमण : श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूं कि प्रस्तुत विधेयक के पुरः स्थापन का प्रभाव कितने परिवारों पर पड़ता है ?

श्री सादत अली खान : श्रीमान्, मेरे पास यहां आंकड़े नहीं हैं ।

श्री राधा रमण : श्रीमान, मैं जानना चाहता हूं कि वे स्त्रियां जो विधेयक के पुरः-स्थापन के पश्चात अफ्रीका पहुंची थीं उन्हें वहां से चले जाने के लिये विवश होना पड़ा ?

श्री सादत अली खांन : पिछले सत्र में इस का उत्तर दिया गया था । दिनांक ३० मई, १९५३ को डरबन पहुंचने वाली भारतीय स्त्रियों और बालकों को वहीं जहाज़ पर ही तीन दिन तक रोक रखा गया क्यों कि इन दिनों दक्षिण अफ्रीका में छट्टियां थीं और तीन स्त्रियों के अतिरिक्त इन यात्रियों को भूमि पर उतरने की अनुमति दी गई ।

श्रीमती सुषमा सेनः श्रीमान्, मैं जानना चाहती हूं कि क्या दक्षिण अफ्रीकियों की यह धारणा सत्य है कि लीग आफ़ नेशन्स के संश्राव (कावनेन्ट) का एक अनुच्छेद इस मार्ग में बाधक है ?

श्री सादत अली खांनः हां, श्रीमान् । उन का मत है कि लीग आफ नेशन्स के संश्राव के अनुसार सब सन्धियों का लीग के पास पंजीयन होना आवश्यक है किन्तु यह तथ्य कि केपटाऊन समझौता लीग आफ नेन्स के यहां पंजीकृत नहीं हुआ था उस की वैधता को कम नहीं करता है ।

डा० एन० बी० खरे : क्या लीग आफ नेशन्स समाप्त नहीं हुई है ?

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रश्न पर राष्ट्रमंडल स्तर पर विचार किया गया है और यदि यह सही है तो उस के क्या परिणाम हैं ?

श्री सादत अली खांन : नहीं श्रीमान् । ऐसा नहीं किया गया ।

श्री रघुरामय्या : मैं जानना चाहता हूं कि करार के उल्लंघन के विषय में क्या सरकार इसे अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री सादत अली खांन : वर्तमान में यह विषय संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष है ।

अहमदाबाद मे `डियो स्टेशन

*९५६. **श्री दाभी** : **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अहमदाबाद में रेडियो स्टेशन कब खोला जायगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : अहमदाबाद में पहले से ही एक रेडियो स्टेशन है जिसे अप्रेल, १९४९ में खोला गया था । माननीय सदस्य अनुमानतः बड़ी शक्ति के मीडियम-वेव ट्रांसमीटर की ओर निर्देश कर रहे हैं जिस के सम्बन्ध में पंच वर्षीय योजना के अन्तर्ग्रस्त प्रस्ताव है । इस योजना पर कार्य आरम्भ किया जा चुका है और छः महीने में उस के पूरा होने की आशा है ।

श्री दाभी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बड़ी शक्ति वाले स्टेशन खुलने के बाद बड़ौदा का रेडियो स्टेशन बन्द कर दिया जायगा ?

डा० केसकर : नहीं श्रीमान् । बड़ौदा का ट्रांसमीटर और इस के साथ ही अहमदाबाद में आजकल चल रहा कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर स्थायी रूप से बन्द कर दिये जायेंगे ।

श्री दाभी : इस बड़ी शक्ति वाले ट्रांसमीटर में सुनने का क्षेत्र-विस्तार कितना होगा ?

डा० केसकर : इस का उत्तर वही है जो मैं ने जालंधर से सम्बन्धित तारांकित प्रश्न संख्या ९४९ के उत्तर में दिया था । प्रारम्भिक विस्तार यह लगभग १५० से १६० मील रहेगा और द्वितीय विस्तार लगभग ४०० मील रहेगा ।

अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड

*९५७. **श्री दाभी** : **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी की वृद्धि और प्रोत्साहन के सम्बन्ध में अखिल भारत खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड की किन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकृत किया है और कौन सी सिफारिशें अस्वीकृत कर दी गई हैं; और

(ख) बोर्ड की दूसरी सिफारिशें स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). विवरण सदन पटल पर रखा है । [**देखिय पारशिष्ट ४, अनुबंध सं० ५८**].

श्री दाभी : '१९५३–५४ : ऋण' शीर्षक के अधीन सरकार को सम्भरण हेतु खादी की खरीद का एक बिन्दु मिलता है । क्या मैं चालू वर्ष में सरकार द्वारा खरीदी गई खादी का मूल्य जान सकता हूं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

विदेशों में प्रदर्शनियां

*९५८. **श्री बी० के० दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२–५३ में विदेशों में प्रचार हेतु आयोजित प्रदर्शनियों में कुल कितना व्यय हुआ था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : कुल व्यय ३,१०,७५६ रु० ४ आ० ५ पाई हुआ ।

श्री बी० के० दास : मैं जानना चाहता हूं कि कितने देशों में प्रदर्शनियां आयोजित की गई थीं ?

श्री करमरकर : मेरा अनुमान है कि एक दर्जन अथवा इस से अधिक देशों में इन की आयोजना की गई थी किन्तु निश्चित संख्या के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री बी० के० दास : इन प्रदर्शनियों में बताई गई वस्तुओं का स्वरूप क्या था ?

श्री करमरकर : प्रधानतः गृह उद्योग वस्तुएं ।

श्री वी० पी० नायर : प्रदर्शनी के विशेष कार्यायुक्त पदाधिकारी ने विदेशों के कितने चक्कर लगाये और इस पर कुल कितना व्यय हुआ ?

श्री करमरकर : मेरा विचार है कि बार प्रदर्शनी के संचालक गये थे और दूसरी बार सहायक संचालक । व्यय के सम्बन्ध में पूर्व सूचना चाहिये ।

स्टोरेज बैटरीज़

*९५९. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टोरेज बेटरीज़ का वर्तमान उत्पादन देश की आवश्यकता पूर्ति के लिये पर्याप्त है; और

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो स्टोरेज बेटरीज़ के उत्पादन में देश को आत्मभरित बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). मोटरों के लिये स्टोरेज़ बेटरीज़ के सम्बन्ध में हम आत्मभरित हैं । दूसरी किस्मों का देशी उत्पादन वृद्धि पर है, किन्तु प्रत्येक प्रकार की स्टोरेज़ बेटरीज़ का उत्पादन देश में मितव्ययी सिद्ध नहीं होगा ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं बैटरी उत्पादनार्थ कुल अधिकृत क्षमता और उन का कुल उत्पादन जानना चाहता हूं ।

श्री करमरकर : मैं उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े माननीय मित्र को दे सकता हूं । १९५३ में जनवरी से अगस्त तक की अवधि के लिये प्राप्त नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्पादन निम्न प्रकार था :

मोटर गाड़ियों की बैटरी : हल्के और भारी कार्य के लिये	१,१४,७२४
मोटर साइकल बैटरी	४,९४६
रेडियो, ट्रेन लाईटिंग और स्टेशनरी बैटरीज़	३,७७४

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्टोरेज़ बैटरीज़ के लिये आवश्यक कच्चा सामान भारत में उपलब्ध है अथवा हम विदेशों पर निर्भर हैं ?

श्रीकरमरकर : कुछ भाग स्वदेश में उपलब्ध हैं और कुछ नहीं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : हम कच्चा सामान मंगाने पर कितना व्यय करते हैं ?

श्री करमरकर : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

बिजली के पंखे का उद्योग

*९६०. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस देश में बिजली के पंखे के उद्योग में कुल कितनी पूंजी लगी हुई है ?

(ख) इस उद्योग में विदेशी पूंजी का प्रतिशत क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन पंजीकृत

व्यवसाय के अनुसार बिजली के पंखे के उद्योग में कुल पूंजी लगभग २.२७ करोड़ रु० विनियोजित है। अनुमान है कि इस में लगभग ३० प्रतिशत विदेशी पूंजी है। कुल पूंजी में बिजली की मोटर और ट्रांसफार्मर्स आदि उद्योगों में विनियोजित पूंजी भी सम्मिलित है, इन में से कुछ व्यवसाय बिजली के पंखों के उत्पादन के अतिरिक्त अन्य कार्यों में लगे हुए हैं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: क्या मैं जान सकता हूं कि किस देश ने अधिकतम पूंजी लगायी है ?

श्री करमरकर : मेरे पास यह सूचना नहीं है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जान सकता हूं कि इन सब विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीकरण करने के लिये सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

श्री करमरकर : मैं नहीं समझता कि उद्योग के विदेशी भाग का राष्ट्रीकरण करने के लिये कोई पग उठाया गया है।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या इन औद्योगिक फर्मों को कोई सरकारी सहायता दी गई है ?

श्री करमरकर : नहीं, श्रीमान्।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि क्या पिछले दो वर्षों में इस उद्योग में विदेशियों को और पूंजी लगाने की अनुमति दी गई है या क्या विद्यमान विदेशी उद्योगों को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिये अनुज्ञायें दी हैं ?

श्री करमरकर : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि इस उद्योग को कोई तटकर रक्षा दी गई है ?

श्री करमरकर : हां, श्रीमान।

बिजली के पंखों का उद्योग

***९६१. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली के पंखों की वार्षिक मांग क्या है;

(ख) क्या उद्योग देश की आवश्यकता पूर्ण करने में समर्थ है; तथा

(ग) क्या सरकार विदेशों से बिजली के पंखों को आयात करने की अनुमति दे रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग). पंखों के कुछ विशेष प्रकारों के अतिरिक्त, देशीय उत्पादन देश की पूर्ण आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। इस आवश्यकता का अनुमान २५० लाख किया जाता है। किसी भी प्रकार के छत के पंखों के आयात करने की अनुमति नहीं दी जाती है, और थोड़े से अन्य प्रकार के पंखों का आयात किया जाता है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि भारत में बने पंखों का प्रकार विदेशों से मंगाये गये पंखों की अपेक्षा काफ़ी निम्न होता है ?

श्री करमरकर : श्रीमान्, यह अच्छा होता है और कभी कुछ बेहतर होता है।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : क्या मैं देश में पंखों की सम्पूर्ण मांग जान सकता हूं ?

श्री करमरकर : यह मैं एकदम नहीं बता सकता परन्तु अधिष्ठापित कारिता ३ ६०,१०१ पंखों की है।

गंधक का तेजाब

***९६४. डा० एम० एम० दास :** क्या **वाणिज्य** तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटकर आयोग ने यह सिफ़ारिश की है कि गंधक के तेज़ाब के उत्पादन

की लागत की जांच होनी चाहिये, तथा गंधक के तेज़ाब का मूल्य यथोचित मान पर बनाये रखने की दृष्टि से उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी चाहिये;

(ख) यदि हां तो, क्या सरकार ने सिफ़ारिश स्वीकार कर ली है;

(ग) यदि नहीं तो, इस के क्या कारण हैं; तथा

(घ) गंधक का तदागत मूल्य गंधक के तेज़ाब के उत्पादन की लागत का कितना प्रतिशत है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) हां, श्रीमान ।

(ख) तथा (ग). हां, श्रीमान् । प्रखर रसायन था उर्वरक सम्बन्धी विकास परिषद् से वह इस सिफ़ारिश पर विचार करने से सरकार पहले ही प्रार्थना कर चुकी है कि वह इस सिपारिश पर विचार करे और इसे कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक कार्यवाहियों का सुझाव दे ।

(घ) उद्योग के आकार तथा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के आधार पर इस में विस्तृत रूप में विभिन्नता है । साधारण आकारों की इकाइयों के मामले में गंधक के तटागत वर्तमान मूल्य के आधार पर यह लगभग ५० प्रतिशत होता है ।

डा० एम० एम० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को गंधक के तेज़ाब के अत्यधिक उच्च मूल्य के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, विशेष रूप से नहीं ।

डा० एम० एम० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि गंधक के तेज़ाब का उत्पादन-मूल्य निर्धारित करने के लिये सरकार ने क्या प्रभावी पग उठाये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : तट कर आयोग ने कभी कभी जो कुछ किया है उस के अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं जानता । यह प्रश्न एक ऐसा मामला है जिस पर सरकार विचार कर रही है ।

डा० एम० एम० दास : १५ अगस्त १९५३ के संकल्प में जिस में 'हाइड्रोकुइनोन' के सम्बन्ध में तटकर आयोग की सिफ़ारिश प्रकाशित हुई थी, तथा जिस में तटकर आयोग ने यह विशेष सिफ़ारिश की थी, सरकार ने कहा है कि वे यथोचित कार्यवाही करेंगे । क्या मैं जान सकता हूं कि इन यथोचित कार्यवाहियों से ठीक अभिप्राय क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वास्तव में, यह सरकार तथा तटकर आयोग का पारस्परिक मामला है । मामले को ध्यान में रखने के लिये हम तटकर आयोग से काम लेते हैं ।

श्री मुनिस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या हमारे देश में मिलों में गंधक के उपयोग को कम करने के लिये कोई नवीन ढंग खोजा गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नवीन ढंग ? मैं समझता हूं कि कोई नवीन ढंग नहीं खोजा गया है ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार गंधक के तेज़ाब सम्बन्धी उद्योग को आर्थिक सहायता देती है, यदि हां तो कितनी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे दी जाने वाली किसी भी आर्थिक सहायता का ज्ञान नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

डा० एम० एम० दास: तारांकित प्रश्न संख्या ९६५ तथा ९६६ एक ही विषय पर हैं । अतः वे दोनों एक साथ ही लिये जा सकते

और उन का उत्तर भी एक साथ दिया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हां । माननीय मंत्री दोनों प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं ।

कर्टिस कमांडोज़

*९६५. **डा० एम० एम० दास :** क्या **निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद** मंत्री कर्टिस कमांडोज़ के विक्रय के सम्बन्ध में ३ अगस्त १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३ का निर्देश करने तथा यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन वायुयानों तथा अतिरिक्त भागों का निर्यात आरम्भ हो गया है; तथा

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने वायुयानों तथा कितने प्रतिशत अतिरिक्त भागों का निर्यात हो चुका है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) एक वायुयान और ९० प्रतिशत अतिरिक्त भाग ।

कर्टिस कमांडोज़

*९६६. **डा० एम०एम० दास:** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मन्त्री कर्टिस कमांडोज़ के विक्रय के सम्बन्ध में ३ अगस्त १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३ का निर्देश करने तथा यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठेकों में वायुयानों तथा अतिरिक्त भागों का मूल्य पृथक पृथक लगाया गया है; यदि हां तो उन की क्रमशः धनराशि क्या है;

(ख) क्या ग्राहक द्वारा जमा की गई साई, तथा 'इम्पीरियल बैंक' द्वारा दिया गया साख-पत्र, ग्राहक को यह अधिकार देता है कि वह केवल अतिरिक्त भाग का ९० प्रतिशत निर्यात कर सकता है या उन भागों के अतिरिक्त ग्राहक को वायुयानों के निर्यात करने की भी अनुमति देता है;

(ग) क्या ठेके में कोई दण्ड उपबन्ध भी हैं, जिन के अनुसार वायुयानों का निर्यात न कर सकने पर ग्राहक को क्षतिपूर्ति करनी पड़े; तथा

(घ) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) अतिरिक्त भागों तथा वायुयानों के सम्बन्ध में एक ही ठेका है । फिर भी, मूल्यांकन के उद्देश्य से उन के मूल्य ले लिये गये हैं जो निम्न हैं :

वायुयान	३४,०६,७०० रु०
अतिरिक्त भाग	२४,९३,३०० रु०

(ख) से (घ). ठेके की शर्तों को पूरा करने के लिये साई एक प्रतिभूति होती है । ठेके के अन्तर्गत वायुयानों तथा अतिरिक्त भागों के निर्यात करने की अनुमति होती है परन्तु यह अनिवार्य नहीं होता है । सरकार ने ९० प्रतिशत अतिरिक्त भागों के निर्यात के विरुद्ध साख-पत्र को भुना कर लगभग ३३ लाख रु० प्राप्त किया है । ठेके की शर्तों में ग्राहक को प्रति वायुयान के लिये ५०,००० रु० दिये बिना कोई भी वायुयान लेने का अधिकार नहीं दिया गया है ।

डा० एम० एम० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि जिस फर्म के साथ हमारी सरकार ने कर्टिस कमांडोज़ के विक्रय के लिये ठेका किया है, वह वही फ़र्म है जिस ने जानी वस्त्र सौदा में भारत सरकार को १७ लाख रु० से अनुचित रूप में वंचित कर दिया था ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति । माननीय सदस्य को विशेषणों का प्रयोग नहीं करना चाहिये । वह पूछ सकते हैं कि क्या यह वही फर्म है ।

सरदार स्वर्ण सिंह : इस प्रश्न का सम्बन्ध वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय से है, परन्तु यह वही फर्म है जिस के बारे में प्रश्न पूछे गये हैं। इस फर्म का सम्बन्ध जापानी-वस्त्र-सौदा से था, जिसके बारे में मेरा विचार है कि अब झगड़ा चल रहा है और मामले को मध्यस्त-निर्णय के सुपुर्द करने का विचार है।

डा० एम० एम० दास : इस तथ्य को विचार में रखते हुए कि इस देश से विमानों के भागों के निर्यात पर इस समय प्रतिबन्ध लगा है तथा कि इस विशेष प्रसंविदा में इस प्रकार के भागों के निर्यात की विशेष अनुमति दी गई है, मैं जान सकता हूं कि अन्य प्रकारों के भागों का निर्यात न होने देने के लिए सरकार ने सावधानी के क्या क्या उपाय किये हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : श्रीमान, वस्तुतः इस सदन तथा दूसरे सदन के सदस्यों ने इस मामले का निर्देश किया था तथा इस अभिप्राय के अनुदेश जारी किये गये थे कि निर्यात के समय किसी दूसरी प्रकार के भागों को निश्चित रूप से मिलने न दिया जाय।

डा० एम० एम० दास : मैं यह जानना चाहता था कि दूसरे पुर्जों का निर्यात न होने देने के अभिप्राय से ठीक ठीक व्यवस्था क्या की गई है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह काम अधिकारियों को सौंपा गया था तथा निश्चित व्यवस्था की गई थी कि बन्द किए गए पुर्जों की वस्तुतः जांच पड़ताल की गई है तथा की उन में दूसरी प्रकार के पुर्जों को नहीं मिलाया गया है।

श्री टी० एन० सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या इस ठेकेदार द्वारा हमारे पास पड़े हुए विमानों को न लेने की अवस्था में सरकार के हितों की रक्षा की गई है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : श्रीमान्, यह आशा की गई है कि कुल क्रय-मूल्य को विचार में रखते हुए सरकार के पास वास्तव में जो सामान पड़ा है, वह शेष राशि के सम्बन्ध में सरकार की हानिपूर्ति के लिए काफ़ी होना चाहिये।

गेहूं के आटे का निर्यात

*९६७. **श्री बुच्चिकोटैय्या : वाणिज्य तथा खाद्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, १९५३ में आटा मिलों को निर्यात की अनुमति देने के बाद गेहूं के आटे की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया है;

(ख) क्या मिलों ने पूर्व युद्धकाल की निर्यात की मण्डियों को फिर अपने हाथ में कर लिया है; तथा

(ग) मुक्त किए गए माल के स्थान पर इन मिलों ने उसी काल में गेहूं का कितनी मात्रा का निर्यात किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) १० नवम्बर १९५३ तक भारत से २६० टन ६ हन्डरवेट गेहूं के आटे का निर्यात किया गया है।

(ख) उक्त काल में निर्यात के बहुत कम होने के आधार पर अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत कठिन है।

(ग) उक्त मिलों ने अभी गेहूं की कोई मात्रा आयात नहीं की है क्योंकि विद्यमान व्यवस्था के अन्तर्गत वे गेहूं के आयात को गेहूं के आटे के निर्यात की तिथि से छः मास के अन्दर अन्दर कर सकते हैं।

श्री बुच्चिकोटैय्या : कितनी मिलों को निर्यात की अनुमति दी गई है ?

श्री करमरकर : मेरे पास केवल एक का नाम है।

श्री हेडा : क्या सरकार ने निर्यात की अनुमति देने के लिये अधिक से अधिक कोई मात्रा निश्चित की है ?

श्री करमरकर : जी नहीं, अभी तो नहीं ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह सत्य है कि जिस सार्थ को निर्यात की अनुमति दी गई है, वह एक विदेशी सार्थ है ?

श्री करमरकर : नाम से तो यह एक विदेशी सार्थ ही जान पड़ता है । इसका नाम 'वालेख फलावर कम्पनी, लिमिटेड' बम्बई है ।

डा० एम० एम० दास : कितनी फैक्टरियों में गेहूं के आटे के निर्यात के लिये सरकार को प्रार्थना पत्र भेजे थे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : श्रीमान्, यह एक जटिल प्रक्रिया है । जो लोग आटे का निर्यात करना चाहते हैं, उन्हें प्रादेशिक खाद्य आयुक्त से अनुमति लेनी पड़ती है । सब कुछ हो चुकने के बाद मामला आयात तथा निर्यात नियंत्रक के पास जाता है । अतएव ये तथ्य हमारे पास नहीं हैं कि कितने व्यक्तियों ने प्रार्थना पत्र दिये तथा विभिन्न फर्मों पर कितने मामलों में स्वीकृति दी गई । हमें तो की गई सिफारिशों के अन्तिम परिणाम का पता लगता है ।

सीमाओं पर धावे

*९६८. **श्री गिडवानी : प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि अक्तूबर, १९५३ में पाकिस्तान से सशस्त्र डाकुओं ने लखपत तालुक (कच्छ) के कुछ ग्रामों पर धावे किये थे तथा वह ग्राम निवासियों का सम्पत्ति लूट कर दौड़ गये थे ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खान) : हां, श्रीमान ।

श्री गिडवानी : लूटी गई सम्पत्ति का मूल्य कितना था ?

श्री सादत अली खान : ७३७३ रुपये के लगभग ।

श्री गिडवानी : पाकिस्तान से डाकुओं ने कितनी बार कच्छ राज्य के स्थानों पर धावे किये हैं और गिरफ्तारी से बच गये हैं ?

श्री सादत अली खान : इस सम्बन्ध में मेरे पास इस समय तो सूचना नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : किस किस प्रकार की सम्पत्ति को लूटा गया है ?

श्री सादत अली खान : नगदी, वस्त्र तथा भूषण ।

बेरियम नमक (साल्ट)

*९७१. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत में बेरियम नमकों के बनाये जाने की कोई सम्भावना है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि इन नमकों के बनाने के लिये आवश्यक वस्तुयें भारत में बहुतात से मिलती हैं ?

(ग) सरकार उनके निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये क्या उपाय कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान्, वस्तुत: कुछेक प्रकार के बेरियम नमक भारत में पहले से ही बनाये जा रहे हैं ।

(ख) दो प्रकार के सामान्य बेरियम खनिज पदार्थों में से बिरिट्स तो भारत में व्यापार के लिये अपेक्षित मात्रा में मिलता

है, परन्तु विपरिट काम चलाने के लिये भी अपेक्षित मात्रा में नहीं मिलता ।

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५९**]

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : भाग (ख) के उत्तर में, माननीय मंत्री ने कहा है कि देश में कुछ कच्ची वस्तुयें नहीं मिल रही हैं । मैं जान सकती हूं कि इन नमकों के निर्माण के लिये कच्ची वस्तुओं की कितनी मात्रा का आयात किया जा रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : भाग (ख) के उत्तर में मैं ने कहा कि बिरिट्स व्यापारिक आवश्यकताओं के लिये अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध है तथा विपरिट काफी मात्रा में उपलब्ध नहीं है ।

श्री रघवय्या : कच्ची वस्तुओं की कितनी मात्रा का इस देश में न मिलने से आयात करना पड़ता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसा कि मैं ने कहा बिरिट्स इस देश में मिलता है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्रीमान्, बैरियम नमक को मुख्यत: किस प्रयोग में लाया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल भिन्न प्रकार की सूचना के सम्बन्ध में है । अगला प्रश्न ।

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण क्षेत्र में शिक्षा

*९७३. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारत के उत्तर पूर्वी सीमान्त क्षेत्र की आदिम जातियों के सदस्यों की शिक्षा के लिये क्या विशेष योजना बनाई है; तथा

(ख) शिक्षा सम्बन्धी योजना के किन ब्यौरों को अभी तय किया जायेगा ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खान) : (क) तथा (ख)। सरकार का मत है कि उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के क्षेत्र के विद्यालयों को बुनियादी तालीम की योजना के अनुसार चलाया जाना चाहिये । परन्तु इसे स्वभावत: उस क्षेत्र की विशेष हालत के अनुकूल बनाया जायगा । योजना के ब्योरे को हिन्दुस्तानी तालीमी संघ से परामर्श करके तय किया जा रहा है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्रीमान्, मैं जान सकती हूं कि क्या उस क्षेत्र में आदिम-जातियों के व्यक्तियों के लिये विशेष कार्यक्रम के प्रसारण के लिये उच्च शक्ति वाले ट्रान्स-मिटर लगाने की कोई प्रस्तावना की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न सूचना तथा प्रसारण मंत्री से किया जाना चाहिये ।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या उत्तर पूर्वी सीमान्त क्षेत्र में कोई पुस्तकें उस क्षेत्र की भाषाओं में भी छापी जा रही हैं तथा यदि ऐसा है तो कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि इस विषय पर दो तीन दिन पहले प्रश्न किये गये थे ।

श्री सादत अली खान : जी हां ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्रीमान्, मैं जान सकती हूं कि उस क्षेत्र में कितने बुनियादी विद्यालय खोले गये हैं ?

श्री सादत अली खान : अभी हमारे पास इनका कोई ब्योरा नहीं है ।

श्री नानादास : श्रीमान्, उन विभिन्न संस्थाओं के नाम क्या हैं जो इस क्षेत्र में शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण दे रही हैं ?

श्री सादत अली खान : सभी सरकारी विद्यालय ।

संगमरमर

*१७५. **श्री बलवन्त सिंह महता :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मकराने की संगमरमर की खानें देश की कुल ज़रूरत को पूरा कर सकती हैं ; तथा

(ख) इटेलियन मार्बल को देश में आयात करने की क्या आवश्यकता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) जुलाई-दिसम्बर १९५२ की छः माही में आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था । व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं से इस अभिप्राय के कुछेक अभयावेदन प्राप्त हुये थे कि कमी को स्वदेशी उत्पादन द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है तथा कि उन के व्यापार को हानि पहुंच रही है । जुलाई-दिसम्बर, १९५३ के छः मास के सम्बन्ध में पूर्ण प्रतिबन्ध को हटा लिया गया था तथा अभ्यंश के ५० प्रतिशत भाग की अनुमति दे दी गई थी । यह भी पता लगा है कि इमारतें बनाने के व्यापार द्वारा अपेक्षित कुछेक रंगों के संगमरमर देश के अन्दर उपलब्ध नहीं हैं

श्री बलवन्त सिंह महता : क्या सरकार को पता है कि संगमरमर खनन तथा निर्माण दोनों उद्योग विदेशी प्रतियोगिता के कारण संकट का सामना कर रहे हैं और जिस के फलस्वरूप लगभग २०,००० व्यक्तियों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है ?

श्री करमरकर : जहां तक मुझे मालूम है, हो सकता है यह बिल्कुल ठीक न हो, संगमरमर खनन उद्योग को इसलिये कठिनाई हो रही है और उस की उत्पादन लागत इसलिये ऊंची है क्योंकि मुख्य खानों को, जहां से संगमरमर निकाला जाता है, विद्युत उपलब्ध नहीं है ।

श्री बलवन्तसिंह महता: सरकार की ऐसी वस्तुओं के आयात के बारे में क्या नीति है जो देश में ही बहुतायत से उपलब्ध हैं ?

श्री करमरकर : हमारी नीति यह है कि जहां आवश्यक और वांछनीय समझा जाये, आयात में कमी की जाये ।

श्री कासलीवाल : इन खानों से प्रति वर्ष कितना संगमरमर निकाला जाता है ?

श्री करमरकर : मैं आप को मोटे तौर पर उत्पादन के आंकड़े देता हूं : संगमरमर—१३ लाख क्यूबिक फ़ीट प्रति वर्ष, संगमरमर की पटियें—२.५ लाख तथा संगमरमर की टाइलें—लगभग १४००० टन ।

श्री मेघनाद साहा : क्या उद्योग को आधुनिक बनाने के लिये कोई क़दम उठाये गये हैं ?

श्री करमरकर : यह कहना कठिन है । मैं समझता हूं राजस्थान सरकार इस पर विचार कर रही है ।

श्री दामोदर मेनन : माननीय मंत्री ने कहा कि सरकार की नीति यह है कि जहां आवश्यक हो आयात में कमी की जाये । क्या सरकार संगमरमर के आयात में कमी करना आवश्यक समझती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : बात यह है कि हम ने संगमरमर का आयात कुछ समय के लिये बिल्कुल बन्द कर दिया था परन्तु इमारतें बनाने का काम करने वाले कुछ लोगों ने यह

शिकायत की कि उन्हें संगमरमर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है । तो वास्तव में दोनों तरह से ही मुश्किल है । इसलिये एक बीच का मार्ग अपनाना पड़ा है और इसी उद्देश्य को ले कर वर्तमान आयात नीति निर्धारित की गई है ।

कपड़ा (निर्यात)

*९७६. **श्री कासलीवाल : वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हांगकांग में कपड़े का बाज़ार भारत के हाथ से निकल रहा है ; तथा

(ख) यदि हां तो क्यों ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) जी नहीं । वास्तव में १९५३ के पहले दस महीनों में हांगकांग को हम ने जितना कपड़ा निर्यात किया था उस की मात्रा १९५२ के उसी काल में निर्यात की गई मात्रा के मुक़ाबले में कुछ अधिक थी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री कासलीवाल : क्या यह सच है कि हांगकांग के लोग कटपीस की अपेक्षा, जो वहां भेजे जाते हैं, थान अधिक पसन्द करते हैं ?

श्री करमरकर : आम तौर से ये थान ही होते हैं ।

श्री कासलीवाल : मेरा प्रश्न यह था : मुझे बताया गया है कि निर्यातकर्ता थान की बजाय केवल कटपीस ही भेज रहे हैं; क्या यह बात सच है ?

श्री करमरकर : मैं समझता हूं ऐसी बात नहीं है ।

श्री रघवय्या : क्या हांगकांग के एक स्वतंत्र बन्दरगाह होने के कारण ही भारत के हाथ से कपड़े के बाजार निकल रहे हैं।

श्री करमरकर : हमारे हाथ से बाज़ार जा नहीं रहे हैं; हमें तो और बाज़ार मिल रहे हैं ।

हैदराबाद स्पिनिंग एंड विविंग मिल्स

*९७७. **श्री टी० बी० बिट्ठल राव** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को पता है कि हैदराबाद स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स के प्रबन्धकों ने १ दिसम्बर, १९५३ से मिल बन्द करने का फ़ैसला किया है ?

(ख) क्या हैदराबाद सरकार ने केंद्रीय सरकार को मिल बन्द करने के कारणों के बारे में जांच करने के लिये लिखा है ?

(ग) यदि लिखा है तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) यद्यपि मिल ने बन्द करने का नोटिस दे दिया है, परन्तु मुझे पता लगा है कि वह वास्तव में अभी बन्द नहीं हुई है ।

(ख) जी हां ।

(ग) राज्य सरकार को यह सूचित कर दिया गया है कि इस मिल के चलाने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और इस की मशीनें बदलवाने तथा इमारतें ठीक कराने की आवश्यकता है । उन से कह दिया गया है कि उन्हें मिल की हालत ठीक करने के लिये पैसा लगाने वाले किसी व्यक्ति की तलाश करनी चाहिये ।

श्री टी० बी० बिट्ठलराव : वह जांच किस ने की थी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जांच विभाग द्वारा की गई थी ।

श्री टी० वी० विट्ठल राव : क्या जांच अधिकारी मजदूरों के प्रतिनधियों से मिला था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वह कोई अदालती जांच नहीं थी; केवल विभाग द्वारा जांच हुई थी ।

परिवहन तथा बाजार संबन्धी सुविधायें

*९७८. **श्री संगण्णा : वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बृहस्पतिवार, १९ नवम्बर १९५३ के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में पृष्ठ ९ पर कालम ५ में "उड़ीसा खान मालिकों की कठिनाईयों" शीर्षक के अन्तर्गत परिवहन तथा बाज़ार सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में छपे समाचार की ओर गया है ; तथा

(ख) यदि हां तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कुछ करने का विचार रखती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां । इस तरह का समाचार छपा था ।

(ख) प्रत्यक्ष रूप से इस समाचार का सम्बन्ध कच्चे लोहे और कच्चे मैंगनीज़ से है । भारत सरकार ने खान मालिकों की इस मांग को पहले ही ध्यान में रखा था कि निर्यात व्यापार म उन का भी हिस्सा हो । भारत सरकार द्वारा ११ नवम्बर १९५३ को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में घोषित कच्चे मैंगनीज़ और कच्चे लोहे से सम्बन्धित निर्यात नीति में, इन लोगों द्वारा निर्यात की जाने वाली मात्रा के बारे में उचित व्यवस्था की गई है । खान मालिकों को उन के द्वारा निर्यात की जाने वाली मात्राओं के आधार पर यातायात संबंधी सुविधायें दी जायेंगी ।

श्री संगण्णा : इस समय जो मात्रा निश्चित की गई है क्या उस के बारे में उन का ध्यान १४-१२-५३ के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया ह कि उड़ीसा सरकार ने योजना आयोग को दिये गये उत्तर में यह कहा है कि उड़ीसा में वैगन मिलने की स्थिति असंतोषजनक है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वास्तव में वैगनों के मिलने का मामला इस मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री संगण्णा : क्या उड़ीसा के वाणिज्य तथा उद्योग मंडल के सचिव ने भारत सरकार से कभी इस स्थिति के बारे में अभ्यावेदन किया था; यदि किया था तो सरकार ने इस मामले में क्या फ़ैसला किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : देर इसलिये नहीं होती कि सरकार निर्यात पर पाबन्दी लगाना चाहती है । इस की वजह वैगनों की कमी है, जिन्हें ज़रूरतमन्द लोगों में बांटना होता है । हमें अभिवेदन प्राप्त होते हैं परन्तु जब तक वैगनों की कमी है, हम इस से अधिक कुछ करने में असमर्थ हैं ।

ट्रांसमिटर

*९८०. **श्री बी० सी० दास :** (क) **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ५० किलोवाट वाले पांच या छः ट्रांसमीटर, जो भारत में १९४८-४९ तथा १९४९-५० में आयात किये गये थे, अब भी गोदामों में पड़े हुए हैं ?

(ख) इन ट्रांसमिटरों का मूल्य कितना है और इन्हें गोदामों में रखने तथा देखभाल पर अब तक कितना रुपया खर्च हुआ है ?

(ग) इन ट्रांसमिटरों को क्यों खरीदा गया था और अब तक इन्हें काम में नहीं लिये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : पांच ट्रांसमिटरों में से, जिन का माननीय सदस्य ने ज़िक्र किया है, एक को लगाया जा रहा है और उस का काम पूरा होने ही वाला है; दो ट्रांसमिटरों को अहमदाबाद और जालन्धर भेजा जा रहा है जहां

उन्हें लगाया जायेगा; शेष दो अगले वित्तीय वर्ष की पहली छमाही तक, जबकि उन के लगाने का काम शुरू होगा, गोदाम में रखे रहेंगे ।

(ख) इन ट्रांसमिटरों का मूल्य लगभग २५.३० लाख रुपये हैं । गोदामों में इन्हें ठीक हालत में रखने पर अब तक लगभग २.२२ लाख रुपये खर्च हुए हैं ।

(ग) ये ट्रांसमिटर प्रसारण-विकास संबंधी आठ-वर्षीय योजना के सिलसिले में मंगाये गये थे, बाद में इस योजना में पंच-वर्षीय योजना के आधार पर फेर-बदल कर दी गई थी । इन ट्रांसमिटरों के लगाने में जो देर हुई है, वह सरकार के वश के बाहर की बात थी । जब ट्रांसमिटर आये थे और उन के लगाने का काम शुरू नहीं हुआ था, उस समय देश को बहुत बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था और दो या तीन वर्ष तक सब प्रकार के विकास कार्यों में कमी करनी पड़ी थी । उस समय आय छंटनी भी की गई थी । इसलिये बहुत सोच-विचार के बाद यह फ़ैसला किया गया कि इन ट्रांसमिटरों के लगाने का काम भी जिस पर लगभग ४० या ५० लाख खर्च आता, स्थगित कर दिया जाये । आर्थिक स्थिति में सुधार होते ही सब से पहले इन ट्रांसमिटरों के लगाने के काम को ही हाथ में लिया गया है । एक ट्रांसमिटर तो अगले छः या आठ सप्ताहों में काम करने लगेगा; दो अप्रैल १९५४ के शुरू में तैयार हो जायेंगे और बाकी दो के लगाने का काम अगले वित्तीय वर्ष के आरम्भ में शुरू हो जायेगा; आशा की जाती है यह काम छः या आठ महीनों में खत्म हो जायेगा ।

श्री बी० सी० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि ये ट्रांसमीटर किस देश से खरीदे जाते हैं ?

डा० केसकर : श्रीमान्, मेरे पास निर्माताओं के नाम नहीं हैं। यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूं, तो यह वेस्टिंगहाऊस है ।

श्री बी० सी० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार प्रति वर्ष इन ट्रांस-मीटरों के संधारण पर क्या व्यय कर रही है ?

डा० केसकर : श्रीमान्, मैं ने अभी बताया है कि अब तक व्यय की गई राशि २२.२ लाख रुपया है । यदि मेरे माननीय मित्र प्रति वर्ष व्यय की गई राशि जानना चाहते हैं तो मुझे उस प्रश्न के लिए पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि वैसे ट्रांसमीटर का इस समय देश में पहुंचने पर क्या मूल्य होता है ?

डा० केसकर : उस के लिए भी मुझे अलग पूर्व सूचना चाहिये ।

संयुक्तराज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति का आगमन

*९८१. { **पंडित सी० एन० मालवीय :**
श्री जी० पी० सिन्हा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति श्री आर० निक्सन की ओर से एशिया के देशों के भ्रमण के सम्बन्ध में भारत आने के लिये कोई प्रार्थना मिली थी ;

(ख) यदि हां, तो उन के आने का प्रयोजन क्या था ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खान) : (क) तथा (ख). विदेश मंत्रालय को संयुक्त राज्य अमेरिका के उप-राष्ट्रपति श्री आर निक्सन के भारत सहित विभिन्न देशों के भ्रमण के सम्बन्ध में सूचना मिली थी । इस पर भारत सरकार ने उन्हें भारत के भ्रमण में सरकारी अतिथि बनने

के लिये आमंत्रित किया । इस भ्रमण को सद्भावना का भ्रमण कहा गया है ।

पंडित सी० एन० मालवीय : क्या इस सिलसिले में यू० एस० और पाकिस्तान मिलेटरी पैक्ट के सम्बन्ध में कोई बातचीत हुई थी ?

श्री सादत अली खान : श्रीमान्, संयुक्त राज्य की सरकार को इस संबंध में हमारी नीति का ज्ञान है ।

अध्यक्ष महोदय : उन का प्रश्न है कि क्या उन के साथ इस विषय के सम्बन्ध में कोई बातचीत हुई थी ?

श्री सादत अली खांन : हां, श्रीमान्, मेरा अनुमान है कि सब महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई होगी ।

श्री जी० पी० सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि वे प्रमुख व्यक्ति कौन थे जिन्हें श्री निक्सन दिल्ली में मिले ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : पूरी लिस्ट तो इस वक्त नहीं दी जा सकती ।

श्रीमती सुषुमा सेन : मैं जान सकती हूं कि क्या पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच समझौते के सम्बन्ध में जिस पर हस्ताक्षर किये जाने की सूचना मिली है श्री निक्सन को स्पष्ट विदित कर दिया गया था ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

द्विपक्षीय करार

९४३. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या किसी द्विपक्षीय करार में अब तक कुटीर उद्योग के उत्पाद सम्मिलित किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : हां, श्रीमान् ।

टाइलों का निर्यात

*९६२. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि हाल में भारत से टाईलों के निर्यात में कमी हो गई है ?

वाणिज्य मंत्री श्री (करमरकर) : हां श्रीमान् । अप्रैल-सितम्बर १९५३ के निर्यात आंकड़ों से पता चलता है कि १९५१-५२ के तत्स्थानी कालावधि के आंकड़ों की तुलना में कमी हुई है ।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत उद्योग

*९६३. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **सिचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को नदी घाटी परियोजनाओं के रचना कार्य से छुटकारा दिलाने की कोई प्रस्थापना है ; तथा

(ख) यदि हां, तो किस अभिकर द्वारा रचना कार्य किया जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) तथा (ख). यह निर्णय किया गया है कि साधारणतः केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग किसी परियोजना के कार्य को हाथ में नहीं लेगा । यह सम्बन्धित राज्य का उत्तरदायित्व होगा परन्तु यदि संबंधित अनुभव न होने के कारण अथवा अन्य कारणों से स्वयं रचना कार्य केन्द्र को सौंपना चाहे तो परियोजना कार्य के निरीक्षण के लिए पृथक संघठन स्थापित किया जायेगा ।

दामोदर घाटी परियोजना से विद्युत संभरण

*९६९. **श्री अमजद अली** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी परियोजना में उत्पादित विद्युत के वर्तमान उपभोक्ता कौन हैं ?

(ख) उन्हें किस दर पर विद्युत देने का निर्णय हुआ है ; तथा

(ग) इस शीर्षक के अधीन कुल कितनी आय की आशा है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) । तक एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६०]**

कृषि के औजार

*९७०. **श्री झूलन सिन्हा** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि क्या कृषि के औजारों का आयात प्रति वर्ष कम हो रहा है अथवा बढ़ रहा है ?

(ख) देश की वर्तमान स्थिति में स्वदेशी उत्पादन द्वारा इन आयातों को कहां तक कम करने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) कम हो रहा है ।

(ख) स्वदेशी उत्पादन में मुख्यतः वृद्धि हस्त-संचालित औज़ारों में हुई है जब कि यंत्र चालित कृषि की मशीनरी के लिए देश की इतनी मांग नहीं है कि लाभदायक उत्पादन किया जा सके ।

इंजीनियरिंग उद्योग

*९७२. **डा० अमीन** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उस प्रतिवेदन की प्रमुख बातें क्या हैं जो कि इंजीनियरिंग उद्योग के न काम आने वाले सामर्थ्य के परिमाप के लिए नियुक्त की गई समिति ने दी है ?

(ख) समिति के पूर्ण प्रतिवेदन की कब तक आशा है ?

(ग) क्या इस पूर्ण प्रतिवेदन के मिलने पर इस की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाएगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) यह समिति प्रथमतया इंजीनियरिंग उद्योग के न काम आने वाले सामर्थ्य के परिमाप के लिए और ऐसी प्रणाली का सुझाव देने के लिए नियुक्त की गई है जिस पर प्रत्येक प्रकार के इंजीनियरिंग उद्योग का पूर्ण अध्ययन किया जा सके । उन्हों ने निम्न लिखित उद्योगों के सम्पूर्ण अध्ययन का सुझाव दिया है :

(१) निर्माण सम्बन्धी इंजीनियरिंग ।

(२) मशीनी औज़ार ।

(३) कपड़े सम्बन्धी मशीनरी (पटसन, रेशम तथा कृत्रिम रेशम सहित) ।

(४) ढलाई के कारखाने, और

(५) डाई बनाना ।

उन्हों ने सरकार की आवश्यकताओं के मेल और योजना तथा कतपय उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री, यंत्रसामग्री के नंवीकरण और अन्य इसी प्रकार के विषयों के सम्बन्ध में विचार प्रकट किए हैं उन सब पर सरकार विचार कर रही है ।

(ख) तथा (ग)। यह आशा नहीं की जाती कि यह समिति इस रूप में सम्पूर्ण प्रतिवेदन देगी जिस रूप में कि विशेष प्रयोजनों के लिए नियुक्त की गई अन्य समितियां प्रतिवेदन देती हैं। इस समय यह समिति मंत्रालय की परामर्श-दात्री समिति के रूप में कार्य करती है और इस प्रश्न पर कि यह समिति

इसी रूप में कार्य करे अथवा इस की पुनर्रचना हो, या इसे भिन्न कार्य सौंपा जाए या इसे बन्द कर दिया जाए, सरकार समिति के अग्रेतर प्रगति करने पर विचार करेगी ।

काफी बोर्ड श्रमिक संघ

*९७४. **श्री नम्बियार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय काफी बोर्ड श्रमिक संघ के इस प्रार्थनापत्र पर कि उन्हें मान्यता दी जाये क्या कार्यवाही की गई है और इस समय इस विषय की क्या स्थिति है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : भारतीय काफी बोर्ड ने संघ को मान्यता नहीं दी ।

राजस्थान में सिंचाई और विद्युत के साधन

*९७९. **श्री भीखा भाई** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हाल में राजस्थान में सिंचाई और विद्युत के साधनों को ढूंढने के लिए कोई परिमाप किया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : हां श्रीमान्, कुछ परिमाप किए गये थे ।

भारत-नैपाल प्रत्यर्पण सन्धि

*९८२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत नेपाल प्रत्यर्पण सन्धि के अन्तर्गत अब तक कितने आदमियों को भारत सरकार ने नेपाल सरकार के तथा नेपाल सरकार ने भारत सरकार के हवाले किया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अलीखान) : भारत तथा नेपाल के बीच नई प्रत्यर्पण सन्धि पर २ अक्तूबर, १९५३ को हस्ताक्षर हुए थे और यह उस के एक मास बाद लागू हो गई थी । जहां तक हमें मालूम है २ नवम्बर १९५३ के बाद भारत और नेपाल के बीच कोई प्रत्यर्पण नहीं हुआ है । इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से पूरी जानकारी इकट्ठी की जा रही है ।

सुगन्धित (तेल)

*९८३. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देश में प्रति वर्ष सुगन्धित तेल कितनी मात्रा में तैयार किए जाते हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : अनुमान है कि इन तेलों का वार्षिक उत्पादन १४ लाख पौण्ड है ।

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण

*९८४ { **श्री भागवत झा** : **श्री रिशांग किशिंग** : **श्री एन० एम० लिंगम** :

(क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के तागिन क्षेत्र में दाफ्ला जनजाति के लोगों ने जिन व्यक्तियों को पकड़ रखा था, उन्हें छोड़ दिया गया है ?

(ख) क्या इस जनजाति के लोग सरकारी सेना के जाने पर शान्तिपूर्ण रहे हैं या कि वह उन की राह में रुकावट डाल रहे हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खांन) : (क) तागिन लोगों ने लगभग १२ व्यक्तियों को, जिन्हें उन्हों ने रोक रखा था, लौटा दिया है ।

(ख) हमारी सेना का अभी तक कोई मुकाबिला नहीं किया गया । आस पास के क्षेत्रों की जनजातियों के लोगों ने सच्चे दिल से सहयोग देने का प्रस्ताव किया है ।

मंत्रियो के लिए प्रवेश पत्र (वीजा)

*९८५. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जिन मांझियों को प्रतिवर्ष कुड्डलोर ओ० टी० (मद्रास राज्य)

से ट्यूटीकोरिन और लंका तक जाना पड़ता है, उन्हें लंका सरकार ने प्रवेश पत्र देना बन्द कर दिया है ?

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अलीखान) : (क) लंका सरकार पहले तो एक वर्ष में होने वाली सभी यात्राओं के लिए प्रवेश-पत्र दिया करती थी । अब वह केवल एक यात्रा के लिए प्रवेशपत्र देती है ।

(ख) लंका सरकार के साथ इस सम्बन्ध में बातचीत की गई है और उस के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है ।

टेबुल द्वीप

*९८६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा सरकार ने भारत सरकार से यह इच्छा प्रकट की थी कि टेबुल द्वीप बर्मा को लौटा दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अलीखान) : (क) और (ख)। टेबुल द्वीप कोको द्वीप समूह में है जोकि बंगाल की खाड़ी में उत्तरी अण्डमान और बर्मा के तट के बीच स्थित है । भारत सरकार और बर्मा सरकार के एक करार के अधीन टेबुल द्वीप पर भारत सरकार का एक प्रकाश स्तम्भ है जिस की वह देखभाल करती है । जून १९५२ में बर्मा सरकार ने इस प्रकाश स्तम्भ का प्रबन्ध स्वयं संभालने की इच्छा प्रकट की । भारत सरकार ने, बर्मा सरकार को लिखा है कि वह भारत को यह प्रकाश स्तम्भ २५ वर्ष के लिए किराए पर दे दे क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जहाज़ों के आने जाने के लिए इस का बड़ा महत्व है । बर्मा सरकार ने अभी इस का उत्तर नहीं दिया है ।

लाइसेन्स समिति

*९८७. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन बनाई गई लाइसेंस समिति को मद्रास राज्य के कितने व्यक्तियों ने लाइसेंसों के लिए प्रार्थना पत्र दिए ?

(ख) उन में से कितने व्यक्तियों को लाइसेंस दिए गए ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) ७१ ।

(ख) लाइसेंस समिति ने अभी तक ६३ प्रार्थना पत्रों पर विचार किया है और उन में से ४९ फर्मों को लाइसेंस दे दिए गए हैं । सरकार ने लाईसेंस देने के तीन और प्रस्ताव स्वीकार कर लिए हैं और सम्बद्ध फर्मों को बता दिया गया है कि किन शर्तों पर उन्हें लाइसेंस दिए जा सकते हैं । वे इन शर्तों को मान लें, तब उन्हें लाइसेंस दिए जायेंगे ।

(खान सम्बन्धी) टेक्नीकल परामर्शदात्री समिति

*९८८. **श्री टी०बी० बिट्ठल् राव** : (क) क्या उत्पादन मंत्री १५ अप्रैल, १९५३ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १३३३ के उत्तर को ध्यान में रख कर यह बतलाने की कृपा करेंगे कि (खान सम्बन्धी) टेक्नीकल परामर्शदात्री समिति ने उन कोयला-खानों के सम्बन्ध में अपनी जांच पूरी कर ली है जहां से कोयला निकालने में बड़ी हानि होती है और जहां कोयले को बचा रखने के लिए, कोयले की तहों के थाक लगाने पर शीघ्र विचार करना चाहिए ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार समिति की सिफ़ारिशों की प्रति सदन पटल पर रखन का विचार कर रही है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) (क) और (ख). समिति ने धातु शोधन के काम में आने वाले कोयले की सभी खानों की जांच नहीं की है। इस ने अभी तक केवल १४ कोयला खानों के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्टें और सिफ़ारिशें की हैं।

अलग अलग खानों के सम्बन्ध में ये रिपोर्टें कोयला बोर्ड को दी गई हैं और उस ने उन्हें अन्तिम रूप से निपटाया नहीं है। सरकार, उचित समय पर, परामर्शदात्री समिति के परिणामों तथा सिफ़ारिशों और कोयला बोर्ड के निर्णयों की प्रति सदन पटल पर रखने के प्रश्न पर विचार करेगी।

रोजगार केन्द्र

*९८९. **श्री नानादास :**
श्री नवल प्रभाकर:

(क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने अक्तूबर और नवम्बर, १९५३ में क्लर्कों के कितने रिक्त स्थानों की सूचना रोज़गार केन्द्रों को दी ?

(ख) उनमें से कितने स्थान अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिये सुरक्षित रखे गए थे ?

(ग) अनुसूचित जातियों के कितने उम्मीदवारों को इन स्थानों के लिए अन्तिम रूप से चुन लिया गया है या इन स्थानों पर नियुक्त कर दिया गया है ?

(घ) यदि अनुसूचित जाति का कोई उम्मीदवार नहीं रखा गया तो इस का क्या कारण है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी०कृष्णमाचारी) : (क) टाइपिस्टों के छः स्थान।

(ख) सभी।

(ग) कोई भी नहीं।

(घ) रोजगार केन्द्र ने अनुसूचित जाति के दो उम्मीदवारों को नामज़द किया था परन्तु उन्हें नियुक्त नहीं किया गया क्योंकि टाइप में उनकी स्पीड निश्चित स्तर से बहुत कम थी।

ऊन का निर्यात

*९९०. **पंडित एम० बी० भार्गव :**
श्री ज्वाला प्रसाद :
श्री रघुनाथ सिंह :

(क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने १७ नवम्बर १९५३ या उसके आसपास, निर्यात के लाइसेंस देने सम्बन्धी जिस नीति की घोषणा की थी उसका ब्यौरा क्या था ?

(ख) अब तक भारत सरकार की जो नीति रही है, उससे यह नीति कैसे भिन्न है ?

(ग) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय ऊन व्यापार संघ तथा बिना तैयार की ऊन के व्यापार से सम्बद्ध अन्य लोगों ने इस नीति का विरोध किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जनवरी से जून १९५३ तक कच्ची ऊन के निर्यातिकों को अपने माल का ६० प्रतिशत भाग तक भेजने की अनुमति थी। जिन निर्यातकों ने इस अवधि में माल नहीं भेजा था परन्तु जनवरी-जून, १९५१ या जनवरी–जून, १९५२ में माल भेजा था, उन्हें तदर्थ आधार पर लाइसेंस दिए जा रहे हैं। १६ नवम्बर, १९५३ की प्रेस विज्ञप्ति, जिसमें इस नीति की घोषणा की गई थी, की एक प्रति सदन पटल पर रखी

जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६१]**

(ख) यह नीति उस नीति से भिन्न नहीं है जो कि सितम्बर-अक्तूबर १९५३ में कच्ची ऊन के निर्यात के सम्बन्ध में अपनाई गई थी। इससे पहले निर्यात के लिए लाइसेंस अधिकाधिक मात्रा के अधीन रहते हुए, जहाज़ बीजकों के आधार पर बिना रोक टोक के दिए जाते थे ।

(ग) अखिल भारतीय ऊन व्यापार संघ ने नई नीति के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है । परन्तु कुछ और ऐसे लोग भी हैं जो इस नीति से सन्तुष्ट हैं ।

मूंगफली

*९९१. **श्री जेठालाल जोशी** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष मूंगफली का उत्पादन अनुमानत: कितना है ?

(ख) इसमें से कितनी मूंगफली निर्यात के लिए मिल सकेगी ?

(ग) जनवरी से अगस्त १९५३ तक कितनी मूंगफली बाहर भेजी गई ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) १९५३-५४ के मौसम में मूंगफली के उत्पादन का अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) अभी यह नहीं बताया जा सकता ।

(ग) जनवरी से अगस्त, १९५३ तक १०,१०७ टन मूंगफली बाहर भेजी गई ।

आतिशबाजी और पटाखे

*९९२. **श्री वीरस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन और जापान से आतिशबाज़ी और पटाखों का आयात जो कि १९४७ में बन्द कर दिया गया था, की अनुमति पिछले वर्ष से दी गई है ?

(ख) यदि हां तो चीन और जापान से १९५२ में और १९५३ में अब तक कितनी आतिशबाज़ी मंगाई गई है और १९५४ में कतनी मंगाए जाने की आशा है ; और

(ग) क्या देश में आतिशबाज़ी बनाने वालों ने सरकार से यह शिकायत की है कि इस नई नीति से उन पर बुरा प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, हां । नमूने के तौर पर इस वर्ष से आयात की अनुमति दी गई है ।

(ख) जापान से आतिशबाज़ी नहीं मंगाई गई । १९५३ (जनवरी–अक्तूबर) में चीन से २२५० पौंड आतिशबाज़ी मंगाई गई ।

अभी यह नहीं बताया जा सकता कि १९५४ में कितनी आतिशबाज़ी मंगाई जायगी ।

(ग) कुछ स्थानीय निर्माताओं ने अभ्यावेदन भेजे हैं । उनकी मुख्य शिकायत यह है कि आयात केवल वही लोग कर सकते हैं जो पहले से आयात करते आए हैं ।

प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधि

*९९३. **डा० रामा राव** : (क) **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १ अगस्त, १९५३ से ३० नवम्बर, १९५३ तक प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधि के लिए कुल कितना रुपया प्राप्त हुआ है ?

(ख) गोदावरी बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए कितना रुपया दिया गया था ?

(ग) यह किस अभिकरण द्वारा खर्च किया गया है और किन प्रयोजनों के लिए ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खान) (क) १५ नवम्बर, १९५३ को एक प्रैस नोट जारी किया गया था, जिस में १ अगस्त, १९५३ से १५ नवम्बर, १९५३ तक की अवधि के दौरान में प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधि में प्राप्त अंशदान और उसी अवधि में इस निधि में से बाढ़ सहायता के लिए किये गए वितरण दिखलाए गये हैं ।

१ अगस्त, १९५३ से ३० नवम्बर, १९५३ तक निधि में कुल १०,९०,५५९-१४-११ के अंशदान प्राप्त हुए थे ।

(ख) तथा (ग). साधारणतया निधि में से वितरण राज्यपालों और / या मुख्य मंत्रियों के द्वारा किया जाता है । १ अगस्त से ३० नवम्बर, १९५३ तक की अवधि में ३६७,२२२-६-६ की राशि आंध्र में बाढ़ सहायता के लिए भेजी गई है । इसमें से १,३१,०२५-१-६ मद्रास के राज्यपाल को भेजे गये थे । यह आंध्र राज्य के बनने से पहले की बात है, किन्तु यह राशि आंध्र में बाढ़ सहायता के लिए अलग रखी गई थी शेष २,३६,१९७-५-० आंध्र राज्य के राज्यपाल को भेजे गये थे ।

कृषि-उपकरण

४१९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कृषि-उपकरण बनाने वाली कम्पनियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या कम्पनियां भारतीय हैं या विदेशी और यदि मिली जुली हैं, तो विनियोग में भारतीय और विदेशी पूंजी का अंश कितना है;

(ग) कुल सामर्थ्य और वास्तविक वार्षिक उत्पादन क्या है;

(घ) इसमें कुल कितनी पूंजी लगी हुई है; तथा

(ङ) इस उद्योग में कितने मज़दूर काम करते हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ङ) . देश में सैकड़ों फर्में कृषि-उपकरण बनाती हैं, जिन में छोटे और बड़े दोनों किसम के कारखाने सम्मिलित हैं । सरकार के पास उन सब के बारे में ठीक ठीक और पूरी जानकारी नहीं है ।

नकम

४२०. **श्री नानादास** : (क) **कउत्पादन** मंत्री यह बतलाने कीं कृपा करेंगे कि वह नमक कुल कितना है जिसमें ९३·५ प्रतिशत सोडियम क्लोराइड नहीं है और इस कारण चालू वर्ष में जिसके मानव द्वारा उपभोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ?

(ख) यह नमक किस प्रयोग में लाया जा सकता है ।

(ग) सरकार ने उस नमक को जिसमें लबण की मात्रा निर्धारित स्तर की नहीं है, बेंचने के लिए क्या प्रबन्ध किये हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : चालू वर्ष में अब तक १५,४८,२९९ मन नमक ऐसा मिला है, जिस में ९३·५ प्रतिशत सोडियम क्लोराइड नहीं है और जिस के उपभोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ।

(ख) निम्न स्तर का नमक चमड़ा और खालें साफ़ करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है । अगले उत्पादन सीज़न के आरम्भ में नमकीन पानी की शक्ति को बढ़ाने के लिए इसे पुन: कनडेन्सर्ज़ में भी डाला जा सकता है ।

(ग) अपने निम्न स्तर के नमक को बेचने के लिए प्रबन्ध करना उत्पादकों का कार्य है । इसे कुछ उद्योगों में काम में लाया जा सकता है ।

करगर्ली सरकारी कोयला खान

४२१. **श्री वी० मिश्र** : (क) **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि राज्य रेलवे कोयला खान मज़दूर संघ, बरमो बिहार के मंत्री ने उत्पादन मंत्रालय का ध्यान इस ओर दिलाया है कि करगर्ली सरकारी कोयला खान के दो माल उठाने वाले ठेकेदारों ने सरकार का कई लाख रुपया ग़बन कर लिया है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) उस से पत्र प्राप्त हुए हैं जिन में इस प्रकार का वक्तव्य है ।

(ख) सरकार ने विभागीय रूप से इन आरोपों की जांच करवाई है । मामला अब सरकार के विचाराधीन है ।

त्रिपुरा के विस्थापित व्यक्तियों के लिये ऋण

४२२. **श्री दशरथ देव** : (क) **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा के विस्थापित व्यक्तियों से ऋणों के लिए अब तक कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं ?

(ख) उनमें से कितनों को ऋण दिये गये थे और अधिकतम तथा न्यूनतम ऋण की राशि क्या है ?

(ग) इस प्रकार के ऋणों की किस्में क्या हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) । (क) ४१,०००।

(ख) (१) ३१,०००

(२) **अधिकतम ऋण** ५००० रुपये न्यूनतम ऋण ५० रुपये ।

(ग) (१) कृषि ऋण

(२) व्यवसायिक ऋण

(३) ग्रामीण व्यापार ऋण

(४) ग्रामीण गृहनिर्माण ऋण

(५) छोटे पैमाने का औद्योगिक ऋण

(६) नागरिक व्यापार ऋण

(७) नागरिक गृहनिर्माण ऋण ।

जिरानियां सामुदायिक परियोजना

४२३. **श्री दशरथ देव** : **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि त्रिपुरा में जिरानिया सामुदायिक परियोजना क्षेत्र में बांध बनाने के लिए ठेकेदारों को तीन ठेके दिये गये हैं ;

(ख) क्या इन कार्यों को ठेकेदारों को देने से पूर्व इन के लिए कोई टेंडर बुलाए गये थे;

(ग) आरम्भ में कितने बंध बनाने का विचार है और उन बंधों में से जिन के लिए ठेके दिये जा चुके हैं, प्रत्येक पर अनुमानतः कितना खर्च होगा;

(घ) क्या किसी स्थानीय सहकारी संस्था ने इस काम को करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था ; तथा

(ङ) यदि हां, तो इस प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ङ) . परिमापों के फलस्वरूप अनुमान लगाया गया है कि तीन बंधों पर, जिन में कंट्रोल गेट और डाइवर्शन चैनल सम्मिलित हैं २,७८,७०० रुपये लागत आयेगी । राज्य सरकार ने टेंडर बुलाये थे । एक सहकारी संस्था ने भी बिना टेंडर पेश किये काम लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था । अभी तक किसी ठेकेदार को ठेका नहीं दिया गया क्योंकि स्वयं कार्य को आरम्भ करने का प्रश्न ही विचाराधीन है ।

सरकार द्वारा कपड़े की खरीद

४२४. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **नर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १ अप्रैल से ३१ अक्तूबर १९५३ तक राष्ट्रपति भवन तथा अन्य सरकारी कार्यालियों में उपयोग के लिये खरीदे गये कपड़े का मूल्य कितना है; तथा

(ख) इस कपड़े में से कितने मूल्य की खादी खरीदी गई है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) १,२३,४४,१२६ रुपये ।

(ख) १,३६,०४२ रुपये ।

उत्तर बिहार में माल के डिब्बों का आवंटन

४२५. **श्री अनिरुद्ध सिंह**: (क) **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर पूर्वी रेलवे के मीटर गेज विभाग पर उत्तर बिहार में कोयला भेजने के लिए कोयला आयुक्त ने कितने माल के डिब्बे आवंटित किये हैं ?

(ख) १९५३ के वर्ष में, ३१ अक्तूबर १९५३ तक उत्तर बिहार में कोय के कितने डिब्बे भेजे गये हैं ?

(ग) उत्तर बिहार में भेजे गये कोयले के डिब्बों में से कितने सरकार की ओर से थे और कितने निजी व्यक्तियों की ओर से ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जनवरी से अक्तूबर, १९५३ तक की अवधि में उत्तर बिहार में कोयला आयुक्त ने ७६२० ब्राडगेज़ माल के डिब्बों के लिए मंजूरी दी थी। एक ब्राडगेज़ डिब्बा लगभग २ मीटर गेज़ डिब्बों के बराबर समझा जा सकता है।

(ख) बिहार में उपभोक्ताओं के लिए कोयला लाने ले जाने के लिए पृथक् आंकड़े नहीं रखे जाते। उत्तर बिहार के लिए भोवामह घाट और मंडाऊडीह के रास्ते से कोयला ले जाया जाता है । जनवरी से अक्तूबर १९५३ तक की अवधि में इन जंकशनों के रास्ते से डिब्बों का दैनिक औसत आवंटन (जो कि लगभग भेजे गये माल के बराबर है) क्रमश: १५·५ और २०·४ था, जो कि इस अवधि में १०,८०० डिब्बों के बराबर है । इन आंकड़ों में उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भेजा गया माल भी सम्मिलित है और यह बतलाना सम्भव नहीं है कि इसमें कितना माल उत्तर बिहार को गया ।

(ग) जानकारी इकट्ठी करने के लिए पग उठाये जा रहे हैं ।

नकली मोती उद्योग

४२६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में नकली मोती उद्योग कब आरम्भ किया गया था तथा इस समय इस व्यवसाय की क्या व्यवस्था है ;

(ख) इस व्यवसाय में कितने कारखाने हैं तथा उनमें कितनी पूंजी लगी है ;

(ग) इस व्यवसाय में कितने श्रमिक कार्य करते हैं; और

(घ) क्या नकली मोतियों की देश की मांग देश में उत्पादित नकली मोतियों से पूरी हो जाती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) तथा (ख). भारत में बड़े पैमाने पर नकली मोतियों का निर्माण १९५० में शुरू किया गया था । सरकार की जानकारी के अनुसार इस समय दो समवाय नकली मोती बनाते हैं । इन में से एक प्लास्टिक का प्रयोग करता है और दूसरा शीशे का । पहले की संस्थापित क्षमता १,२५०,००० दर्जन नकली मोती प्रति मास की है और दूसरे की ६,००,००० दर्जन की है । ज्ञात हुआ है

कि एक और फर्म ने शीशे के सुनहरी मोती और नकली मोती बनाने के लिए मशीनरी आयात की है। आशा है कि इस फर्म की उत्पादन क्षमता २,००,००० दर्जन प्रति मास की होगी।

विनियोजित पूंजी के बारे में जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) सारे देश की नकली मोतियों की मांग को आंकना सम्भव नहीं है।

सुपारी का आयात

४२७. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९५३ से ३१ अक्तूबर, १९५३ तक सुपारी के आयात के लिये अनुज्ञप्ति देने के निमित्त बिहार राज्य से कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ?

(ख) कितने आवेदनकर्त्ताओं को कुल कितनी मात्रा के लिये अनुज्ञप्ति दी गई ?

(ग) नवागन्तुकों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग), एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६२]**

तिलहन और तेल (उत्पादन तथा निर्यात)

४२८. **श्री दाभी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५०–५१, १९५१–५२ और १९५२–५३ में देश के प्रत्येक राज्य में विभिन्न प्रकार के खाद्य तिलहन और तेलों का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) १९५०–५१, १९५१–५२ और १९५२–५३ में भारत से प्रत्येक प्रकार के खाद्य तेल और तिलहन का (जो कि देश में जमाये हुए तेल के निर्माण में प्रयोग किये जाते हैं) कितनी मात्रा में निर्यात किया गया; और

(ग) देश से खाद्य तेलों और तिलहन के निर्यात के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख), दो विवरण संलग्न हैं। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनबन्ध संख्या ६३]**

(ग) इस समय सरसों और तोरिये के तेलों को छोड़ कर अन्य सब खाद्य तेलों और तिलहन के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। सरसों और तोरिये के तेलों के निर्यात के लिये दिसम्बर १९५३ के अन्त तक नौपरिवहन के बिलों के आधार पर खुले रूप से अनुज्ञप्तियां दी जाती हैं।

साबुन (उत्पादन)

४२९. **श्री राधा रमण** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देश में प्रतिवर्ष साबुन का कितना उत्पादन होता है ?

(ख) कितने विदेशी सार्थ अभिकर्त्ताओं के रूप में भारत में साबुन बना रहे हैं या बेच रहे हैं ?

(ग) उनका औसत वार्षिक उत्पादन क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) देश में संगठित एककों द्वारा साबुन के वार्षिक उत्पादन का ८५,००० टन का अनुमान लगाया गया है, इसके अतिरिक्त इसके कुटीरोद्योग द्वारा प्रति वर्ष लगभग ३०,००० टन का उत्पादन होता है।

(ख) यह ज्ञात हुआ है कि भारत में तीन सार्थ जिनमें विदेशी पूंजी लगी हुई है साबुन बनाते हैं। सम्भव है कुछ ऐसे विदेशी सार्थ हों जो अपनी आवश्यकता पूरी करने के

लिये भारती कारखानों से साबुन बनवाती हों।

(ग) लगभग ५०,००० टन।

कैनेडा में भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुओं की दुकान

४३०. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे ;

(क) क्या भारत सरकार भारतीय हस्त शिल्प की वस्तुओं तथा अन्य वस्तुओं के प्रदर्शन के लिये कैनेडा में एक दूकान खोलने की योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां तो प्रस्तावित योजना के कब तक फलीभूत होने की आशा है?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान्। कैनेडा में एक प्रदर्शनगृह-व-थोक व्यापारिक डिपो खोलने की योजना है, दूकान खोलने की नहीं।

(ख) जनवरी, १९५४ के अन्त तक।

शार्क मछली के लिवर का तेल

४३१. **डा० अमीन** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में प्रतिवर्ष देश में शार्क मछली के लिवर के तेल का कुल उत्पादन-सामर्थ्य कितना था?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : एक विवरण जिसमें जानकारी दी हुई है, संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६४**]

हाथकरघे

४३२. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देश में राज्य-वार लगभग कुल कितने हाथकरघे चल रहे हैं?

(ख) क्या ये सब हाथकरघे वर्ष भर चलते रहते हैं?

(ग) क्या हाथ करघा बोर्ड ने इन करघों की गणना की है?

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस सम्बन्ध में ठीक ठीक आंकड़े जानने का विचार है?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण, जिसमें उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में हाथकघों की संख्या दी हुई है संलग्न है। है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६५**]

(ख) नहीं, श्रीमान्। बेकार करघों की ठीक ठीक संख्या उपलब्ध नहीं है। १९४२ में नियुक्त की गई तथ्य जानने वाली समिति के अनुसार भारत में कुल करघों में से १३ प्रतिशत बेकार थे, किन्तु यह ज्ञात नहीं है कि अब यह संख्या कहां तक बदल गई है।

(ग) तथा (घ) सरकार द्वारा नियुक्त कपड़ा जांच समिति ने देश के हाथ करघों का एक नमूना परिमाप आरम्भ किया है और अखिल भारतीय हाथकरघा बोर्ड ने भी राज्य सरकारों को एक प्रश्नावली भेजी है।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग

४३३. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के गज़ेटेड और न-गज़टेड कर्मचारियों के स्थायी पदों के श्रेणी और संख्या बतलाने की कृपा करेंगे?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : आयोग के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की संशोधित संख्या के सम्बन्ध में अन्तिम आदेशों के शीघ्र ही जारी किये जाने की आशा है। यथासम्भव शीघ्र ही एक विवरण, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई होगी, सदन पटल पर रख दिया जायेगा।

बंगलौर मशीनी औजारों का कारखाना

४३४. **श्री एस० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या समाचार पत्रों में प्रकाशित यह समाचार ठीक है कि बंगलौर के मशीनी औजारों के कारखाने में आगामी वर्ष के जुलाई-अगस्त में उत्पादन प्रारम्भ होने की आशा है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : जी हां, प्रारम्भिक उत्पादन के लगभग उसी समय आरम्भ होने की आशा है ।

ऊन

४३५. **श्री जेठालाल जोशी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२–५३ में ऊन का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) बड़े बड़े स्वदेशी उद्योगों को वस्तुत: कितनी ऊन की आवश्यकता होती है और उन में कितनी खपत होती है;

(ग) छोटे छोटे उद्योगों में कितनी खपत होती है; और

(घ) जनवरी से सितम्बर १९५३ तक कितनी मात्रा के लिये निर्यात अनुज्ञप्तियां दी गईं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) अनुमान लगाया गया है कि लगभग ५०० लाख पौण्ड का उत्पादन होता है ।

(ख) १२० लाख पौंड स्वदेशी ऊन की आवश्यकता होती है और १९५२–५३ में वास्तविक खपत ११६.७ पौंड की हुई ।

(ग) १२० लाख पौण्ड ।

(घ) २,२३,०६,६१५ पौण्ड ।

पेंसिलें

४३६. **श्री बी० एस० एस० मूर्ति:** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के कार्यालयों में भारत में बनी तथा विदेश में बनी, अलग अलग, कितनी अथवा कितने मूल्य की पेंसिलें काम में लाई जाती हैं; तथा

(ख) यदि विदेशों में बनी हुई पेंसिलें काम में लाई जाती हैं, तो उसके कारण क्या हैं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्णसिंह) : (क) सुगमता से प्राप्य जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६६]**

(ख) विशेष कार्यों के लिये आवश्यक कुछ प्रकार की पेंसिलों का आयात करना पड़ता है क्योंकि इन कार्यों के लिये देशी पेंसिलें उतने अच्छे प्रकार की न होतीं जितने की आवश्यकता है ।

कागज़ की मिलें

४३७. **श्री मुनिस्वामी :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारे देश में कितनी कागज की मिलें हैं ?

(ख) क्या इनमें से किसी मिल के स्वामी विदेशी लोग हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) उन्नीस कागज की मिलें कागज़ बना रही हैं और दो मिलें स्थापित की जा रही हैं ।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई ठीक ठीक जानकारी नहीं है ।

ऊन

४३८. **श्री गौडिलिंगन गौड़** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत से १९५२–५३ में कितना ऊन निर्यात किया गया था ?

(ख) देश में पहली नवम्बर, १९५३ को कितना स्टाक था ?

(ग) क्या सरकार ने विदेशों से ऊन के आयात की अनुज्ञा दे दी है ?

(घ) यदि हां, तो १९५२–५३ में तथा १९५३–५४ में पहली नवम्बर, १९५३ तक कितना आयात किया गया था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) १९५२–५३ में भारत से ३७,९७९,१८९ पौंड ऊन आयात किया गया था ।

(ख) समग्र रूप से देश में ऊन के स्टाक के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । भारत में संगठित मिल उद्योगों के पास ३० सितम्बर, १९५३ को कच्चे ऊन का निम्नलिखित स्टाक था :

देशी कच्चा ऊन	१,५४८,२७९ पौंड
आयातित कच्चा ऊन	५१४,८०६ पौंड
आयातित वूल टाप्स	९५०,१४० पौंड

(ग) हां ।

(घ) १९५२–५३ तथा १९५३–५४ में ऊनी धागे का निर्यात निम्नलिखित था :—

	पौंड में मात्रा	रुपयों में मूल्य
१९५२–५३	७४५,५७१	६,९७२,०००
१९५३–५४ (अप्रैल से अक्टूबर १९५३)	१,२७५,९४९	६,४९१,०००

नोट: इन आंकड़ों में बुनाई के ऊन का आयात सम्मिलित नहीं है ।

शराब का आयात

४३९. **श्री गौड़ि लिंगन गौड़** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मद्रास, मैसूर तथा हैदराबाद में कितने व्यक्तियों अथवा कितनी फर्मों को विदेशी शराब आयात करने की अनुज्ञा दी गई है तथा उन्होंने १९५२–५३ और १९५३–५४ में पहली नवम्बर, १९५३ तक शराब की कितनी मात्रा आयात की; तथा

(ख) १९५२–५३ तथा १९५३–५४ में विदेशी शराबों का आयात करने के लिये अनुज्ञा अथवा लाइसेन्स प्राप्त करने के लिये इन राज्यों से कितने व्यक्तियों ने प्रार्थना पत्र दिये थे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६७**]

सुअर के बाल

४४०. **श्री गणपतिराम**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करगे :

(क) भारत में सुअर के बालों की प्रति वर्ष कितनी उत्पत्ति होती है तथा कितने भारत के भिन्न भिन्न उद्योगों में खप जाते हैं;

(ख) १९५०, १९५१, १९५२ और १९५३ में अब तक कितनी मात्रा में सुअर के बाल निर्यात किये गये; तथा

(ग) विदेशों से सुअर के बाल की बनी कौन कौन सी चीजें भारत में आती हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) भारत में सुअर के कड़े बाल के वार्षिक उत्पादन का औसत अनमानत: पांच और छः लाख पौंड के बीच में है । कुल वार्षिक उत्पादन का लगभग १० से

१५ प्रतिशत भाग भारत के उद्योगों में खप जाता है ।

(ख) सरकारी सांख्यकी में सुअर के बाल के निर्यात सम्बन्धी आंकड़े अलग से नहीं लिखे जाते । प्रतिवर्ष होने वाला निर्यात लगभग ३,००० से ३,५०० हण्डरडवेट के बीच होता है ।

(ग) ब्रुश ।

तामिलनाड में दियासलाई उद्योग

४४१. श्री वीरस्वामी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पहली जनवरी १९५३ से ३० नवम्बर, १९५३ तक तामिलनाड दियासलाई के कारखानों में कुल कितनी दियासलाइयां बनाई गई थीं;

(ख) तामिलनाड में इस उद्योग में कुल कितने मज़दूर काम पर लगे हुए हैं; तथा

(ग) इस काल में दियासलाइयों से कितना उत्पादन शुल्क वसूल किया गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जनवरी से अक्टूबर, १९५३ के काल में अवशिष्ट मद्रास राज्य में उत्पादन लगभग १३१·९ लाख ग्रुस डिब्बियां था । नवम्बर, १९५३ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) ठीक ठीक जानकारी प्राप्य नहीं है ।

(ग) जनवरी से अक्टूबर, १९५३ में लगभग तीन करोड़ रुपये । नवम्बर, १९५३ के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं ।

सत्यमेव जयते

मंगलवार,
१५ दिसंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13.3.12
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

मंगलवार, १५ दिसम्बर, १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

२–३० म० प०

राज्य-परिषद् से प्राप्त सन्देश

सचिव : मैं राज्य परिषद् के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश पढ़ कर सुनाता हूं :—

> "राज्य परिषद् के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अनुसार मैं लोक सभा को सूचित करता हूं कि राज्य परिषद् ने १० दिसम्बर १९५३ की बैठक में औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, १९५३ को, जिसे लोक सभा ने ३० नवम्बर १९५३ की बैठक में पारित किया था, बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।"

अनुपस्थिति के लिए अनुमति

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री चंडिकेश्वर शरणसिंह जू देव से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिस में उन्होंने मुझे सूचित किया है कि अस्वस्थता के कारण वह वर्तमान सत्र में उपस्थित नहीं हो सकेंगे । उन्हों ने सदन से अनुपस्थित रहने के लिये अनुमति मांगी है । क्या सदन उन्हें वर्तमान सत्र की शेष बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुमति देता है ?

माननीय सदस्य : जी हां ।

अनुमति दी गई ।

सदन पटल पर रखा गया पत्र

कोलम्बो योजना को परामर्शदात्री समिति का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : मैं सदन पटल पर कोलम्बो योजना की परामर्शदात्री समिति के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि रखता हूं । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये नं० एस—२०९/५३]

पैप्सू तथा त्रावनकोर-कोचीन के चुनावों पर वक्तव्य

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): श्रीमान्, मैं आप की अनुमति से पैप्सू तथा त्रावनकोर-कोचीन के चुनावों के बारे में एक छोटा सा वक्तव्य पढ़ता हूं ।

जैसा माननीय सदस्यों को मालूम हैं, पिछले सत्र में निर्वाचन कानून में कई महत्वपूर्ण संशोधन करने के लिये इस सदन म एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया था ।

[डा० काटजू]

उस विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा विचार कर लिया गया है और उस की रिपोर्ट दो सप्ताह पूर्व सदन में प्रस्तुत की गई थी। अन्य आवश्यक कार्यों के कारण, उस विधेयक पर अभी सदन में विचार नहीं हो पाया है, और जैसी इस समय स्थिति है, इस सत्र के शेष थोड़े से दिनों में उस का लाया जाना संभव प्रतीत नहीं होता और फिर इस की तो कोई आशा ही नहीं कि इस सत्र में यह विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाये।

सदन को यह भी मालूम है कि इन दो राज्यों की विधान सभाओं के लिये आम चुनावों का समय आ गया है। पैप्सू में राष्ट्रपति का शासन २६ मार्च १९५४ को समाप्त हो जायेगा और यह आवश्यक है कि वहां नये चुनाव हो कर नई विधान सभा इस तिथि से काफी पहले ही बन जाये। इसी तरह त्रावनकोर-कोचीन में, जहां विधान सभा पिछली २४ सितम्बर को भंग की गई थी, यह आवश्यक है कि नये चुनाव हो कर नई विधान सभा उस तिथि से छः महीने के अन्दर, यानी २३ मार्च, १९५४ से पहले स्थापित हो जाये। दर असल यदि उस राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की आवश्यकता न होती तो चुनाव कभी के हो लिये होते। इन दोनों राज्यों में परिसीमन आयोग अपना काम पूरा कर चुका है और समझा जाता है कि नये निर्वाचन क्षेत्रों के लिये मतदाता सूचियां भी छप कर तैयार हैं।

इन परिस्थितियों में सरकार ने यह तय किया है कि इन दोनों राज्यों में आम चुनाव वर्तमान चुनाव कानून के आधार पर हों। ऐसी आशा की जाती थी कि दोनों सदन जन प्रतिनिधान (संशोधन) विधेयक को ठीक समय के अन्दर पारित कर देंगे ताकि वहां संशोधित कानून के आधार पर आम चुनाव हो सकें। परन्तु यह आशा पूरी नहीं हो पाई। इसलिये अब चुनाव वर्तमान कानून के आधार पर होंगे और इस के लिये चुनाव आयोग तथा राज्य अधिकारियों द्वारा आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं ताकि दोनों राज्यों में चुनाव मार्च १९५४ के प्रथम सप्ताह तक समाप्त हो जायें।

———————

सदन का कार्य

श्री कजरोल्कर (बम्बई नगर—उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां): अध्यक्ष महोदय, आज की जो लिस्ट आफ बिजनेस हमारे पास भेजी गई है उससे यह मालूम होता है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो १९५२ की रिपोर्ट है वह हमारे सामने आज रखी जायेगी। हम सब शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेम्बर्स की प्रार्थना है कि चूंकि हमें अवधि बहुत कम मिली है और अगर कोई एमेन्डमेन्ट देने की इच्छा रखता हो, उस को इस के लिये मौका नहीं मिलता है, इसलिये इस रिपोर्ट पर विचार दो चार दिन के लिये स्थगित कर दिया जाये और तीन चार दिन के बाद इस को कंसीडरेशन में लिया जाय?

अध्यक्ष महोदय: मैं जानना चाहूंगा कि सरकार इसे कल रखना ठीक समझती है या परसों?

डा० काटजू: अगर कल ले लेवें तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि अगर आप इस को शनिवार को ले लें तो और ज्यादा अच्छा है।

अध्यक्ष महोदय: बात यह है कि मैं एक निश्चित तारीख चाहता हूं। मैं इसे कल के लिये रखता हूं। जो माननीय सदस्य संशोधन रखना चाहते हैं, वे आज ऐसा कर सकते हैं हम अब अगली कार्यवाही आरम्भ करते हैं।

पुस्तक प्रदान सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय पुस्तकालय तथा अन्य सार्वजनिक पुस्तकालयों को पुस्तकों का प्रदान करने की व्यवस्था करने वाले एक विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

मौलाना आजाद : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं ।

नमक उपकर विधेयक

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सरकार द्वारा व्यवस्थित नमक विभाग पर तथा नमक के बनाने, भेजने और बांटने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही पर जो खर्चा होता है उस को पूरा करने के लिये रुपया जमा करने के उद्देश्य से नमक पर एक उपकर लगाने तथा इकठ्ठा करने की व्यवस्था करने वाले एक विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

श्री के० सी० रेड्डी : मैं *विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

प्रेस (आपत्तिजनक विषय) संशोधन विधेयक

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रेस (आपत्तिजनक विषय) अधिनियम, १९५१ में संशोधन करने वाले एक विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

डा० काटजू : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

भाग ग राज्य शासन संशोधन विधेयक

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भाग ग राज्य शासन अधिनियम, १९५१ में संशोधन करने वाले एक विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

डा० काटजू : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं ।

भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब सदन श्री करमरकर के निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगा :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम १९३४ के अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): श्रीमान्, कल जो बहस हुई थी उस को मैं ने पूरे ध्यान से सुना; उस में जो खास-खास बातें उठाई गई थीं मैं उन का उत्तर दूंगा ।

[**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुईं]

सब से पहले मैं रेशम तथा बनावटी रेशम के बीच बढ़ती हुई प्रतियोगिता के बारे में कुछ कहूंगा जिस का श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी और डा० दास ने उल्लेख किया ।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश पर पुर:स्थापित हुआ ।

*राष्ट्रपति की सिफारिश पर पुर:स्थापित हुआ ।

[श्री करमरकर]

उन का कहना था कि जब रेशम उद्योग कठिनाई का सामना कर रहा है तो फिर हम नकली रेशम के उद्योग को क्यों सहायता और संरक्षण दें। ऐसे मामलों में, अन्ततः हमें उपभोक्ता के हितों पर ध्यान देना होता है। नकली रेशम के उद्योग को संरक्षण देने में हम ने रेशम उद्योग की उन्नति के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही में कोई कमी नहीं की है। माननीय श्री गुरुपादस्वामी शायद यह नहीं जानते कि इस वर्ष रेशम उद्योग की उन्नति के लिये जो अनुदान दिया गया है वह पिछले वर्षों में दिये गये अनुदानों की अपेक्षा कहीं अधिक है। जहां तक मुझे याद है, इस वर्ष हम रेशम उद्योग के विकास के लिये लगभग १२ लाख रुपये दे रहे हैं, हम ने रेशम के लिये एक अनुसन्धान संस्था खोलने के बारे में मैसूर सरकार की एक योजना का भी समर्थन किया है। इसलिये, इस विषय में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि चूंकि उपभोक्ताओं की मांग को देखते हुए नकली रेशम के उद्योग का होना वांछनीय है इसलिये हम ने इस उद्योग को सहायता देना आवश्यक समझा है। जो फ़ैक्टरियां उत्पादन में लगी हुई हैं वे बाहर से आयात किय जाने वाले कच्चे माल पर निर्भर करती हैं। नकली रेशम के उद्योग के सम्बन्ध में जो कच्चा माल चाहिये, हम उस के उत्पादन को भी प्रोत्साहित करना चाहते हैं।

इस के बाद, साइकिलों के बारे में कुछ कहा गया। साइकिल उद्योग उन उद्योगों में से एक है जिन्हों ने अपनी उन्नति से यह सिद्ध कर दिया है कि जो कुछ सहायता उन्हें मिली है, उस के वे पात्र हैं। कुछ सदस्यों ने कहा कि उद्योग के उत्पादन को देखते हुए उस को जो सहायता मिली है वह ठीक नहीं है। यदि माननीय सदस्य उन आंकड़ों को देखें जो उन्हें परिचालित की गई उस पुस्तिका के पृष्ठ २५ पर दिये हुए हैं जिस में संरक्षण किये जाने वाले उद्योगों की समीक्षा की गई है, तो उन्हें पता चलेगा कि साइकलों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। मैं हाल ही के कुछ वर्षों के आंकड़े आपको देता हूं। वर्ष १९५० में साइकिलों का कुल उत्पादन लगभग १०३,००० था। १९५१ में यह बढ़ कर ११४,००० से भी अधिक हो गया था। १९५२ में इस में और वृद्धि हुई और यह १९६,००० हो गया; अब १९५३ में—जनवरी से जून के छः महीनों में उत्पादन १०४,३५३ हुआ है। तो इस तरह आप देखेंगे कि साइकिलों के उत्पादन में धीरे परन्तु निश्चित वृद्धि हुई है, हमें आशा है कि मौजूदा रफ्तार से हम करीब दो वर्ष में साइकिलों के मामलों में अपने देश की सारी जरूरतें पूरी कर सकेंगे। जहां तक उद्योग को कच्चा माल या अन्य वस्तुयें देने का सम्बन्ध है, हम उन्हें यथासम्भव सहायता देते रहे हैं और मुझे यह कहने में प्रसन्नता होती है कि साइकिल उद्योग ने यह सिद्ध कर दिया है कि जो सहायता उसे दी गई है वह उस का पात्र है।

किसी एक कारखाने के बन्द हो जाने की आशंका प्रकट की गई थी। यदि साइकिल उद्योग को संरक्षण के देने में कोई कारखाना बन्द होने लगता है तो दोष स्वयं उस व्यवसाय का है तथा सरकार द्वारा साइकल उद्योग को संरक्षण देने की नीति का नहीं।

मुझे संशय है कि श्री वी० पी० नायर ने तटकर (द्वित्तीय संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में कुछ समय पहले कही गई मेरी बातों को गलत समझा है। उन्हों ने मुझे यह कहते सुना कि भारत-ब्रिटेन करार के अन्तर्गत किसी प्रकार का विशेष व्यवहार नहीं किया गया। उन्हों ने मुझे गलत समझा है। मैं ने यह कहा था कि भारत-ब्रिटेन करार पर

विचार करते समय हमें लाभ तथा अलाभ के परिणामों को सामने रखना होगा। हम ने उन्हें कुछ रियायतें दी हैं तथा उन के बदले में उन्हों ने हमें भी कुछ रियायतें दी हैं। उदाहरण से वस्तुओं की अबाध प्राप्ति एक ऐसी रियायत है। जैसा कि बहस में मैं ने पहले यह कहा भारत में जाने वाली कुछेक वस्तुयें अबाध प्राप्ति की वस्तुयें हैं; उन पर कोई शुल्क नहीं लगता। इस से हमें ब्रिटेन को ही निर्यात के बढ़ाने में सहायता नहीं मिली बल्कि राष्ट्रमंडल के कुछ दूसरे देशों को भी। इस समय मैं सभी परिणामों का उल्लेख नहीं कर सकता, परन्तु जैसा कि मैं ने पहले कहा, हम उस करार को उस समय तक रखेंगे जब तक ध्यानपूर्वक जांच से हमें वह करार देश के सर्वोत्तम हितों में जान पड़े।

इस के अतिरिक्त कुछ बातें लकड़ी के काम तथा राजगिरी के काम के बारे में कही गई थीं तथा यह तटकर आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के प्रसंग में था। मैं सम्मानपूर्वक यह कहना चाहता हूं कि तटकर आयोग के सदस्य उच्च योग्यता के व्यक्ति हैं तथा यदि वे अपनी आशानुसार कुछ मामलों को नहीं निपटा सके तो इस का कारण यह नहीं कि उन की क्षमता में कोई कमी है, परन्तु उस का कारण यह है कि उन्हें सहायता के लिये कुछ और व्यक्ति चाहिये, चाहे वे स्वयं आयोग अथवा कर्मचारिवर्ग में नियुक्त किये जांय। हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं।

साबूदाने के बारे में भी हमें अन्ततः संतुलन को प्राप्त करना होगा। हम अवश्य ही यह चाहते हैं कि 'टापियोका' पौदा बहतात से उगाया जाय। कारण यह कि साबूदाने का उद्योग हमारे देश के साधनों से ही उन्नत हो सकता है। वास्तव में मैं समझता हूं कि जहां तक इस संरक्षण से टापियोका को बहुतात से उगाने के प्रोत्साहन का सम्बन्ध है, इससे स्वयं किसानको लाभ पहुंचना चाहिये।

एक बात मैं विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। नीति तो पहले से बन चुकी है। मुझे आश्चर्य है कि श्री बसु ने स्थिति को कैसे गलत समझ लिया है क्योंकि सरकार की स्थिति तथा उस स्थिति के बारे में की गई कार्यवाही बिल्कुल स्पष्ट है। चाहे पूंजी का मामला हो अथवा टैक्नीकल कर्मचारिवर्ग का, विदेशी भोगिता का तरीका बिल्कुल स्पष्ट है। हम ने यह निश्चित व्यवस्था की है कि विदेशी पूंजी से राष्ट्रीय हितों पर कोई आंच न आय। हम विदेशी व्यवसायों को केवल उन्हीं शर्तों के अन्तर्गत आने देते हैं जो अन्त में देश के हितों में हों। माननीय मित्र को पता है कि तेल-शोधक कारखानों के सिवाय हमारा सदैव यह आग्रह रहा है कि पूंजी तथा प्रबन्ध का अधिक भाग हमारे हाथों में रहे।

श्री बसु को अधिकार है कि विदेशी पूंजी के अल्प मात्रा में आने तथा थोड़े विदेशी टैक्नीकल कर्मचारियों के भर्ती किये जाने पर भी असंतोष प्रकट करें, परन्तु हमारी नीति बनी रहती है क्योंकि विदेशी भोगिता से देश को लाभ पहुंचा है।

श्री के० सी० सोधिया (सागर) : क्या इस विधेयक में कोवा पालन के उद्योग के संरक्षण को ३१ दिसम्बर के बाद जारी रखने का कोई उपबन्ध है ?

श्री करमरकर : हम ने इसे जारी रखा है। कोवापालन एक महत्वपूर्ण उद्योग है जिस पर हम ने सदैव ध्यान दिया है तथा इस उद्योग के सम्बन्ध में हमारा अनुदान गत वर्ष से दुगना हो चुका है। इस उद्योग को उस समय तक संरक्षण दिया जाता रहेगा जब तक इसे इस की आवश्यकता है।

श्री के० सी० सोधिया : क्या इसे इस विधेयक में शामिल किया गया है ?

श्री करमरकर : इस विधेयक में नहीं।

सभापति महोदय : प्रश्न है कि :

"भारतीय तटकर अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २—(१९३४ के अधिनियम ३२ की प्रथम अनुसूची का संशोधन)

डा० एम० एम० दास (बर्दवान—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २, पंक्ति ३ तथा पंक्ति ४ में,

"टिटेनियम डायक्साइड" के बाद "अथवा रंगों के बनाने में प्रयुक्त कोई और टिटेनियम कम्पाउंड" शब्द जोड़ दिये जायें।

सभानेत्री जी, हमारे देश में बनाई जा रही टिटेनियम डायक्साइड को केवल आयात की गई टिटेनियम डायक्साइड से ही नहीं बल्कि 'लिथोफोन' नाम एक और 'टिटेनियम कम्पाउंड' की प्रतियोगिता से भी हानि उठानी पड़ती है। यदि मेरे संशोधन को स्वीकार न किया गया तो स्वदेशी टिटेनियम डायक्साइड को इस लिथोफोन से बहुत हानि पहुंचने का डर है। स्वदेशी टिटेनियम डायक्साइड लिथोफोन से बढ़िया है। इस समय लिथोफोन से बने रंगों की बाजार में साख जमी हुई है। लोग लिथोफोन की बाहरी चमक से शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं। अतएव स्वदेशी 'टिटेनियम डायक्साइड' को लोकप्रिय बनाने के लिये इस देश में लिथोफोन के आयात को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इस अभिप्राय से इस पर संरक्षणात्मक शुल्क लगाया जाना चाहिये।

इस विधेयक के प्रस्तावक मेरे मित्र कहेंगे कि लिथोफोन के व्यापार तथा शुल्क सम्बन्धी सामान्य करार में शामिल होने के कारण ऐसा करना सम्भव नहीं है। परन्तु सभानेत्री जी यदि इस करार की सदस्यता के कारण स्वयं अपने उद्योग के हित को रक्षित करने के लिये हम संरक्षण शुल्क नहीं लगा सकते तो इस सदस्यता का क्या लाभ ? माननीय मंत्री कुछ समय पहले इस करार सम्बन्धी सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। मैं चाहता हूं कि वह इस मामले के बारे में विस्तार से स्थिति को बतलायें। यदि इस सदस्यता से हम स्वदेशी टिटेनियम डायक्साइड के हित में लिथोफोन पर प्रशुल्क (तटकर) नहीं लगा सकते तो इस सदन को सदस्यता को जारी रखने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना होगा।

संशोधन प्रस्तुत हुआ।

जाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : सभानेत्री जी, मुझे खेद है कि इस संरक्षण के विस्तार को बढ़ाने के लिये मेरे माननीय मित्र तटकर आयोग की रिपोर्ट के संगत भागों को बीच में से छोड़ गये हैं। रिपोर्ट के पैरा २० (ए) में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि स्वदेशी टिटेनियम डायक्साइड के मूल्य को स्थिर रखने के लिये आयात की वस्तु पर संरक्षण शुल्क लगाने से काम नहीं चलेगा।

अतएव मेरे मित्र के सुझाव का स्वीकार करना सम्भव नहीं है क्योंकि विचार यह नहीं है कि रंग उद्योग के लिये अपेक्षित वस्तुओं के दामों को बढ़ाया जाय। हम अपने उद्देश्य को टिटेनियम डायक्साइड के मूल्य को कम कर के प्राप्त करना चाहते हैं। प्रत्येक अवस्था में मूल्य के विचार से टिटेनियम डायक्साइड लिथोफोन की प्रतियोगिता नहीं कर सकता। लिथोफोन को विलास वस्तु भी नहीं समझा जा सकता। हम जानते हैं कि रंग बनाने वालों को टिटेनियम

डायक्साइड के प्रयोग की प्रेरणा के देने का एक तरीका लिथोफोन के आयात का नियंत्रण है। ऐसा आज कल किया भी जा रहा है। परन्तु बिना जांच के मैं इस संरक्षण की मात्रा को बढ़ाना नहीं चाहता। प्रशुल्क आयोग ने इस बात को स्वीकार किया है कि वर्तमान लागत के विचार से इतना संरक्षण भी काफी नहीं है। परन्तु हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही मितव्ययता से इन वस्तुओं का तटकर आयोग द्वारा प्रत्याशित दामों पर बेचना सम्भव हो सकेगा।

साथ ही हम यह स्वीकार करते हैं कि यह वस्तु लिथोफोन के स्थान पर पूर्णतः उपयोगी नहीं हो सकती। जब तक लिथोफोन तथा टिटेनियम डायक्साइड की परस्पर प्रतियोगिता रहेगी, हमें या तो पहले से ज्ञात किसी रंग पदार्थ का प्रयोग करना होगा अथवा टिटेनियम डायक्साइड को ब्लैन्क-फिक्सी से मिला कर पतला करना होगा। इस प्रतियोगिता का सामना करने के और भी तरीके हैं, अतएव सरकार माननीय मित्र के संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकती।

डा० एम० एम० दास : माननीय मंत्री के स्पष्टीकरण के विचार से मैं अपने संशोधन को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन सदन की अनुमति से वापस ले लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न है कि :

"खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड १ विधेयक का अंग बना लिया गया।

विधेयक का शीर्षक तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बना लिये गये।

श्री करमरकर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को पारित कर दिया जाये"।

सभापति महोदय : प्रश्न है कि :

"विधेयक को पारित कर दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वायदे के सौदे (विनियमन) संशोधन विधेयक

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम, १९५२ में संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य परिषद् द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

सभानेत्री जी, इस सदन के माननीय सदस्यों को विदित है कि वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम को २६ दिसम्बर, १९५२ को संविधि पुस्तक में रखा गया था। इस में ऐसे सौदों से सम्बन्धित बातों, तेजी मन्दी पर, प्रतिबन्ध लगाने तथा तत्सम्बन्धी मामलों के विनियमन की व्यवस्था की गई थी। २६ सितम्बर, १९५२ को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त होने पर उस तिथि को अधिनियम के एक ही अध्याय को लागू किया गया था। २४ अगस्त, १९५३ को जम्मू तथा काश्मीर राज्य के सिवाय, इस अधिनियम को सारे भारत में लागू कर दिया गया था।

राज्यों के अधिनियमों के स्पष्ट निरसन को सम्बन्धित राज्यों में वायदे के सौदों के विनियमन के सम्बन्ध में शून्यता को रोकने के विचार से जान बूझ कर भविष्य में विचार के लिये छोड़ दिया गया था। राज्य अधिनियम् संविधान के अनुच्छेद ३७२ तथा विधियों के अनुकूल सम्बन्धी आदेश, १९५० के

[श्री करमरकर]

अनुकूलन के अन्तर्गत उस समय तक लागू रहते हैं जब तक कि वे सक्षम विधायिनी प्राधिकार द्वारा संशोधित तथा परिवर्तित नहीं होते। केन्द्रीय अधिनियम को किसी विशेष राज्य पर लागू करते समय राज्य अधिनियम पर केन्द्रीय अधिनियम के प्रभावी होने के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद २५४ पर निर्भरता को ठीक या सुरक्षित तरीका नहीं माना गया। इस का कारण यह है कि उस अनुच्छेद के खण्ड (१) का निर्देश राज्य के विधान मण्डल द्वारा बनाई गई विधि की ओर है तथा आवश्यक नहीं कि राज्य अधिनियम राज्य के विधान मंडल द्वारा ही बनाई गई एक विधि हो। हो सकता है कि संविधान से पहले यह प्रान्तीय विधान मण्डल द्वारा बनाई गई विधि हो। अतएव एक निरसन धारा को आवश्यक समझा गया है।

संशोधन विधेयक के निरसन खण्ड में यह उपबन्ध किया गया है कि किसी राज्य की वस्तुओं पर इस अधिनियम के लागू होने पर राज्य की तदनुरूप विधि का प्रभाव समाप्त हो जायेगा। तथापि, यह संभव है कि पहले वाली विधि के अधीन किया गया कार्य जैसे कि किन्हीं संस्थाओं को मान्यता प्रदान की गई है, उसे आगे विचार होने तक बचाया जा सके। इस तरह के मामलों के लिये ही प्रतिवादक खण्ड और खास कर परन्तुक की रचना की गई है। इस का प्रभाव यह होगा कि आवश्यक प्रतिवादक खण्डों की व्यवस्था हो कर राज्य की तदनुरूप विधि निरसन हो जायेगी, और किसी राज्य में किसी वस्तु के सम्बन्ध में कोई शून्यता नहीं रहने पायेगी।

अधिनियम की धारा ३ (२) को संशोधन करने का भी अवसर ग्रहण किया गया है ताकि वायदा बाजार आयोग का सभापति पूरे समय अथवा आंशिक समय के लिये, जो भी परिस्थितियों की दृष्टि से उचित हो, रखा जा सके। ऐसे अवसर भी आ सकते हैं जब कि सभापति उन कार्यों को करेगा जो वायदे के सौदों अथवा अधिनियम के अन्तर्गत आये हुए अन्य विषयों से सम्बन्धित हो। यदि सभापति पूरे समय के लिये हैं जैसा कि स्पष्ट है तो यह संभव नहीं हो सकता है। इसीलिये संशोधन प्रस्तुत किया गया है।

विधेयक पर कोई मतभेद नहीं हो सकता और आशा है कि सदन बिना किसी विस्तृत वाद विवाद के उसे स्वीकार कर लेगा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम, १९५२ में संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य परिषद् द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये।"

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम) : महोदया, वस्तुतः मैं प्रसन्न हूं कि माननीय वाणिज्य मंत्री ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। इस अधिनियम को पारित करते समय राज्यों में कुछ ऐसी व्यवस्था थी जिन्हें निरसन करना आवश्यक था अब राज्यों के अधिनियम निरसन कर दिये गये हैं और यद्यपि इस अधिनियम ने उन्हें व्यर्थ सिद्ध कर दिया है फिर भी इस के एक उपबन्ध के अनुसार विभिन्न राज्यों के कतिपय कार्य जारी रहेंगे। यह भी स्पष्ट है कि सभापति को पूरे समय के लिये रखने के स्थान पर सरकार इस तरह की शक्ति ग्रहण कर रही है जिस के अनुसार सभापति और सदस्यगण पूरे समय अथवा आंशिक समय के लिये रखे जा सकेंगे

दिसम्बर, १९५२ में अधिनियम के पारित करते समय यह अनुभव किया गया था कि उस की तीव्र आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रस्तुत अधिनियम के अधीन पिछले एक साल में क्या कार्यवाही की गई है। वायदा बाजार देश के अनेक भागों में परिव्याप्त हैं किन्तु व्यवहारिक अनुभव यह है कि जैसे अधिनियम अभी लागू ही नहीं किया गया है।

'तेजी मन्दी' व्यापार इस अधिनियम के अधीन आना चाहिये था और इस अधिनियम के अनुसार 'तेजी मन्दी' व्यापार पर प्रतिबन्ध लगना चाहिये था। मेरा विश्वास है कि वाणिज्य मंत्री इस तथ्य से पूरी तरह अवगत हैं कि तेजी मन्दी के सौदे अभी भी जारी हैं।

जब इस देश में वायदा बाजार अधिक से अधिक संख्या में कार्य कर रहे हैं तो सरकार का कर्त्तव्य है कि वह इस क्षेत्र में स्वस्थ दशायें उत्पन्न करे। अधिनियम का समुचित उपयोग किया जा कर वायदा बाजार में उचित वातावरण उत्पन्न करना अत्यन्त आवश्यक है।

जैसा आप जानते हैं मूल्यों में घटा बढ़ी बड़ी जल्दी हो जाती है। यदि बाजार का उचित नियंत्रण किया जाये तो यह असाधारण उतार चढ़ाव नहीं होंगे।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : महोदया, बहुधा मैं सौजन्य की मिथ्या भावना से आक्रान्त नहीं होता हूं मेरे माननीय मित्र जो अभी बोले हैं मुझ से अधिक ज्ञान रखते हैं। मैं यह मान लूं कि इस सदन में वायदे के सौदों के विधेयक पर विचार करते समय जब मैं ने भाषण दिया था तब मैं उन कठिनाइयों से परिचित नहीं था जो विधेयक के नियम बन जाने पर उत्पन्न होती। मैं यह स्वीकार करता हूं कि इस विषय पर ११ महीने तक अनवरत ध्यान देने पर भी मुझे अभी भी यह विश्वास नहीं है कि प्रस्तुत व्यवस्था जिस धरती पर अवस्थित है वह दृढ़ है अथवा नहीं। महोदया, इसीलिये मैं यह मान लेता हूं कि वायदे के सौदों के सम्पूर्ण क्षेत्र की समस्याओं को वह बहुत शीघ्र समझ लेते हैं।

सरकार इस विषय पर विचार कर रही है। समस्या गहन है। अनेक क्षेत्रों की इच्छा है कि उन के अपने-अपने क्षेत्र की विशिष्ट वस्तुओं के वायदों को स्वीकृत कर लिया जाय। हम जानते हैं कि यदि हम इन सब दावों को मान लें तो हमें एक प्रशासन व्यवस्था की सर्जना करना पड़ेगी और इस साहसपूर्ण कार्य में संलग्न होते समय वित्तीय दृष्टि से हम तैयार नहीं थे। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि मैं प्रकाश की आशा देखने लगा हूं, आशा है कि अगले वर्ष के प्रारम्भ में ही वायदा बाजार के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा १५ के अन्तर्गत अधिनियम जारी करेंगे जिन की क्रियान्विति के विषय में मेरे पूर्व वक्ता अत्याधिक रुचि रखते हैं। प्रस्तुत अधिनियम इतने शीघ्र क्रियान्वित न करने के लिये मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जिस क्षण मैं अधिनियम की धारा १५ के अधीन अधिनियम जारी करूंगा उसी समय से मेरे कर्त्तव्य का क्षेत्र विस्तृत हो जायेगा। मुझे स्वीकृत बाजारों का नियंत्रण ही नहीं करना है अपितु नियंत्रण विनियमों के उल्लंघन से उन की रक्षा करना भी है। मेरे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने तेजी मन्दी पर प्रतिबन्ध लगाने के विषय में भी एक बात कही।

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

मैं यह स्वीकार करता हूं कि हम ने इस पर विचार किया है । और हमारी अभी भी यह धारणा है कि तेजी मन्दी के सौदे अवांछनीय हैं । वे उसी सीमा तक प्रतिबंधित किये जा सकते हैं जहां तक हमारे पास शक्ति है---प्रतिबन्ध के पालन को देख कर। किन्हीं विशेष क्षेत्रों को अधिसूचित करने और उक्त क्षेत्रों के वायदा बाजारों की क्रियान्विति के लिये एक प्रशासनिक व्यवस्था की सर्जना करने पर ही ये शक्तियां उत्पन्न होंगी ।

माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि सभापति केवल इसी काम में रत नहीं रहते हैं । मैं उन्हें इस आशय का संतोष दे सकता हूं। वायदा बाजार आयोग के सभापति अथवा इस कार्य के लिये नियक्त किसी भी सदस्य को सरकार का अंग बनाने की मेरी मंशा नहीं है । किन्तु इस विषय में मैं एक कठिनाई अनुभव करता हूं । पटसन उद्योग की जांच के लिये हमारा एक आयोग है । आयोग का मुख्य कार्य पटसन व्यवसाय में व्याप्त 'फाटका' बाजार की जांच करना है जोकि वर्तमान में विभिन्न रूपों में प्रचलित है । मेरे न्यायिक परामर्शदाताओं को इस बात में सन्देह है कि क्या मैं वायदा बाजार आयोग के सभापति से उक्त आयोग का सदस्य बनने के लिये कह सकता हूं । सभापति अथवा दूसरे सदस्यों का अन्य उपयोग जो मैं करना चाहता हूं वह यह है कि जिन वस्तुओं का वे व्यवसाय करते हैं उन के परिमाप अथवा अध्ययन के सम्बन्ध में वे मेरी सहायता करें। यह मेरा इरादा नहीं है कि साइकिलों अथवा मशीनों के निर्माण के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिये मैं बाजार वायदा आयोग के सभापति से कहूं । इस सम्बन्ध में मैं तटकर आयोग से परामर्श प्राप्त करूंगा। मेरा विचार है कि मैं उन का परामर्श प्राप्त करने अथवा आवश्यकता हो तो, जांच के लिये उन्हीं वस्तुओं के सम्बन्ध में कहूंगा जिन का उन्हों ने अध्ययन किया है और जिन के विषय में कदाचित उन के पास अनुसन्धान शाला है। इस विध्यगत कठिनाई को दूर करने के लिये जो सभापति के इसी काम के लिये नियुक्त रहने से उत्पन्न होगी---हम ने प्रस्तुत संशोधन रखा है। मैं सदन से यह भी कह दूं कि यथासंभव शीघ्र ही इस आयोग के तीन सदस्य केवल इसी कार्य के लिये नियुक्त करने का सरकार का विचार है । हमारी कठिनाई वस्तुतः उन लोगों को प्राप्त करने में है जो व्यवसाय से असम्बद्ध रहते हुए भी वायदा बाजार के इस दुष्कर कार्य को संभालने की सहिष्णुता और ज्ञान से सम्पन्न हो । हमें पूर्व वक्ता से अधिक नहीं तो उन्हीं के सदृश चतुर व्यक्तियों से व्यवहार करना है उन के कार्यों का निरीक्षण करते हुए उन के परिणामों के सम्बन्ध में निर्णय करना है । इस भारी काम को संभालने वाले अधिकारीवर्ग को ढूंढ़ निकालना अत्यन्त दुष्कर है । उपयुक्त व्यक्तियों की खोज कर लेने पर वायदा बाजार आयोग के लिये पूरे समय के तीन सदस्यों की नियुक्ति करने की सरकार की मंशा है । महोदया, आयोग के कार्य की विशालता का मैं अनुमान कर सकता हूं और उस के विकास की सीमाओं के विचार मात्र से मैं कांप जाता हूं । मैं नहीं समझता कि कार्य की गुरुता को देखते हुए आयोग का सदस्य बनने के लिये व्यक्ति अधीर होंगे। वर्तमान सभापति ने स्पष्ट रूप से मेरे सामने यह स्वीकार किया था कि जब उन्हों ने इस पद पर कार्यभार संभाला था तब उन्हें इस का लेशमात्र भी ज्ञान नहीं था कि यह कार्य इतना कठिन और विशाल होगा। वस्तविक

दशाओं की जानकारी के लिये वह देश का भ्रमण कर रहे हैं। इस में कठिनाइयां हैं। मैं निसंकोच उन्हें स्वीकार करता हूं। मैं यह भी मान लेता हूं कि मेरे पूर्व वक्ता—जो इस विषय के उद्भव ज्ञाता हैं—मुझ से कहीं अधिक ज्ञान रखते हैं। मैं सदन को यह विश्वास दिला सकता हूं कि प्रस्तुत विशिष्ट उपबन्ध अत्यन्त विवेक तथा सावधानी के साथ प्रयुक्त किया जायगा। हम आयोग के सभापति अथवा सदस्यों का उपयोग उस कार्य के लिये नहीं करेंगे जो उन के काम से असंगत हो।

सभापति महोदय प्रश्न यह है कि :

"वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम, १९५२ में संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य परिषद् द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : हम खण्ड वार विचार करेंगे। खण्ड २। इस में कोई संशोधन नहीं हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : खण्ड २ और ३।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड २ और ३ विधेयक के अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ और ३ विधेयक के अंग बना लिये गये।

खण्ड १ विधेयक में जोड़ दिया गया।

नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री करमरकर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव को पारित किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : मुझे खेद है कि विचार प्रस्ताव प्रस्तुत होते समय मैं उपस्थित नहीं था वायदा सौदा विधेयक बहुत समय पूर्व पारित हुआ था। यद्यपि वायदा बाजार आयोग बहुत समय पश्चात् स्थापित किया गया था तथापि मुझे आश्चर्य है कि कुछ वस्तुओं का वायदा व्यापार करने वाली सारी संस्थाओं को अनुमति देने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है अब यह संशोधन प्रस्तुत कर दिया गया है। मैं इस स्थिति में भी माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि वह कम से कम वायदा बाजार आयोग के कार्य को गतिमय बनाये और अनिश्चित पड़ी प्रार्थनाओं पर निर्णय दें।

मैं ने माननीय मंत्री से पत्र व्यवहार किया था और उन का विचार था कि मध्य भारत में वायदा सौदे सम्बन्धी कोई विधि न थी। परन्तु मैं यह कहूंगा कि वहां विधि थी। विधेयक पारित होने के पश्चात क्या हुआ है। बम्बई राज्य का मुख्य रूप से पक्ष लिया गया है और वहां वायदा सौदा अधिनियम के अन्तर्गत तो नहीं अपितु वस्तु नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत छूट दी गई है। दूसरी ओर मध्य भारत के व्यक्तियों को जो पहले वायदा व्यापार करते थे, यह अधिकार नहीं दिया गया है। अतः मैं माननीय मंत्री से जोरदार शब्दों में कहूंगा कि वह इस मामले की फिर जांच करें और यह देखें कि उन व्यक्तियों को भी वायदा सौदा का व्यापार करने की अनुमति दी जाती है जो पहिले यह व्यापार करते थे।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वायदा बाजारों के सम्बन्ध में मैं लगभग स्थिति का वर्णन कर चुका हूं। माननीय सदस्य ने बम्बई में भेदपूर्ण व्यवहार के सम्बन्ध में जो शिकायत की है वह ठीक नहीं है। क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने से बहुत पूर्व 'ईस्ट इण्डिया

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

काटन एसोसियेशन' के नेतृत्व में वायदा व्यापार पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया था। इस के पश्चात हमारे लिये यह सम्भव न था कि हम अधिनियम की धारा १५ के अन्तर्गत किसी अधिसूचना के बिना वायदा व्यापार की अनुमति देते। मैं बता चुका हूं कि हमें इस मामले में अपने अपर्याप्त प्रयत्नों का ज्ञान है परन्तु हमारे सम्मुख जो कठिनाइयां आती हैं वे अजेय होती हैं जो कदाचित यथा समय में दूर हो सकती हैं। परन्तु मैं इस का आश्वासन नहीं दूंगा। माननीय सदस्य के राज्य में हो सकता है कि कपास की मंडी हो---उज्जैन---परन्तु उन्हें क्षेत्र के सारे मिलों को चालू रखना चाहिये। अन्यथा, उन के पास कपास का बाजार तो मौजूद होगा, परन्तु कपास खरीदने वाले नहीं होंगे।

श्री राधेलाल व्यास : कपास की मांग तो रहेगी चाहे मिलें चलें या बन्द रहें।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि : "विधेयक पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८, में अग्रेतर संशोधन करन के विधयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक को प्रस्तुत करने में मुझे यह कहन की अनुमति दी जाये कि किन कारणोंवश सरकार के लिये इस विधेयक का प्रस्तुत करना आवश्यक था।

१९४८ में अधिनियमित किया गया न्यूनतम मजूरी अधिनियम, आरम्भ में, वर्तमान भाग "क" राज्यों पर लागू होता था जो उस समय प्रान्त कहलाते थे। यह उस समय वर्तमान भाग "ग" के कुछ उन राज्यों पर भी लागू होता था जो पहले केन्द्र प्रशासित थे। भाग "ख" तथा भाग "ग" के राज्यों के एकीकरण के पश्चात यह अधिनियम उन पर भी लागू किया गया। परन्तु कुछ राज्यों पर यह १९५० में और अन्य राज्यों पर १९५१ में लागू किया गया। इन राज्यों पर इस अधिनियम के देर से लागू होने के कारण इसे उस काल में पूरे प्रकार से कार्यान्वित न किया जा सका जो आरम्भ में अधिनियम में निश्चित किया गया था, अर्थात् अनुसूची एक में वर्णित व्यवसायों के लिये १५ मार्च १९५० तक, और अनुसूची दो में वर्णित व्यवसायों के लिये १५ मार्च १९५१ तक नवीन एकीकृत राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार, न्यूनतम मजूरी निश्चय करने के लिये विहित समय-सीमा को अधिनियम में दो बार संशोधन कर के बढ़ाना पड़ा। पिछले संशोधन द्वारा निश्चित सीमा ३१ मार्च १९५२ को समाप्त हो गई थी परन्तु राज्यों से प्राप्त सूचनाओं से पता लगता है कि सारे राज्यों में समस्त अनुसूचित व्यवसायों, तथा व्यवसायों के मज़दूरों की समस्त श्रेणियों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजूरी निश्चित करने का काम अभी पूर्ण नहीं हुआ है। इस में कोई सन्देह नहीं कि ३१ मार्च १९५२ से पहिले काफ़ी काम पूर्ण हो गया था, परन्तु जब तक थोड़ा सा भी काम अपूर्ण रहता है, समय-सीमा का बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। इस उद्देश्य के लिये, संशोधन विधेयक ने ३१ दिसम्बर १९५३ लक्षित दिनांक निश्चित किया था। क्योंकि यह विधेयक पारित करन में देर हो गई है अतः

मुझे यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मैं दिनांक को बदल कर ३१ दिसम्बर १९५४ करने के संशोधन का सुझाव दूं । इसका परिणाम यह होगा कि समस्त सरकारों को स्थिति का पता लगाने तथा न्यूनतम मजूरी निश्चित करने की समस्त प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए एक वर्ष का समय मिल जायेगा । हमारा विचार समस्त राज्यों को यह सूचना देने का है कि शेष कार्य उस दिनांक तक अवश्य पूर्ण हो जाना चाहिये । यद्यपि न्यूनतम मजूरी निश्चित करने का निश्चित समय ३१ मार्च १९५२ को समाप्त हो गया था, बहुत सी राज्य-सरकारों ने उस दिनांक के पश्चात मजूरी की न्यूनतम दर निश्चित करने वाले आदेश निकाले हैं । क्योंकि वे आदेश आजकल अमान्य हैं अतः उन्हें मान्य बनाने का विचार है । इस का कारण यह है कि विधि संबंधी अभिसमय के अनुसार यह व्यवस्था करना आवश्यक है कि १ अप्रैल १९५२ तथा इस अधिनियम के पारित होने के दिनांक के बीच उन का पालन न करना दण्डनीय न होगा ।

कुछ भूलों को पूरा करने तथा कुछ सन्देहजनक बातों का स्पष्टीकरण करने के लिये हम इस अवसर से लाभ उठा रहे हैं । उदाहरणार्थ, यद्यपि अधिनियम की धारा ३ में कहा गया है कि किसी ऐसे अनुसूचित व्यवसाय के सम्बन्ध में यथोचित सरकार को मजूरी की न्यूनतम दर निश्चित करने की आवश्यकता नहीं होगी जिस में, सम्पूर्ण राज्य में, एक हज़ार से कम कर्मचारी हैं । ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिस में यह व्यवस्था की गई हो कि कर्मचारियों की संख्या एक हज़ार से अधिक होने पर यथोचित सरकार न्यूनतम मजूरी निश्चित करे । यह सन्तोषजनक नहीं है कि किसी बढ़ते हुए व्यवसाय को अरक्षित छोड़ दिया जाये और अब यह विचार है कि यह पता लगने के पश्चात्, कि संख्या एक हज़ार से अधिक हो गई है, एक वर्ष में न्यूनतम मजूरी निश्चित करना सरकार के लिये आवश्यक बना दिया जाये ।

इसी प्रकार, जब कि अधिनियम की धारा २७ के अन्तर्गत नवीन व्यवसाय अनुसूची के किसी भी भाग में सम्मिलित कर दिये जाते हैं, तो विधेयक में यह उपबन्ध है कि ऐसे सम्मिलन के पश्चात एक वर्ष में ही उन व्यवसायों में न्यूनतम मजूरी निश्चित हो जानी चाहिये ।

कृषि में न्यूनतम मजूरी निश्चित करने की कठिनाइयां बड़ी जबरदस्त हैं और प्रत्येक राज्य ने उन्हें अनुभव किया है । कदाचित, कृषि में न्यूनतम मजूरी धीरे धीरे निश्चित करनी पड़ेगी । अधिकतर राज्य सरकारें न्यूनतम मजूरी निश्चित करने का कार्य उन भागों में आरम्भ कर रही हैं जहां असाधारण रूप में कम मजूरी दी जाती है, और आशा करती हैं कि अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र में इसे धीरे धीरे लागू करेंगी । अधिनियम को कार्यान्वित करने के आरम्भ में यह आवश्यक है कि कृषि में न्यूनतम मजूरी निश्चित करना विशेष स्थानों तक ही सीमित रखा जाये या ऐसे स्थानों में व्यवसाय भी विशेष श्रेणियों तक सीमित रखा जाये । विधेयक में एक उपबन्ध द्वारा ऐसे निश्चय करने को सम्भव बना दिया गया है, और यह इस विषय पर वर्तमान उपबंधों का स्पष्टीकरण करता है ।

विधेयक का खण्ड ५ यथोचित सरकारों को एक नया अधिकार देता है । जब न्यूनतम मजूरी अधिनियम बनाया गया था, उस समय, कठिन परिश्रम करने वाले उन मजदूरों को रक्षण देने की इच्छा थी, जो उचित ढंग से जीवन-निर्वाह करने के लिये आवश्यक न्यूनतम साधनों से भी वंचित थे । विधान मण्डल की यह इच्छा न थी कि अधिक

[श्री वी० वी० गिरि]

वेतन पाने वाले मज़दूरों की रक्षा की जाये, परन्तु आजकल अधिनियम जिस रूप में है, यह अनुसूची में वर्णित उद्योगों के कर्मचारियों की समस्त श्रेणियों पर लागू होता है, और पर्याप्त वेतन पाने वाले अधिकारियों पर भी लागू होगा । एक उदाहरण के लिए नगरपालिका-निगम तथा पत्तन-न्यास 'स्थानीय अधिकार' के अन्तर्गत आते हैं । अधिनियम के वर्तमान रूप के अनुसार यह आवश्यक है कि यथोचित सरकारें महत्वपूर्ण स्थानीय संस्थाओं के इंजिनियरों, सफ़ाई अधिकारियों तथा प्रशासन कर्ताओं आदि का न्यूनतम वेतन निश्चित करें । अधिनियम उन पर लागू होने के लिये नहीं है और न ही यह उन पर उचित ढंग से लागू होने के योग्य है । अतः विधेयक के खण्ड ५ में यथोचित सरकारों को यह निदेश देने का अधिकार दिया गया है कि किसी अनुसूचित उद्योग में कर्मचारियों की उस विशेष श्रेणी के लिये न्यूनतम मजूरी निश्चित करने की आवश्यकता नहीं है जिसे ७५ रु० प्रति मास या ३ रु० प्रति दिन से अधिक मिलते हों । फिर भी, इस के पश्चात मज़दूर संघों ने वह सीमा, जिसे वे अपने विचारानुसार निम्न मजूरी सीमा मानते हैं, निश्चित करने के विरुद्ध विरोध किया है । उन्हों ने संकेत किया है कि यदि कोई यथोचित सरकार यह निश्चय करती है कि ७५ रु० या अधिक प्रति मास या ३ रु० प्रति दिन पाने वाली श्रेणियों को अलग कर दिया जाय, तो मज़दूरों की एक बहुत बड़ी संख्या अलग कर दी जायेगी, मुख्यकर बम्बई पत्तन-न्यास जैसे व्यवसायों आदि में । सरकार का भी यह विचार है कि मजूरी की एक ही सीमा अनुसूची में वर्णित समस्त व्यवसायों पर समान रूप से लागू नहीं होगी । परिणामस्वरूप, मैं संसद से प्रार्थना करूंगा कि विधेयक के खण्ड ५ में एक ऐसा संशोधन किया जाये जिस से कि ७५ रु० प्रति मास अथवा ३ रु० प्रति दिन की मजूरी सीमा हटा दी जायेगी । इस के साथ ही साथ सदन यह बात पसन्द करेगा कि न्यूनतम मजूरी विधान का यह कार्य नहीं है कि पर्याप्त वेतन पाने वाले अधिकारियों का वेतन निश्चित करे । इस कारणवश, यथोचित सरकारों को यह निश्चय करने का अधिकार देना आवश्यक होगा कि अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये न्यूनतम वेतन निश्चित करने की आवश्यकता नहीं है । उस हद तक इस संशोधन से यथोचित सरकारों को यह स्वविवेक का अधिकार मिल जायेगा और बम्बई तथा अन्य स्थानों में मज़दूर संघों ने, जहां वे समझते थे कि उन पर प्रभाव पड़ता है यही सुझाव दिया था ।

मैं एक विस्तृत वक्तव्य दे कर सदन का अधिक समय नहीं लूंगा । मैं जानता हूं कि इस सदन ने समय समय पर न्यूनतम मजूरी अधिनियम के धीरे धीरे कार्यान्वित होने पर असन्तोष प्रकट किया है, और यह विचार प्रकट किया है कि क्या इसे शीघ्र लागू नहीं किया जा सकता है । इस असन्तोष तथा जिज्ञासा की भावना में मैं सदन से सहमत हूं, और निरन्तर ही राज्य-सरकारों से कहता रहा हूं कि वे यथा शीघ्र तथा पूर्ण रूप से अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करें । परन्तु मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि इस मामले में राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को सहयोग दिया है, और यदि प्रगति पूर्णतया हमें सन्तुष्ट नहीं कर सकी है तो इस का कारण यह है कि अधिनियम को लागू करने में बहुत सी घोर कठिनाइयां हैं । फिर भी, समस्त राज्य कार्य को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और मुझे आशा है कि वे विधेयक में निश्चित समय के समाप्त होने से पहिले ही इसे समाप्त कर देंगे ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८, में अग्रेतर संशोधन करने के विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री एम० एम० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : माननीय मंत्री ने विधेयक के सम्बन्ध में कुछ असन्तोषजनक बातें कही हैं । एक ओर तो वे कहते हैं कि राज्य सरकारों ने कुछ देरी से आदेश जारी किए जिस के कारण उन की गलतियों को सुधारने की आवश्यकता पड़ी । और दूसरी ओर वे कहते हैं कि राज्य सरकारें सहयोग देती रही हैं । यह हमारी समझ से बाहर की बात है ।

वे यह भी कहते हैं कि इस विधेयक के क्षेत्र को विस्तृत नहीं किया जा सकता जिस से कि सब प्रकार की सेवा युक्तियों को और विशेषत: कृषि श्रम को इस के अन्तर्गत लाया जा सके ।

इस देश में लगभग ७५ प्रतिशत श्रमिक कृषि कार्य करते हैं और केवल २० प्रतिशत श्रमिक कारखानों में काम करते हैं । हमें स्वतंत्रता प्राप्त किये हुए आज आठ वर्ष हो गये हैं, परन्तु हम ने कृषि श्रमिकों की रक्षा और कल्याण के लिए कुछ नहीं किया । माननीय मंत्री कहते हैं कि हम ने प्रगति की है और प्रगति कर रहे हैं । परन्तु कृषि श्रमिकों के प्रति कोई न्याय और हित का कार्य नहीं किया गया । हमारे श्रम मंत्री ने जो कभी श्रमिकों के बड़े नेता थे पद संभालने के पश्चात् अपनी सद्भावना का परिचय नहीं दिया ।

दूसरी बात यह है कि यह विधेयक अपूर्ण है । इस का सम्बन्ध केवल कुछ कारखानों से है जिस में श्रमिकों की निश्चित संख्या होगी । भारत में आजकल अधिकतर छोटे उद्योग हैं । यह विधेयक इतना रूढ़िगत है कि छोटे उद्योगों में लगे हुए श्रमिकों के हितों की ओर ध्यान नहीं देता । इस लिए मैं चाहता हूं कि देश के सभी प्रकार के उद्योगों में लगे हुए श्रमिक इस विधेयक के अन्तर्गत आ जायें ।

इस के अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारों के बीच एकसूत्रता नहीं है । इस का कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार एकसूत्रता का कार्य नहीं कर रही । आज हम क्या देखते हैं कि कुछ राज्य सरकारें विधान को स्वीकार कर रही हैं तो अन्य इस के उल्लंघन के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रहीं । श्रमिक संघों ने कई बार शिकायत की है कि न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम को प्रवर्तित नहीं किया गया परन्तु सम्बन्धित राज्यों अथवा केन्द्रीय सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की । केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि इस अधिनियम को देश के सब भागों में प्रवर्तित करवाये ।

मैं एक बात आंकड़ों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । सरकार ने अभी तक कोई परिमाप नहीं किया और इस कारण विभिन्न प्रकार के उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के सम्बन्ध में आंकड़े हमारे पास नहीं हैं । इसलिए हम नहीं जान सकते कि कितने प्रतिशत श्रमिकों को इस विधेयक से लाभ पहुंच रहा है ।

अन्त में मेरा निवेदन है कि यदि आप कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं, यदि आप आय की समता चाहते हैं, यदि आप न्यूनतम निर्वाह स्तर निश्चित करना चाहते हैं तो इस विधेयक के क्षेत्र को विस्तृत करना चाहिये ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार (जालन्धर) : जनाब चेयरमैन साहिबा, जिस बिल पर हम आज विचार कर रहे हैं, मेरे ख्याल में जितने भी मज़दूरों के क़ानून सेंट्रल गवर्नमेंट से पास हुए हैं, उन में सब से कम इस क़ानून

[श्री ए० एन० विद्यालंकार]

पर अमल हुआ है। यह पहली दफ़ा नहीं है जब कि भारत सरकार की तरफ़ से पार्लियामेंट के सामने यह तजवीज़ रक्खी गई है कि मिनिमम वेज मुक़र्रर करने की तारीखें बदली जायें और उन में कुछ ज्यादा समय स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाय। इस क़ानून के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स ने बिल्कुल भी अमल नहीं किया, या जहां पर अमल हुआ भी है और जहां पर कम से कम उजरतें मुक़र्रर हुई हैं, वहां पर भी उन पर अमल नहीं हुआ है। मैं पंजाब के सम्बन्ध में कह सकता हूं कि वहां पर इस क़ानून के मुताबिक़ कम से कम उजरतें मुक़र्रर हुई हैं। जहां उजरतें मुक़र्रर हुई हैं वहां की मैं आप को बात बतलाता हूं। मिसाल के तौर पर रोड मेकिंग और स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री में मिनिमम वेज मुक़र्रर करने के लिए जो कमेटियां बनाई गई तो उस में हुआ यह कि पी० डब्ल्यू० डी० के कुछ मुलाज़िम और कुछ ठेकेदारों के मुलाज़िम ले लिये गये और उन को मज़दूरों के नुमायन्दे के तौर पर पेश किया गया और जो चाहा या जो कुछ मिनिमम वेज मुक़र्रर करने की सिफ़ारिश थी, उन से वैसा करवा लिया गया और इस तरह मिनिमम वेज वहां पर मुक़र्रर की गई। मज़दूरों के सहज नुमायंदे जो कि यह कह सकें कि उजरतें क्या मुक़र्रर होनी चाहिएं, किस तरह मुक़र्रर होनी चाहिएं, उन कमेटियों में नहीं लिये गये। मैं और भी कुछ कमेटियों के बारे में जो दूसरे सूबों में बनायी गयीं, जानता हूं कि उन में भी मज़दूरों के सही नुमायन्दे ले कर उन के ज़रिये उजरतें मुक़र्रर नहीं की गयीं, बल्कि उन कमेटियों में भी इसी प्रकार से नुमायन्दे ले लिये गये और वहां भी चूंकि नामिनेशन हुआ, इसलिए जिन को भी नामिनेट किया गया, उन से मन चाही वेज मुक़र्रर करवा ली गयी। आज जिस शक्ल में यह क़ानून हमारे सामने मौजूद है, उस के अन्दर काफ़ी कमियां हैं और उस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। सब से बड़ी कमी जो इस वक्त अमेंडमेंट पेश हुआ है, उस से भी ज़ाहिर है। अगर स्टेट की गवर्नमेंट्स पूरी तरह से सहयोग न दें और वह उन तारीखों का ध्यान न रक्खें कि जिन तारीखों तक उन्हें कम से कम उजरतें मुक़र्रर करनी हैं, तो उस सूरत में इस मौजूदा क़ानून के अन्दर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती और केन्द्रीय सरकार सिवाय इस के कि फिर पार्लियामेंट के सामने पेश हो और वह उस तारीख को और बढ़वाये, उस के सामने कोई और चारा नहीं रहता है। इसी तरह अगर जो प्रान्तीय गवर्नमेंटें, स्टेट गवर्नमेंट्स, वह बाक़ायदा तौर पर जो कमेटियां बनती हैं, वह पूरी तौर पर मज़दूरों के नुमायंदे इन कमेटियों पर नहीं रखते और मज़दूरों का उन के अन्दर पूरा प्रतिनिधित्व नहीं रहता तो उस सूरत में कोई चारा नहीं कोई रास्ता नहीं कि वह अपनी बात मनवा सकें क्योंकि मज़दूरों के सही नुमायंदे तो वहां पर होते नहीं और न ही कुछ इंडस्ट्रीज़ को सूची में बढ़वा सकते हैं। खास स्टेट्स के अन्दर खास इंडस्ट्रीज़ हैं जिन के सम्बन्ध में वहां के मज़दूर समझते हैं या मज़दूरों में काम करने वाले कार्यकर्ता समझते हैं कि फलां फलां इंडस्ट्रीज़ को सूची में बढ़वाना आवश्यक है, क्योंकि उन इंडस्ट्रीज़ में उजरतें बहुत ही कम हैं, आज की हालत में उन के पास कोई चारा मौजूद नहीं है कि मौजूदा ऐक्ट के रहते उस सूची में इज़ाफा कर सकें, जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट्स कोई कोआपरेशन देने को तैयार न हों और स्टेट गवर्नमेंट्स उन शेड्यूल्स के अन्दर कोई इज़ाफा करने को तैयार न हों। वेजज़ मुक़र्रर होने के बाद कोई ऐसा रास्ता नहीं कि अगर उस के ऊपर अमलदरामद नहीं होता, तो कोई तरीक़ा नहीं जिस के ज़रिये उस के ऊपर अमल कराया जा सके।

पंजाब के सम्बन्ध में मैं कह सकता हूं कि एग्रीकल्चर के अन्दर भी कम से कम उजरतें मुक़र्रर हुई हैं, कम से कम मजदूरी मुक़र्रर हो चुकी है, लेकिन वाक़या यह है कि आज तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ और जिस वक्त गवर्नमेंट से कहा जाता है कि उस पर अमल नहीं होता तो वह कहती है कि इतने इंस्पेक्टर्स कहां से लाये जायें; इतना स्टाफ़ कहां से लाया जाय, जो इस क़ानून को इनफ़ोर्स करा सके और इस को अमली जामा पहिना सके । मजदूरों की जिन की उजरतें मुक़र्रर होती हैं, उन के पास कोई ताक़त नहीं, कोई ऐसा क़ानूनी ज़रिया नहीं जिस के ज़रिये वह अपनी बात को मनवा सकें, और जो उन के अधिकार हैं उन को पूरे तौर से ले सकें । मैं यह महसूस करता हूं कि जो इस वक्त मिनिमम वेजेज़ अमेंडमट बिल हमारे सामने पेश है, इस को काफ़ी सुधारा जाना चाहिये, मैं इस अमेंडमेंट का समर्थन करता हूं, लेकिन मैं साथ ही यह समझता हूं कि यह तरमीम काफ़ी नहीं है । इस ऐक्ट को हमें बिल्कुल नये सिरे से बदलना चाहिये, ओवरहाल करना चाहिये और इस को ज्यादा ताक़तवर और ज़िन्दा क़ानून बनाना चाहिये, वरना यह मिनिमम वेजेज़ऐक्ट इस तरमीम के साथ भी एक कमज़ोर क़ानून बना रह जायगा।

कागज़ पर तो बहुत कुछ लिखा जायगा, लेकिन मज़दूरों को सही राहत नहीं मिलेगी । मैं इस मौजूदा अमेंडमेंट का जो कि ऐक्ट में किया जा रहा है, विरोध नहीं करता और मैं चाहता हूं कि यह पास हो जाय, लेकिन मैं यह ज़रूर चाहता हूं कि मिनिमम वेजेज़ ऐक्ट को ज्यादा ज़ोरदार बनाने के लिए हमारे मिनिस्टर साहब इस सारे ऐक्ट को फिर से रिवाइज़ करें और ऐसा कर के फिर इस को एक नये ऐक्ट की सूरत में पार्लियामेंट के सामने लायें । इन अल्फ़ाज़ के साथ मैं अपनी स्पीच ख़त्म करता हूं ।

श्री टी० बी० विटठल राव (खम्मम): पांच वर्ष पूर्व जब इस मूल अधिनियम को पारित किया गया था तो प्रत्येक व्यक्ति समझता था कि सरकार इसे वस्तुतः क्रियान्वित करना चाहती है । परन्तु वर्ष प्रति वर्ष इस का काल आगे बढ़ाया जा रहा है । ३१ दिसम्बर १९५४ तक इस के प्रवर्तन की कालावधि बढ़ाते हुए यदि मंत्री यह आश्वासन दिलाते कि भूतलक्षी प्रभाव से मजूरी दी जाएगी तो हम उन की सद्भावना पर विश्वास करते । परन्तु मुझे सन्देह है कि वे कभी आश्वासन को पूरा करेंगे ।

माननीय मंत्री कहते हैं कि 'ख' भाग के राज्यों में इस कारण विधान के प्रवर्तन में देरी हुई है कि उन्हों ने अभी तक समितियां स्थापित नहीं कीं । मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि उन्हों ने अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमयों का अनुसमर्थन नहीं किया । स्वर्गीय श्री हरिहर नाथ शास्त्री ने आय-व्ययक सत्र में बतलाया था कि वह अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमयों के अनुसमर्थन कराने में परेशानी अनुभव कर रहे हैं ।

माननीय मंत्री ने विश्वास दिलाया कि दैनिक ३ रुपये और मासिक ७५ रुपये की न्यूनतम मजदूरी को हटा दिया जायेगा । उन का तर्क यह था कि प्रशासक और इंजीनियर भी इस के अन्तर्गत आ जाएंगे जबकि तथ्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति यह समझता है कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम केवल शारीरिक श्रम करने वालों के लिए है । परन्तु यह तर्क ठीक नहीं है क्योंकि यह अधिनियम सभी कड़ा परिश्रम करने वालों के लिये है ।

विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न समितियां स्थापित की जाती हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश उन में

[श्री टी० बी० विट्ठल राव]

श्रमिक संघों अथवा श्रमिकों के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता । इस लिए स्वभावत: न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रवर्तन में देरी हो रही है ।

कोयले की खान के श्रमिकों के सम्बन्ध में मेरा यह अनुरोध है कि यह अधिनियम उन पर भी लागू होना चाहिये । यद्यपि उन्हें अधिक लाभ नहीं होगा परन्तु वे अपनी साप्ताहिक छुट्टी के लिए मजूरी पा सकेंगे । उन्हें सब प्रकार के श्रमिकों से अधिक सख्त कार्य करना पड़ता है । और सब से कम वेतन मिलता है ।

सड़कों और भवनों की रचना में लगाये गये श्रमिकों के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि सरकार ने स्वयं सहस्रों ऐसे श्रमिकों को रखा हुआ है और उन की न्यूनतम मजूरी निश्चित नहीं की । इस कारण सरकार के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं रह जाता कि वह अन्य उद्योगों पर इन अधिनियमों को लागू कर सकें ।

अन्त में मेरा सरकार से अनुरोध है कि चाहे अधिनियम के प्रवर्तन में देरी हो जाए परन्तु मज़दूरों को मजूरी भूतलक्षी प्रभाव से मिलनी चाहिये तथा सरकार को चाहिये कि वह अन्तर्राष्ट्रीय श्रमसंगठन के अभिसमयों का अनुसमर्थन करे ।

श्री के० पी० त्रिपाठी (दरांग) : मेरा विचार था कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम के प्रवर्तन के पांच वर्षों के अनुभव से अधिनियम की त्रुटियों का पता लग गया होगा, और सरकार उस के अनुसार अधिनियम को संशोधित करेगी । परन्तु इस संशोधक विधेयक में प्रगति करने के बजाय एक मामले में तो कुछ पग पीछे ही हटा गया है । अनुभव तो यह बताता है कि जब अधिनियम में रक्षा सबधी उपबन्ध न किए जायें न्यूनतम मजूरी का कोई विधान नहीं बनाया जा सकता । जब १९५१ के अन्त में और १९५२ के आरम्भ में चाय उद्योग का संकट काल था, सरकार ने उस समय उद्योग की सहायता की, परन्तु सरकार की इस घोषणा पर भी कि श्रमिकों पर इस का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये, श्रमिकों पर प्रभाव पड़ा । सरकार ने बिना बचत के बागान बनाए जिन में श्रमिकों के वेतनों को घटाया गया । इस प्रकार न्यूनतम मजूरी का सम्बन्ध जीवनांक से न रह गया वरन् उस का सम्बन्ध सम्बन्धित उद्योग के सामर्थ्य से जोड़ दिया गया । इस से पता चलता है कि यह न्यूनतम मजूरी नहीं थी बल्कि एक निश्चित मजूरी थी । न्यूनतम मजूरी तो वह है जो घटाई न जा सके । इस लिए मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि न्यूनतम मजूरी का विधान तभी बनाया जा सकता है जबकि संकट काल के लिए एक विशेष निधि का उपबन्ध हो ताकि उद्योग को इस बात के लिए बाध्य किया जा सके कि वह न्यूनतम मजूरी दे । अन्यथा आप को यह प्रत्याभूति देनी चाहिये कि आप उद्योगों को न्यूनतम मजूरी देने के लिये बाध्य करेंगे और उस के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले परिणामों को संभालेंगे । बच्चों की शिक्षा और पैन्शन इत्यादि के लिए ऐसी विशेष निधियों का उपबन्ध है । इसलिए मैं सरकार और योजना आयोग का ध्यान विधान की इस कमी की ओर दिलाता हूं । इस कमी को दूर करने पर ही वह स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि जब कोई उद्योग अच्छी स्थिति में न हो तो भी न्यूनतम मजूरी दे ।

उद्योग नियंत्रण अधिनियम के अधीन जो उद्योग बन्द हो जाए सरकार उसे अपने हाथ में ले लेती है और संकटकाल के अन्त पर उद्योगपति फिर उसे संभाल लेते हैं

और कार्य आरम्भ कर देते हैं। बेकारी का समस्त भार श्रमिकों को ही वहन करना पड़ता है। संकटकाल अधिक समय तक नहीं रहता, वह थोड़े समय के पश्चात समाप्त हो जाता है। उस संकटकाल के लिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं एक समानीकरण निधि का उपवन्ध करना चाहिये।

अब निर्धारित न्यूनतम मजूरी के संबंध में कुछ बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि एक परिवार में एक व्यक्ति को न्यूनतम मजूरी कमानी चाहिये अथवा परिवार के प्रत्येक स्त्री और बच्चे को यह मजूरी प्राप्त करनी चाहिये। मैं ने न्यूनतम मजूरी समिति में यह सुझाव रखा था कि कम से कम बच्चों को रहने देना चाहिये। न्यूनतम मजूरी के विधान को इस प्रकार का पथ प्रदर्शन रहना चाहिये जिस के आधार पर न्यूनतम मजूरी समितियां मजूरी निर्धारण के समय कार्य कर सकें। इस में पहली बात यह होनी चाहिये एक व्यक्ति परिवार के लिये न्यूनतम मजूरी प्राप्त कर सके। दूसरे बच्चों को जीविनोपार्जन के लिए बाध्य नहीं करना चाहिये। बच्चों की कमाई अनुपूरक कमाई होनी चाहिये। और तीसरे स्त्रियों को पुरुषों के समान मजूरी मिलनी चाहिये। यदि वे वैसा ही काम करें। चाय बागान में यह मनोरंजक बात थी कि स्त्रियां पुरुषों से अधिक चाय चनती थीं परन्तु उन्हें मजूरी कम मिलती थी।

आप ने यह उपबन्ध किया है कि जो उद्योग ७५ रुपये मासिकमजूरी दे सकते हैं उन पर यह विधान लागू नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं कि जब हमारा देश एक संदेहजनक अर्थ-व्यवस्था में से गुजर रहा है तो किसी से न्यूनतम मजूरी विधान के लाभ को वापस लेना ठीक नहीं है।

श्री वी० वी० गिरि : एक संशोधन प्रस्तावित किया जा रहा है।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मैं इस विधेयक के सिद्धान्तों का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार निकट भविष्य में एक व्यापक संशोधक विधेयक प्रस्तुत करेगी। मैं आशा करता हूं कि न्यूनतम मजूरी विधान में अग्रेतर संशोधन करते समय इस बात की ओर ध्यान दिया जायेगा कि सब उद्योगों में सब प्रकार के श्रमिकों के लिए अवकाश की व्यवस्था की जाये। देखा गया है कि विश्व के उन सब भागों में जहां श्रमिकों को छुट्टी की सुविधा प्राप्त है, उन की कार्यक्षमता अधिक है। हमें यह जांच करनी पड़ेगी कि हमारे कौन से उद्योगों में श्रमिकों को सप्ताह के सात दिन काम करना पड़ता है। इन के लिए छुट्टी का प्रबंध करना आवश्यक है।

श्री बी० एस० मूर्ति (एलूरू) : मैं माननीय मंत्री को या मंत्रालय को बधाई नहीं दे सकता, क्योंकि यह विधेयक एक वर्ष पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। श्री गिरि श्रमिकों को प्रोत्साहन देने के लिए भाषण तो बहुत करते हैं किन्तु उन्हों ने अभी तक एक ऐसा व्यापक विधेयक प्रस्तुत नहीं किया, जिस से कि भारत के श्रमिक समाज में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकें।

भारत में ८० से ९० प्रतिशत तक लोग अति कठिन परिश्रम करने वाले हैं, चाहे वे कारखानों में काम करते हैं या कृषि में। उन की ओर कोई ध्यान नहीं देता। प्रधान मंत्री कहते हैं कि सब लोगों को पंच वर्षीय योजना को सफल बनाने में सहयोग देना चाहिये किन्तु इस पंच वर्षीय योजना में श्रमिकों के लिए क्या व्यवस्था की गई

[श्री बी० एस० मूर्ति]

है ? इस का कोई उल्लेख नहीं और न ही बेकारी के सम्बन्ध में आंकड़े इकट्ठे किये गये हैं ।

न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने के लिए जो प्रणाली अपनाई गई, वह बहुत विचित्र है । केवल इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि उद्योग कितना लाभ कमा सकता है । इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि श्रमिकों को भोजन मिलना चाहिए और उन में जीवन निर्वाह करने की शक्ति होनी चाहिए । परन्तु आजकल कारखाने यह चाहते हैं कि उन का खून चूस लिया जाये और उन्हें निर्वाह के लिए कुछ न दिया जाये । श्रीमान, इन न्यूनतम प्रमापों को लागू करने में भी बहुत विलम्ब किया गया है । हर वर्ष इस काम को उठा रखा जाता है । कुछ श्रेणियों को अनुसूची में सम्मिलित किया गया है । कुछ और आज तक भी अनुसूची से बाहर हैं । मैं मंत्रालय से प्रार्थना करूंगा कि श्रमिकों की सब महत्वपूर्ण श्रेणियों को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देनी चाहिए । मैं कृषि श्रमिकों के बारे में भी एक शब्द कहना चाहूंगा । भारत के लगभग ६० प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं । भूमिहीन कृषि मजदूरों की कठिनाई यह है कि उन्हें वर्ष में केवल ४ या ५ मास ही काम मिलता है । न ब्रिटिश सरकार ने इन्हें पूरे वर्ष का काम देने के लिए पग उठाये थे और न ही कांग्रेस सरकार ने उठाये हैं । इस लिए मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे कृषि मजदूरों के लिए भी न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने की व्यवस्था करें । कृषिकर श्रमिकों के लिए न्यूनतम बेतन निश्चित करते समय हमे यह देखना चाहिए कि उन के साथ उचित न्याय किया गया है ।

जमींदारों तथा कृषिकर श्रमिकों के आन्तरिक झगड़ों को निपटाने के लिए मजूरी-बोर्ड तथा समझौता-बोर्ड बनाने चाहिएं क्योंकि कृषिकर श्रमिकों में स्थायी तौर पर सौदा करने की क्षमता नहीं होती क्योंकि वे लोग सुसंगठित नहीं होते एवं उन का शोषण किया जाता है । अतएव सरकार को इस का ध्यान रखना चाहिए और शीघ्रातिशीघ्र ही इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिए कि कृषिकर श्रमिकों को अपने आप को सुसंगठित करने के लिए पूरी पूरी सुविधा मिले एवं उन्हें उन के श्रम का पूरा पूरा लाभ मिले, एवं जैसा कि पूर्ववक्ता ने कहा है कि उचित विधान द्वारा अधिरक्षण श्रम प्रथा को प्रोत्साहन देना चाहिए । उस विधान में इस बात का उपबन्ध किया जाना चाहिए कि इन श्रमिकों की सभी सहकारी संस्थाओं को उचित प्रोत्साहन मिले । किसी भी प्रकार का शोषण सहन न किया जाना चाहिए । अतएव सरकार को चाहिए कि वह जल्दी ही श्रमिकों को चाहे वे कृषिकर हों अथवा औद्योगिक उन के अधिकारों एवं सुविधाओं को प्रत्याभूति करने वाला व्यापक विधान लाये ।

डा० सत्यवादी (करनाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, मैं इस बिल के विरोध के लिये तो नहीं खड़ा हुआ हूं, लेकिन आप का ध्यान मजदूरों के उस तबके की ओर दिलाना चाहता हूं जो म्युनिसिपैल्टियों में सफाई का काम करते हैं । यों तो अब तक जितना भी हम मजदूरों के लिये करते रहे हैं, उन में सभी जगह उन्हें नज़रअन्दाज किया गया है, लेकिन जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है पंजाब का तजर्बा मुझे भी है । खासकर उन लोगों के सम्बन्ध में जो म्युनिसिपैल्टियों में सफाई का काम करते हैं ।

अभी पंजाब का पक्ष विद्यालंकार जो आपके सामने रख रहे थे, और यह बात उन्होंने बताई थी कि जो खेतिहर मजदूर हैं उनके लिये कम से कम उजरतें तो दो साल हुए मुकर्रर हो चुकी हैं, लेकिन उन पर अभी तक अमल नहीं हुआ । म्युनिसिपल लेबर के विषय में भी मुझे बताना है कि उन के लिये जो दो साल हुए ऐसी उजरतें मुकर्रर हुई थीं, उन पर अमल करने में म्युनिसिपैल्टियों ने, उन मालिकों ने, कितनी चालाकी और कितनी अजीब व गरीब हरकतें की हैं जिससे कि उन लोगों को जो कुछ मिला था वह भी उन तक पहुंचे न सके ।

एक बात तो यह है कि पंजाब की म्युनिसिपैल्टियों में जहां जहां इस कम से कम उजरतों के मामले पर अमल किया गया, अक्सरियत ऐसी कमेटियों की है जिन्होंने कि मजदूरों की संख्या कम करके बाकी को उजरतें देना शुरू किया, जिसका मतलब यह था कि एक हाथ से मजदूरों से लेकर और मजदूरों की बेरोजगारी बढ़ा कर बाकी मजदूरों को उन्हीं से छीना हुआ रुपया वेतन के रूप में दे दिया गया । इस के लिये पार्ट टाइम और होल टाइम स्वीपर्स की बात बनाई गई और कारण बताया गया कि यह लोग पार्ट-टाइम थे और अब हम उन्हें होल टाइम रख कर यह मिनिमम वेजेज दे रहे हैं । लेकिन असलियत यह है कि जहां तक स्वीपर्स की बात है, सफाई करने वालों की बात है, उस को जब हम सुबह पांच घंटे के लिये एंगेज कर लेते हैं तो वही वक्त उस मजदूर के काम का है । उन पांच घंटों के बाद जब वहां से पार्ट-टाइम काम करके वह निकलता है तो उसके लिये कोई और काम बाकी नहीं रह जाता । इस लिये मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि जब इस कानून पर अमल कराने के लिये कोई हिदायत जारी की जाये तो इस बात का खयाल रक्खा जाय कि यह पार्ट टाइम और होल टाइम वाला झगड़ा म्युनिसिपल लेबर के ऊपर से हटा दिया जाय ।

इसके अलावा हमारे यहां पंजाब में अभी एक नई बात पैदा हुई । पिछले दिनों सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों के लिये जिन्हें १०० रु० से कम वेतन मिलता था महंगाई के भत्ते में पांच रुपयों का इजाफा किया था । पंजाब में जब दूसरे मुलाजिमों के लिये यह पांच रुपये दिये गये तो हम ने म्युनिसिपैल्टियों में काम करने वाले मजदूरों के लिये भी इन पांच रुपयों की मांग की । लेकिन हमें यह बताया गया उनको यह पांच रुपये इस लिये नहीं दिये जाते कि मिनिमम वेजेज तय करते वक्त उनके लिये जो उजरत मुकर्रर की गई थी वह "आल इन्क्लुसिव" थी । उस में महंगाई भत्ते की जगह अलाहदा नहीं थी । इस लिये उन को वह पांच रुपये नहीं दिये जाते । इसके विषय में हमारा झगड़ा पंजाब सरकार से चल रहा है । मैं यह कहूंगा कि यह मिनिमम वेजेज जो पंजाब में म्युनिसिपल लेबर के लिये मुकर्रर की गई, वह उनके लिये एक डिसएबिलिटी बन गई । इस बात के लिये और आगे भी उन को कोई लाभ देने में इस तरह का व्यवहार उन लोगों को मिल रहा है । इस की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

इसके साथ ही समय की बात है कि काम करने के लिये कितना वक्त हो और उसके साथ ही हफ्तेवारी छुट्टी है जो कि करीब करीब सब मजदूरों के लिये होती है । लेकिन इस सफाई पेशे वाले मजदूरों के मामले में यह चीज हम नहीं दे रहे हैं । म्युनिसिपैल्टियों में जहां भी यह लोग काम करते हैं, इन्हें कोई भी छुट्टी आराम के लिये नहीं दी जाती । इसी तरह से काम करने के घंटों की बात भी है । दूसरे मजदूरों के मुकाबले में ऐसे मजदूरों के काम का नेचर ऐसा है कि जब हम दूसरे मजदूरों से आठ घंटे काम करवाते हैं तो इन मजदूरों का छः घंटों का काम सेहत के

[डा० सत्यवादी]

एतबार से, मेहनत के ऐतबार से, हर ऐतबार से उन के आठ घंटों से ज्यादा होता है।

इसलिये इस किस्म की हिदायत होनी चाहिये कि जब मिनिमम वेजेज ऐक्ट के मातहत रूल्स बनाए जायं या जो बनाए जा चुके हैं, उनमें इस प्रकार से संशोधन किया जाय कि इन के काम करने के घंटे दूसरे मज़दूरों के मुक़ाबले में कम हों, क्योंकि सफाई पेशा मज़दूर ऐसे वातावरण में रहते हैं कि जो सेहत के लिये घातक है, हानिकारक है। उन के लिये दूसरे मज़दूरों की तरह ज्यादा से ज्यादा वक्त रखना एक जुल्म है। तो इस तरफ़ मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं।

साथ ही यह भी बात है जो कि अभी श्री विद्यालंकार जी ने कही कि हमें देखना चाहिये कि इस पर अमल भी होता है या नहीं। हमें सिर्फ़ इतना ही नहीं देखना है कि क़ानून पास हो गया और फिर उस में ढीले हो जायं, बल्कि यह भी देखना है कि उस पर अमल भी हो रहा है या नहीं। इस पर हमें पंजाब में अमल कराने के लिये कई बार आन्दोलन और जद्दो जहद करनी पड़ी है और तब भी छः छः महीने तक एक आन्दोलन करने के बाद यह अमल में आया है। फिर भी मजदूरों को मिनिमम वेजेज उस वक्त से नहीं दी गयीं।

दूसरी बात कमेटियां बनाने के बारे में, उन के मेम्बर रखने के लिये है, जिसकी तरफ़ विद्यालंकार जी ने भी इशारा किया। हम ने पंजाब में यह बात देखी कि एक ऐसे सज्जन जो शहर की सफ़ाई के काम से ताल्लुक रखते थे उन को खेतिहर मज़दूरों की एक कमेटी का मेम्बर बनाया गया। यह तो बात ऐसी ही हुई कि जैसे पेट के दर्द का इलाज कराने के लिये किसी इंजीनियर को बुलाया जाय। तो देखना यह होगा कि जो क़ानून हम यहां पर पास करते हैं उस पर अमल भी होता है और हमें देखना चाहिये कि उस पर सही अमल हो रहा है या नहीं और उससे उन को वह लाभ पहुंच रहा है या नहीं कि जिन को लाभ पहुंचना चाहिये।

श्री दामोदर मेनन (कोजिकोडे) : यहां तक कि कांग्रेस दल के सदस्यों की बराबर यह शिकायत रही है कि श्रम विधान को लागू करने में सरकार पूरे उत्साह से काम नहीं कर रही है। इस मामले में भी हम देखते हैं कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें न्यनतम मजूरी अधिनियम को लागू करने में कुछ इच्छुक नहीं रही हैं, और न उन्होंने इसे लागू करने के लिए उत्साह ही दिखाया है। और यही कारण है सभी राज्य सरकारों में इस अधिनियम को लागू करने के लिए अधिक समय की मांग करते हुए माननीय श्रम मंत्री दयनीय स्थिति में बराबर हमारे सन्मुख आते हैं। हमें समय बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है किन्तु हम तभी समय बढ़ा सकते हैं जबकि माननीय श्रम मंत्री हमें इस बात का आश्वासन दें कि भविष्य में वे समय बढ़ाने की मांग नहीं करेंगे। अब हम एक वर्ष का समय और दे रहे हैं।

माननीय श्रम मंत्री ने कहा है कि कृषि मज़दूरों पर इस अधिनियम को लागू करने में कुछ कठिनाइयां हैं। देश के मज़दूरों में अधिक संख्या कृषि मजदूरों की है। यदि उनके साथ हम न्याय न कर सके तो मैं कहता हूं कि हम इस बात का दावा नहीं कर सकते कि श्रमिकों के सम्बन्ध में बनाये जाने वाले विधान के मामले में हम प्रगति कर रहे हैं। अतएव मैं आशा करता हूं कि इस उपबन्ध के अनुसार जो समय मिला है उसमें इस विधान को लागू करने के लिए और भी अधिक प्रयत्न किया जायगा।

अब मैं इस संशोधन विधेयक के खंड ५ को लेना चाहता हू। श्रम मंत्री ने अपने भाषण

में कहा था कि इसका अर्थ यह है कि अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी जैसे इंजीनियर आदि इस न्यूनतम मजूरी अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नहीं आते ? मैं श्रम मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस खंड का तात्पर्य बम्बई बन्दरगाह के कर्मचारियों को इस न्यूनतम मजूरी अधिनियम के लाभों से वंचित रखना है । श्रम मंत्री ने ही इस खंड के सम्बन्ध में संशोधन रखा है । मेरा अपना विचार है कि सम्पूर्ण खंड को ही विधेयक में से निकाल देना चाहिए । इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है । यदि माननीय श्रम मंत्री का उद्देश्य बम्बई बन्दरगाह के कर्मचारियों एवं, उसी प्रकार के अन्य कर्मचारियों को न्यूनतम मजूरी अधिनियम के लाभों से वंचित करने का नहीं है तो उन्हें इस खंड को विधेयक में से निकाल देना चाहिए ।

श्री वी० वी० गिरि : यही बात सभी प्रकार के कर्मचारी चाहते हैं । उपयुक्त सरकार को अधिकार देते हुए वे इस उपबन्ध को सम्मिलित करना चाहते हैं । उन्होंने कहा था कि वे उपयुक्त सरकार से बातचीत करने में समर्थ होंगे । माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि बम्बई बन्दरगाह के मामले में यह न्यूनतम मजूरी अधिनियम ३००) तक वेतन पाने वालों तक पर लागू होता है । कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें ३०५) मिलते हों । अतएव कर्मचारियों ने कहा था कि यदि हम कोई सीमा निश्चित करते हैं तो उनको कठिनाई होगी । विशेष रूप से वह यह चाहते थे कि कोई भी सीमा निश्चित न की जाय । वस्तुतः सरकार का विचार, जैसा कि वेतन भुगतान अधिनियम में उल्लिखित है, २००) की सीमा निश्चित करना था । किन्तु हमने अनुभव किया कि, बम्बई बन्दरगाह के सभी प्रकार के कर्मचारियों के अभ्यावेदन को दृष्टिगत रखते हुए सम्भवतः हम अन्याय कर रहे हों । स्थिति एवं शर्तें उद्योग से उद्योग एवं प्रत्येक राज्य में बदलती रहती हैं ।

श्री दामोदर मेनन : यदि बम्बई बन्दरगाह के कर्मचारियों ने माननीय मंत्री का सुझाया हुआ संशोधन स्वीकार कर लिया है तो मुझे इस सम्बन्ध में और कुछ नहीं कहना है। माननीय मंत्री के इस आश्वासन के आधार पर कि एक साधारण समझौता हो गया है, मैं अपनी बात पर अब अधिक जोर नहीं देता ।

अब मैं खंड ६ (नई धारा ३१ की निविष्टि) लेता हूं । मैं यह जानना चाहता हूं कि धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (क) के उपखंड (१) के अधीन "इस विश्वास के आधार पर अथवा इसे मान कर इस प्रकार की दरें निश्चित की जा रही थीं" शब्द यहां क्यों जोड़े गये हैं ? इन शब्दों के बिना ही यह खंड ठीक है एवं यदि इन शब्दों को निकाल भी दिया जाय तो भी माननीय मंत्री के उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है । मान लीजिए कि कोई उचित सरकार ने १९५२ की पहिली अप्रैल के बाद कोई न्यूनतम वेतन निश्चित किया है तो मंत्री जी का विचार उन अधिनियमों को मान्यता देना है । अतएव इन शब्दों के बिना भी उनके विचार की पूर्ति हो जाती है । अतएव मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने ये शब्द वहां क्यों जोड़े हैं । क्या वह अन्यथा यह अनुभव करते हैं कि सरकार द्वारा निश्चित की गई दरों के लिए कर्मचारी उनको चुनौती देंगे ।

श्री वी० वी० गिरि : बिल्कुल ठीक यही बात है ।

श्री दामोदर मेनन: क्या इस प्रकार सरकार की कार्यवाहियों को कर्मचारियों द्वारा फिर चुनौती देने की छूट हम नहीं दे रहे हैं ? अतएव यदि माननीय मंत्री को कोई आपत्ति न हो तो मेरा निवेदन यह है कि वे इन शब्दों को निकाल दें ।

श्री नानादास (ओंगोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : अनुसूची में दिये गये कार्यों की मज़दूरी के बारे में दर निश्चित करने के लिए अवधि सीमा निश्चित करने में बिधान बनाने वालों का इरादा क्या था ? उनकी इच्छा थी कि अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में कोई देरी न हो। मूल अधिनियम के अनुसार अनुसूची के भाग १ के उद्योगों एवं संस्थाओं में न्यूनतम मज़दूरी १९५१ तक तथा अनुसूची के भाग २ के उद्योगों में १९५२ तक लागू हो जानी चाहिए थी। वे तिथियां निकल गईं और राज्य सरकारें उन संस्थाओं के लिए न्यूनतम मज़दूरी निश्चित नहीं कर सकीं। इसी कारण केन्द्रीय सरकार को समय बढ़वाना पड़ा और सन् १९५२ में अधिनियम संशोधित हुआ।

माननीय मित्र फिर समय की मांग कर रहे हैं। मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि श्रमिकों ने अपनी मजूरी निश्चित पहले ही क्यों न करवानी चाही। वर्षों तक मजूरी की न्यूनतम दरें निश्चित कराने में यह विलम्ब वे क्यों चाहते हैं ?

म यह कहना चाहता हूं कि सदन के सम्मुख इस प्रकार के लाये गय संशोधक विधेयक का उद्देश्य कर्मचारियों को लाभ पहुंचाना नहीं अपितु राज्य सरकारों द्वारा मज़दूरी की न्यूनतम दरें निश्चित करने में हुई असफलता का समर्थन करना है। हमारे देश में श्रमिकों सम्बन्धी विधानों को लागू करने में दो प्रकार की प्रणाली हैं। केन्द्रीय सरकार तो विधान पारित करती है और राज्य सरकारों को ये विधान लागू करने चाहिए, और राज्य सरकारों का यह रवैया है कि वे इनके लागू करने में विलम्ब करें और अधिक समय ले लें ताकि श्रमिकों के विधानों के उपबन्धों को लागू करने से पूर्व राज्य में उनके मामलों को निपटा सके। सन् १९४७ के बाद से राज्यों में इस प्रकार का रवैया चल रहा है। अतएव मंत्री जी का अधिक समय मांगना मैं तो न्याय संगत नहीं समझता।

माननीय मंत्री का कहना है कि भिन्न-भिन्न प्रकार की संस्थाओं में न्यूनतम मज़दूरी निश्चित करने में राज्य सरकारों को बहुत सी कठिनाइयां आईं। भाग (ख) राज्यों में यह अधिनियम अभी हाल में अर्थात् १९५१ में लागू हो सका है अतएव वे पूरी शर्तों की पूर्ति न कर सकें और मज़दूरी की न्यूनतम दरें निश्चित करने सम्बन्धी सुसंगत बातें न दे सकें। इसी कारण वह अधिक समय मांग रहे हैं। मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि सदन में इस विधेयक को लाकर वह राज्य सरकारों को क्यों आश्रय दे रहे हैं ?

मिले जुले मद्रास राज्य में तम्बाकू के खेतों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजूरी १९५१ में निश्चित हुई। उस समय तम्बाकू कर्मचारियो को कारखाना कर्मचारियों के अधीन समझा गया इसी कारण मजूरी की न्यूनतम दरें उन पर लागू हुईं। किन्तु मेरे क्षेत्र में ज़मींदार लोगों ने मिलकर मंत्रियों तक पहुंच की और अपने आपको मुक्त करा लिया और बेचारे निर्धन श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी का कोई लाभ न हुआ। इस प्रकार राज्य सरकारें जो कि ज़मींदारों के हाथ में हैं, ज़मींदार दल की आवश्यकताएं एवं उनकी मांगों को पूरा करने में ही लगी रहती हैं। और यही कारण है कि श्रमिकों सम्बन्धी विधानों को राज्य सरकारें लागू करने में विलम्ब करेंगी। राज्य सरकारों का तो यह रवैया बन गया है कि वे श्रमिक विधानों के लागू करने में और वस्तुतः न्यूनतम मजूरी अधिनियम के लागू कोंने में स्थगन करती हैं। इस प्रकार हम श्रमिक वर्ग के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, उनके हितों को हानि पहुंचा रहे हैं। इसी कारण मैं कहता हूं कि अवधि की

एक सीमा होनी चाहिए जिस तक सभी राज्य और विशेष रूप से भाग (क) राज्य न्यूनतम दरें निश्चित कर दें ।

अनुसूची के भाग २ के अधीन कार्यों की बहुत सी श्रेणियां हैं । माननीय मंत्री जी इस संशोधक विधेयक के द्वारा अधिनियम के क्षेत्र को सीमित करना चाहते हैं अथवा राज्य सरकारों को कुछ क्षेत्र देना चाहते हैं ताकि वे केवल नौकरी की कुछ श्रेणियों में मजूरी की न्यूनतम दरें निश्चित कर सकें ।

इस विधान को लागू करने में ढीलढाल करने के लिए श्रम मंत्री राज्य सरकारों को और भी विस्तृत क्षेत्र देना चाहते हैं । जैसा कि मैंने कहा है कि राज्य सरकारें ज़मींदार वर्ग की आज्ञाओं को मानने की आदी हैं और ये ज़मींदार लोग श्रमिकों को मजदूरी की न्यूनतम दरें देना नहीं चाहते । इस प्रकार इस उपबन्ध के अनुसार राज्य सरकारें केवल एक ताल्लुक अथवा एक ज़िले के लिए ही दरें निश्चित कर सकती हैं । तथा कुछ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए ही न्यूनतम दरें निश्चित कर सकती हैं । अतएव राज्य सरकारों को इतना विस्तृत क्षेत्र देकर ऐसा विचार किया गया है कि श्रमिकों को कोई लाभ न दिया जाय । मान लीजिए कि किसी ज़िले अथवा किसी स्थान पर मज़दूरी की न्यूनतम दरों की मांग है तो इस उपबन्ध के अधीन राज्य सरकार केवल उसी ताल्लुक जहां कि विरोध है, अथवा जहां कि ज़ोरदार मांग की गई है वहां तो मज़दूरी की न्यूनतम दरें निश्चित कर सकती है और शेष भाग के लिए तथा अन्य प्रकार के कार्य के लिए टाल सकती है । इस प्रकार इस उपबन्ध का प्रयोग करके वे श्रमिक वर्गों को बांट सकती हैं, और श्रमिक वर्ग की शक्ति को कम कर सकती हैं और अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए उनकी शक्तियों का प्रयोग कर सकती हैं । राज्य सरकारों को यह विस्तृत क्षेत्र देना इस कारण घोर आपत्तिजनक है क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये राज्य सरकारें वास्तव में ज़मींदारों की मांगों के सामने झुक जायेंगी ।

अतः राज्यों को इस प्रकार का विस्तृत क्षेत्र देने के मैं विरुद्ध हूं ।

मेरे विचार से फार्मों पर काम करने वाले मज़दूरों की मजूरी की न्यूनतम दरों को निश्चित करते समय राज्य सरकार को मज़दूरों के प्रतिनिधियों से परामर्श करना चाहिये । आन्ध्र राज्य में फार्म पर काम करने वाले मज़दूरों तथा किसानों के विशाल संगठनों के होते हुए भी वहां पर उक्त नीति को नहीं अपनाया गया है । वहां पर राज्य सरकार ने दरें केवल उन सूचनाओं के आधार पर निश्चित की हैं जो उसे अपने अधिकारियों, ज़मींदारों तथा मंत्रियों से प्राप्य हुई थीं । यह उचित नहीं है । इस कार्य में सरकारी अधिकारियों तथा जमींदारों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त मजदूर संगठनों से भी परामर्श किया जाना चाहिये । तभी हम न्यूनतम मजूरी की उचित दर के विषय में कोई सही निर्णय कर सकते हैं । अतः मेरा सुझाव यह है कि सारे राज्य के लिए एक बोर्ड होना चाहिये जो इन सब बातों को देखे और अपने सुझाव दे । यही नहीं प्रत्येक जिले के लिए भी एक बोर्ड होना चाहिये क्योंकि आज कल भी प्रत्येक ज़िले की मज़दूरियों में अन्तर है । सारे राज्य के लिये मज़दूरी की एक सी दर नहीं रखी जा सकती क्योंकि डेल्टा क्षेत्रों में शुष्क ताल्लुकों की अपेक्षा मजदूरी की दरें ऊंची हैं । अतः प्रत्येक जिले के लिये अलग अलग मजूरी-बोर्ड होना चाहिये ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं वह उनके पंक्ति १ से ५ के निकाल दिये जाने के संशोधन के विरुद्ध है । यदि वह यह चाहते हैं कि पंक्ति १ से ५ तक निकाल दी जायें तो इसका अर्थ यह हुआ कि सम्पूर्ण राज्य के लिये एक सी मजूरी की दर

[सभापति महोदय]

होनी चाहिये । पर इस समय वह जो तर्क कर रहे हैं वह इसके विपरीत है ।

श्री वी० वी० गिरि : ऐसे बोर्डों की व्यवस्था की गई है ।

श्री नानादास : मैं कहना यह चाहता हूं कि यदि ऐसे राज्य जिला तथा ताल्लुक बोर्ड होंगे तो वे मजदूरी निश्चित करने वाले प्राधिकारी को इस सम्बन्ध में सही सही जानकारी दे सकेंगे कि खास तरह के काम के लिए किसी खास क्षेत्र में मजदूरी की दरें कितनी होनी चाहियें । इसीलिये मैं यह सुझाव दे रहा हूं ।

ग्रामीण क्षेत्रों में मजूरी की न्यूनतम दरें धन तथा अन्न के रूप में भी जो भी मजदूरों के हित में लाभप्रद हो, निश्चित की जानी चाहिये ।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि समय का यह बढ़ाया जाना और राज्य सरकारों को देश के केवल कुछ भागों में ही और केवल कुछ प्रकार की नौकरियों के लिये न्यूनतम दरें निश्चित करने का जो विस्तृत अधिकार दिया गया है वह उचित नहीं है । इससे मजदूरों को लाभ नहीं पहुंच सकता । इससे केवल नियोजकों को ही लाभ पहुंचेगा ।

श्री सर्मा (गोलाघाट-जोरहाट) : न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू करने के ढंग को देख कर लोगों को इस सम्बन्ध में सरकार की सद्भावना पर सन्देह होता है ।

अब देखिये इस विधान के बनने पर इसका चाय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के बन जाने पर बड़े बड़े चाय बागों के स्वामियों ने मजदूरों को मिलने वाली उपलब्धियों एवं अन्य सुविधाओं को कम करना आरम्भ कर दिया यद्यपि विधान में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई थी कि मज़दूरों का काम नहीं बढ़ाया जा सकता और न उनको मिलने वाली उपलब्धियों में कमी की जा सकती है । युद्ध के काल में इम्फाल की सड़क तथा कुछ हवाई अड्डों के निर्माण के समय से उस काम पर लगाये गये चाय बागों में काम करने वाले मजदूरों को उनकी मजदूरी के अतिरिक्त नमक, दाल, चावल, गुड़ तथा कुछ अन्य चीज़ें रियायती दरों पर दी जाती थीं । १९४८ से जब यह अधिनियम लागू हुआ, मज़दूरों को मिलने वाली इन सुविधाओं में कमी की जाने लगी । चाय प्लांटरों का यह तर्क था कि ये चीजें तो मजदूरों को दया भाव से प्रेरित हो कर दी जाती थीं अतः इन के सम्बन्ध में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू नहीं होता । इसके विपरीत चाय बागों में काम करने वाले मजदूरों के सघ ने यह तय किया कि यह चीजें मजदूरी का भाग हैं । यह मामला अभी तक कलकत्ता स्थित श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण में चल रहा है । परन्तु बेचारे मजदूरों के पास इतना धन नहीं है कि वे वकील आदि कर सकें अथवा अपने प्रतिनिधियों को कलकत्ता इस सम्बन्ध में भेज सकें । खेद है कि इस सम्बन्ध में सरकार ने मज़दूरों के लाभार्थ आवश्यक कार्यवाही नहीं की ।

इसके उपरांत सितम्बर-अक्टूबर १९५२ में चाय के सम्बन्ध में संकट काल उपस्थित हुआ और चाय के मूल्य घट गये । हमारा यह कहना है कि यह परिस्थिति कृत्रिम रूप से उत्पन्न की गई थी, क्योंकि लन्दन में एक चाय बाजार खोली गई और वहां की सरकार इस सम्बन्ध में जो सहायता देती थी, वह बन्द कर दी गई । फिर भी उसी अनुपात में चाय का मूल्य बढ़ा नहीं । इस प्रकार इस एक ही कार्य से ब्रिटेन के उपभोक्ताओं को मूल्य की कमी का लाभ प्राप्त हुआ और अप्रत्यक्ष रूप से काफी पूंजी इंग्लैण्ड को वापस मिल गई ।

जिस समय यह परिस्थिति उत्पन्न हुई, तभी आसाम सरकार ने एक अलाभकारी बागों की जांच समिति नियुक्त की जिसमें मजदूरों और मालिकों के प्रतिनिधि तथा आसाम विधान सभा के कुछ सदस्य सम्मिलित थे। वह समिति न्यूनतम मजदूरी में संशोधन कर सकती थी। किन्तु समिति के अनुदेशों के फलस्वरूप कई चाय बागों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू नहीं किया गया और एक ही चाय बाग में मजदूरों की मजदूरी के दो स्तर हो गये—एक तो न्यूनतम मजदूरी के बराबर और दूसरा उससे कम। यह कम वाला स्तर तथाकथित अलाभकारी बागों में था। यह अनियमित दशा अभी भी जारी है। इसको देख कर आश्चर्य होता है क्योंकि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम इसलिये बनाया गया था कि कठिन परिश्रम वाले उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को कुछ लाभ पहुंच सके, न कि उनको हानि पहुंचाने के उद्देश्य से। यह पता लगाना कि कोई बाग अलाभकारी है या नहीं, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अनेक कारणों से इससे सम्बन्धित वास्तविक तथ्यों एवं आंकड़ों को एकत्रित करना सम्भव नहीं है। सम्भव है जिन व्यक्तियों को यह काम सौंपा गया था वे योग्य न रहे हों, या पूरे पूरे आंकड़े न मिल सके हों अथवा मालिकों ने इस सम्बन्ध में सही सही बातें प्रकट न की हों या समिति के पास इस कार्य के लिये पर्याप्त समय न रहा हो। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि चाय पर संकट आने के समय केवल मजदूरों को ही हानि उठानी पड़ी। यदि ऐसी बात है, तो फिर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का प्रयोजन क्या है। मजदूरों ने बहुत प्रयत्न किये पर उन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गई।

जिस विज्ञप्ति के द्वारा उक्त समिति की स्थापना की गई थी, उसी में यह भी कहा गया था कि मजदूरी में जो कमी की गई है उस पर तब तक पुनः विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि नियोजकों एवं मालिकों को जो हानि उठानी पड़ी है, वह पूरी न हो जाये। यह एक सर्वथा निराली व्यवस्था है। मजदूरों ने इस बात पर आपत्ति की है और अपने विरोध का प्रदर्शन किया है। पर अभी भी दशा वैसी ही चल रही है।

मैं सरकार का ध्यान एक बात की ओर और आकर्षित करना चाहता हूं। चाय उद्योग के एक भाग में तो न्यूनतम मजदूरी दी जाती है, पर दूसरे भाग में, जिसमें "लेटेरा चालान" कहलाने वाले लोग हैं, न्यूनतम मजदूरी का अधिनियम लागू नहीं होता। कदाचित् यह एक स्थानीय शब्द है। 'लेटेरा' शब्द का अर्थ भद्दा, अयोग्य, गंदा होता है।

श्री के० पी० त्रिपाठी : इसका अर्थ 'गंदे व्यक्ति' होता है।

श्री सर्मा : यह भी एक विचित्र बात है। ऐसा भेदभाव क्यों होना चाहिये? ऐसी दशा में तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम निरर्थक है। इस विधान का क्षेत्र विस्तृत किया जा रहा है। मैं इसका स्वागत करता हूं, परन्तु परिस्थितियों को गम्भीरतापूर्वक ठीक ठीक समझने के बाद ही इसको लागू करना उचित होगा। मैं समझता हूं कि चाय उद्योग के मजदूरों को अन्य उद्योगों के मजदूरों की अपेक्षा, बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। कदाचित संसार भर में सबसे अधिक मेहनत का काम करने वाले चाय उद्योग के मजदूर ही हैं। चाय एक ऐसा उद्योग है जिसमें ३०० से १००० प्रतिशत तक लाभ होता है। फिर भी मजदूरों की दशा अत्यन्त दयनीय है। हम देखते हैं कि इस उद्योग के प्रबन्ध के लिये और अधिक अभारतीय लोग बाहर से बुलाये गये हैं। इस उपाय से तथा अन्य कुटिल उपायों के द्वारा यह दिखाया जाता है कि आमदनी कम हो रही है।

[श्री सर्मा]

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को इन सब बातों पर उचित ध्यान देना चाहिये और यह देखना चाहिये कि इस विधान से उन लोगों को लाभ पहुंचे, जिनके हितार्थ यह बनाया गया है ।

सभापति महोदय : अब से जो सदस्य बोलें उन्हें चाहिये कि वे इस विधेयक के उपबंधों के विषय में कुछ अवश्य कहें । बोलने वाले सदस्यों को अपनी बात कहने के लिये केवल दस मिनट का समय दिया जायेगा ।

श्री के० सी० सोधिया (सांगर) : मैं मध्य प्रदेश के बीड़ी उद्योग के सम्बन्ध में कुछ बातें कहूंगा । इस सम्बन्ध में मुझे काफी जानकारी और अनुभव है । इसके उपरान्त मैं कृषिश्रमिकों के सम्बन्ध में दो एक बातें कहूंगा ।

मेरे एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि मध्य प्रदेश में बीड़ी उद्योग में काम करने वाले मजदूरों की संख्या केवल एक लाख है । मैं यह बताना चाहता हूं कि यह अनुमान सर्वथा गलत है । मैं समझता हूं कि इस उद्योग में कम से कम दस लाख मजदूर काम करते हैं । जब हम यही नहीं जानते कि इस प्रकार के मजदूरों की संख्या कितनी है, तो फिर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, जो बीड़ी उद्योग पर भी लागू होता है, के प्रशासन के सम्बन्ध में हम क्या कह सकते हैं ।

इस उद्योग में मजदूरों को बराबर तम्बाकू के सम्पर्क में ही रहना होता है । इसका उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है यहां तक कि एक तीस वर्षीय नवयुवक सत्तर वर्ष की आयु वाला व्यक्ति प्रतीत होता है। इस प्रकार उनकी बहुत बुरी दशा है । १९५१ में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन प्रति एक हजार बीड़ी के लिए एक रुपया चार आना मजदूरी निश्चित की गई थी । पर आजकल यह मजदूरी घट कर केवल बारह आना ही रह गई है अब मालिकों ने गोंद, लपेटने के कागज और बैठने के स्थान के लिये पैसे काटने शुरू कर दिये हैं । इस प्रकार सब कुछ कटने के बाद बेचारे मजदूर को केवल बारह आने ही मिलते हैं । जिन परिस्थितियों में इन मजदूरों को काम करना पड़ता है उसको देखते हुए तो उन्हें अधिक मजदूरी मिलनी चाहिये । पर वास्तविकता कुछ और ही है । अतः मेरा निवेदन यह है कि जो बोर्ड राज्य सरकारों के सामने अपनी सिफारिशें रखने के लिये बनाये गये हैं, उन्हें अपनी सिफारिशों का आधार बीड़ी उद्योगपतियों को होने वाला अत्यधिक लाभ, बनाना चाहिये । तभी इस उद्योग के मजदूरों को कुछ लाभ पहुंच सकता है । यह मेरा पहला सुझाव है ।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि यदि मजदूरों की मजदूरी में से कुछ कटौती करने की सरकार अनुमति देती है, तो राज्य सरकार को चाहिये कि वह ऐसी दुकानों के मैनेजर के कार्यालय में इस सम्बन्ध में सूचना पत्र लगवा दे कि इन कटौतियों की शर्तें क्या हैं, ताकि बिना पढ़े लिखे मजदूरों को ठगा न जा सके ।

संशोधक विधेयक के अधीन राज्य सरकारों के ऊपर यह बात छोड़ दी गई है कि वे न्यूनतम मजदूरियों में संशोधन करने अथवा उन्हें फिर से निश्चित करने के लिये विधि द्वारा निश्चित पांच वर्ष की सीमा तक प्रतीक्षा कर सकती हैं । मेरा निवेदन यह है कि यह कार्य तुरन्त आरम्भ कर दिया जाना चाहिये ।

अब मैं कृषि-श्रमिकों के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा । मैं समझता हूं कि इस प्रकार के श्रमिकों को उससे कहीं अधिक मजदूरी मिलती है, जितनी कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन प्राप्त होती । इसके अतिरिक्त इनकी मजदूरी की दरें भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न हैं । किसी भी राज्य सरकार के लिये छै मास अथवा एक वर्ष के काल के

अन्दर कृषि-श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी की उचित दर निश्चित करना बहुत मुश्किल काम है। अतः मेरा निवेदन यह है कि इस कार्य के लिये निश्चित काल को १९५४ के बजाय १९५६ तक बढ़ा देना चाहिये ताकि सब पक्षों के साथ न्याय हो सके।

मेरा निवेदन यह है कि श्रमिकों के लिए माननीय मंत्री जी बहुत कुछ करना चाहते हैं किन्तु वे कुछ कर नहीं पाते। अतएव मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि यदि वह यह चाहते हैं कि ये श्रम सम्बन्धी विधान उनकी इच्छानुसार जैसा कि वह चाहते हैं श्रमिकों के लिए कल्याणकारी हों तो इन विधानों के लागू करने के लिए वह एक ऐसा अभिकरण रखें जिस पर कि वह विश्वास कर सकें। मुझे केवल इतना ही कहना था।

पंडित एस० सी० मिश्र (मुंगेर उत्तर-पूर्व): न्यूनतम मज़दूरी की कल्पना निश्चय ही हमने पश्चिमी देशों से ली हैं। यद्यपि यहां पर तो ये केवल पुण्यमयी इच्छायें हैं जो न तो किसी की सहायता करती हैं और न किसी दल को कोई असुविधा पहुंचाती हैं और साथ ही कुछ प्राप्त भी नहीं करतीं। मैं श्रम मंत्री को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जिस प्रकार वह हमारे देश की सेवा कर रहे हैं उससे कोई लाभ नहीं होता। चाहे इससे किसी दूसरे दल को भले ही लाभ हो किन्तु श्रमिकों को इससे कुछ भी लाभ नहीं होता। न्यूनतम मजदूरी का क्या अर्थ है ? उन सिद्धान्तों के बारे में जिनके अनुसार राज्यों को न्यूनतम मज़दूरी निश्चित करनी चाहिए, न तो मूल विधेयक में अथवा न संशोधक विधेयक में ही कुछ कहा गया है। श्रमिकों की ओर से जब बहुत बड़ी मांग होगी तभी हमारी यह दयालु सरकार उनका उद्धार करेगी। मैं कहता हूं कि यदि सामान्य संरक्षण देने का कोई विचार होता तो पहली बात यह होती कि केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मज़दूरी निश्चित की गई होती। मेरा सुझाव तो यह है कि न्यूनतम मज़दूरी की कल्पना पर निरन्तर पुनः विचार करना चाहिए। क्योंकि जो आज अच्छा एवं बराबर है वह अगले वर्ष नहीं हो सकता और उस समय यह अप्रचलित हो सकता है, क्योंकि हमारा जीवनस्तर प्रतिदिन बदल रहा है। मैं यह कहना चहता हूं कि किसी समय विशेष के लिए न्यूनतम दरों का स्तर क्या है इसके सम्बन्ध में कोई कल्पना होनी चाहिए। भारत सरकार को कम से कम यह करना चाहिए कि वह यह बताये कि अमुक अमुक जीवन स्तर, भारतवर्ष में मानव जाति के लिए न्यूनतम जीवन स्तर समझे जायेंगे। केवल उसी के आधार पर कुछ लाभ हो सकता है, और उसे समान रूप से सभी पर लागू करना चाहिए। यदि हम शोषण को टालना चाहते हैं तो हमें विधान बनाने चाहिए और शोषण करने वाले तथा शोषित किये जाने वालों के बीच निपटारा करने के लिए कुछ भी न छोड़ें। आप न्यूनतम मज़दूरी निश्चित करते हैं तथा श्रमिकों के शोषण की उग्रता भी निश्चित करते हैं। मान लीजिए कि आप किन्हीं उद्योगों के लिए कुछ मज़दूरी तो निश्चित करते हैं किन्तु आप शोषण की मात्रा निश्चित नहीं करते, तो फिर उद्योगपति क्या करेगा ? तब बेचारे श्रमिकों का कोई संरक्षण नहीं होता। अतएव इस न्यूनतम मज़दूरी में काम करने की मात्रा का भी विचार करना चाहिए। कुछ कृपालु मित्रों ने सुझाव रखा है कि जिन उद्योगों में मज़दूरी का स्तर ७५) से अधिक है वहां के कर्मचारियों के लिए विधान बनाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप ७५) प्रतिमास दें किन्तु काम के कारण उनकी जान ही ले लें ताकि वे २० वर्ष की अवस्था में ही बूढ़े हो जायं और ३० वर्ष तक वे मृत्यु का ग्रास बन जायं।

इन सब बातों का ध्यान रखना होगा और भारतीय परिस्थिति के अनुसार ऐसी

[पंडित एम० सी० मिश्र]

स्थिति पैदा करनी होगी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति ६०–७० वर्ष तक जीवित रह सके और सरकार उसको संरक्षण दे । हमारे आसाम-वासी माननीय मित्र ने वहां के चाय बागानों के मजदूरों की दुर्दशा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है । उसे भी इस अधिनियम में समेटना होगा । उद्योग में कम से कम एक हजार मजदूरों की मांग करने वाला खंड हमें निकाल देना चाहिये । हजार मजदूर हों या एक हमें सब को समान संरक्षण देना है । न्यूनतम मजदूरी का अभिप्राय यह है कि पूरे भारत में जीवन स्तर एक सा हो । भूमि-हीन मजदूरों समेत यह संरक्षण सबके ऊपर लागू होना चाहिए । देहातों और कारखानों की नीति एक सी ही होनी चाहिए ।

श्री मुहीउद्दीन (हैदराबाद नगर) : आलोचना उतनी अधिनियम को लेकर नहीं हुई है जितनी कि उसके प्रवर्तन को लेकर । पहले तो अत्यन्त सीमित रूप में इसे लागू किया गया है और जहां लागू भी किया गया है वहां उचित रूप में लागू नहीं किया गया है । दो राज्यों में बीड़ी के मजदूरों के विषय में अधिसूचना निकाल कर इसे लागू किया गया है, पर बाद में उसे वापस लेकर दरों पर पुन-र्विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई । घरेलू तथा छोटे छोटे उद्योगों के विषय में राज्यों को धनाभाव और जनाभाव के कारण इसके प्रवर्तन में कठिनाई होती है कुछ राज्यों में खतिहर मजदूरों के विषय में इसे लागू किया है पर वहां भी यही कठिनाइयां पैदा हुई हैं । समय आ गया है कि पूरे अधि-नियम पर पुनर्विचार किया जाय तथा जनमत और कर्मचारियों की सहायता से उसे पूरी तरह से लागू किया जाय ।

इस संशोधन विधेयक को लेकर भी यही प्रश्न उठता है कि क्या इसे समुचित रूप में प्रवर्तित किया जायगा । राज्य सरकारें इसके प्रवर्तन में कोई चाव नहीं ले रही हैं । मेरा सुझाव है कि गृह उद्योगों तथा खेतिहर मज-दूरों के विषय में न्यूनतम मजदूरी की समस्या पर विचार करने के लिए विभागीय जांच बैठाई जाय ।

खेतिहर मजदूरों के विषय में मजूरी दरें जानने के लिए ३–४ वर्ष पहले एक जांच की गई थी उसका प्रतिवेदन प्रकाशित नहीं हुआ है, केवल कुछ गांवों के विषय में सूचना पुस्तकालय में उपलब्ध है । उनसे पता चलता है कि एक खेतिहर मजदूर को पूरे वर्ष में मध्यमानत: १७० दिन रोजगार मिलता है । ऐसी स्थिति में न्यूनतम मजदूरियां उसे किस प्रकार सहायता पहुंचायेगीं । इस न्यूनतम मजू-रियों को तो समुचित रूप में प्रवर्तित करना ही होगा; साथ ही खेतिहर मजदूरों के स्तर को बढ़ाने के लिए भी कुछ न कुछ करना होगा ।

श्री पी० सी० बोस (मानभूम––उत्तर) : मैं इस विधेयक का समर्थन इस न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के कारण कि यह अधिनियम हमारे देश के लिए विशेष महत्व रखता है, करता हूं । बढ़े चढ़े उद्योगों वाले सभी देशों में न्यूनतम मजूरी अधिनियम हैं पर वहां उनका इतना महत्व नहीं रहा है जैसे इंगलैंड में न्यूनतम मजूरी से चार पांच गुनी मजरियां मिलती हैं परन्तु दुर्भाग्य से हमारे देश में सरकार सहित सभी मालिक न्यूनतम दर को ही अधिकतम दर मानते हैं अत: इसका हमारे देश में अधिक महत्व है, अन्यथा मालिक न्यूनतम स्तर से भी कम मजूरियां देने लगेंगे पर साथ ही मैंने सुना है कि बहुत से क्षेत्रों में इसे लागू भी नहीं किया गया है, जैसा मैंने कहा कि हमारे यहां न्यनतम को ही अधिकतम माना जाता है । १९४७ में कोयला क्षेत्रों में ।।) का मूल वेतन निश्चित किया गया था और आज तक वही चला आ रहा है एक आने की भी वृद्धि नहीं हुई है ।

दूसरी समस्या खेतिहर मजदूरों की है। देहातों में मजदूरियां नकद ही नहीं अन्य रूपों में भी दी जाती हैं। छोटे छोटे किसान कुछ नाज या भोजन के रूप में देते हैं और कभी कभी मां बाप बेटे मिल कर काम करते हैं अतः वहां पर न्यूनतम मजदूरी निश्चित करना बड़ा कठिन है। इस पर अलग रूप से अच्छी तरह विचार होना चाहिए।

बड़े उपक्रमों तथा छोटे उपक्रमों के मज़दूरों के बीच मजूरी के विषय में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों को ही समान रूप से अपना भरण पोषण करना पड़ता है। एक माननीय सदस्य ने यह आशंका प्रकट की थी कि छोटे उपक्रम इस कारण बन्द हो जायेंगे। यह ठीक है परन्तु विधि सर्वन्यायी तथा सभी पर समान रूप से लागू होनी चाहिए।

श्री रघवय्या (ओंगोल) : १९४८ के इस अधिनियम का संशोधन करने वाले इस विधेयक के सम्बन्ध में हमें आशा थी कि इसके प्रवर्तन में हुई सफलता तथा असफलता के ब्यौरे हमें बताये जायेंगे किन्तु हमें खेद है कि इस सम्बन्ध में हमें कुछ भी नहीं बताया गया। हैदराबाद से माननीय सदस्यों ने वहां के अनुभव के आधार पर बताया है कि कई क्षेत्रों में इसके प्रवर्त्तन में असाधारण देर हुई है और प्रवर्तित होने पर भी इसमें विशेष सफलता नहीं हुई है।

दूसरे मज़दूरों को वह न्यूनतम मज़दूरी प्राप्त करने के लिए न्यायाधिकरणों तक जाना पड़ा है अभ्रक मजूरों के विषय में हमें आशा थी कि इसे पूरी तरह प्रवर्तित किया जायगा परन्तु वहां पर भी निश्चित की गई मजूरियां नहीं चुकाई गई हैं; ऐसी दशा में हम सहज अन्दाज़ लगा सकते हैं कि इसे कैसे प्रवर्तित किया जा रहा है तथा इसके क्या परिणाम हो रहे हैं।

इस विधान की लागू करने के अभाव में जो दुःखद परिणाम हुए हैं उनके सम्बन्ध में मेरे पूर्व वक्ता ने यथेष्ट कह दिया है और मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

सरकार आज केवल प्रथम बार ही इसकी अवधि विस्तार की मांग नहीं कर रही है। प्रथम विस्तार मार्च १९५० तक था; उसके बाद यह मार्च १९५२ तक के लिये बढ़ाया गया; और अन्त में लगभग डेढ़ वर्ष की अवधि और बढ़ाई गई। यह सहज ही कल्पना की जा सकती है कि साढ़े चार वर्ष की इस अवधि में मजदूर वर्ग को कितनी हानि उठानी पड़ी होगी। यदि प्रस्तुत विधि व्यवस्था आज से साढ़े चार वर्ष पूर्व की गई होती तो निश्चित है कि मजदूरों को इससे अत्यधिक लाभ होता सदन के प्रत्येक सदस्य की यही शिकायत है कि यह विधान बहुत देर से प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि मानव जीवन और मानव श्रम के प्रति थोड़ा भी आदर किया जाकर कुछ समय पूर्व इसे रखा गया होता तो इतनी जनहानि नहीं हो सकती थी।

विधान का स्वरूप ऐसा नहीं है कि जिससे हम बीते हुए साढ़े तीन वर्षों की मजूरी भी प्राप्त कर सकें। अमानवीय सरकार की बेपरवाही से वे पिछली मजूरी से वंचित कर दिये गये हैं।

श्रीमान्, मुझे माननीय मंत्री श्री गिरि में कोई बुराई नहीं बतानी है जिन पर आज इस कार्य का भार है। उनके पूर्वाधिकारी श्री जगजीवन राम ने कुछ नहीं किया।

प्रश्न यह है कि इसकी अवधि में क्यों विस्तार किया जा रहा है। राज्य सरकार ने १९४८ के न्यूनतम मजूरी अधिनियम, को ईमानदारी और मानवीयता के साथ क्रियान्वित नहीं किया। अब केन्द्रीय सरकार को अवधि के विस्तार की अनुमति देकर उसे

[श्री रघवय्या]

इस तरह की प्रवृत्ति में प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये ।

मुख्य त्रुटि राज्य सरकार की है और सरकार भी उसमें किसी अंश तक उत्तरदायी है क्योंकि उन्होंने राज्य सरकार के लिये कर्मचारी-वर्ग अथवा निधि की व्यवस्था का उपबन्ध नहीं किया । न तो केन्द्रीय सरकार ने स्वयं ही इनकी व्यवस्था की है और न राज्य सरकार के लिये इस तरह के विधान का क्षेत्र बाकी रखा है । अतः मुख्य आरोप राज्य सरकार पर ही लगाया जाना चाहिये और किसी सीमा तक केन्द्रीय सरकार पर । किन्तु इन्हें दण्ड देने के स्थान पर श्रमिकों को दण्ड दिया जा रहा है । हम विधान निर्माण क्यों करते हैं ? क्या केवल इसीलिये ऐसा किया जाता है कि संविधि का ग्रन्थ आकार-प्रकार बढ़ता रहे । जब विधान लागू ही नहीं किया जाता तो उससे फिर क्या लाभ है । अभ्रक के श्रमिकों के सम्बन्ध में इसे लागू नहीं किया गया है । राज्य को दण्ड देने के स्थान पर आप जनता को तथा श्रमिकों को दण्ड दे रहे हैं ।

मैं अधिक युक्तियां नहीं देना चाहता । हैदराबाद के माननीय सदस्य ने पर्याप्त प्रकाश डाल दिया है । माननीय उपमंत्री जी से मेरा यही निवेदन है कि मूल रूप में अपराधी राज्य सरकार है और किसी अंश तक केन्द्रीय सरकार भी । ये ही अपराधी हैं । उन्हें ही दण्ड मिलना चाहिये ।

इसके पश्चात सदन की बैठक बुधवार, १६ दिसम्बर, १९५३ के डेढ़ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।